खण्ड-433, अंक-4
बुधवार, 9 चैत्र, शक संवत् 1922
(29 मार्च, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर ...	
प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में अविलम्ब चर्चा कराने की मांग (जारी)	1
दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की मांग (जारी)	1–2
प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में अविलम्ब चर्चा कराने की मांग	2
दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की मांग (जारी)	2–4
प्रश्नोत्तर (जारी)	4–5
दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की मांग	5–6
प्रश्नोत्तर	6–96
श्री शिव चरण प्रजापति, सदस्य, विधान सभा को पुलिस द्वारा अपराधिक प्रकरण में फंसाने एवं उत्पीड़न किये जाने विषयक श्री श्रीराम पाल द्वारा नियम–311 की सूचना को नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकृत	96
प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं श्रावस्ती जनपद के गठन सम्बन्धी अधिसूचना रद्द किये जाने विषयक डा० वकार अहमद शाह आदि की नियम–311 की सूचना नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा हेतु स्वीकृत ...	96–97
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	97
जनपद बांदा के पैलानी-लसड़ा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद अम्बेडकर नगर में कोडरा केदारनगर मार्ग पर थिरुआ नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	97–98
जनपद चित्रकूट में सभी सरकारी विभागों में न्यूनतम मजदूरी की दर पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की जमीन पर 132 के० वी० ए० सब स्टेशन के निर्माण एवं ऊर्जीकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर के बदलसी क्षेत्रान्तर्गत गौरा बादशाह से केराकत तक नहर मार्ग को पिच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
मेरठ नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
संविधान के अनुच्छेद–243 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा–12 के उल्लंघन के संदर्भ में औचित्य का प्रश्न ...	99–102
यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सदन के पटल पर रखा गया)	102
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991–92 एवं वर्ष 1992-93 (सदन के पटल पर रखे गये) ...	102
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	103
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2000 (सदन के पटल पर रखी गयी)	103
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	103
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	103–104
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	104
विधान सभा के वर्ष 1999 के तृतीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	104–105
जनपद मेरठ महानगर के ग्राम चिन्दौड़ी में ह्यूम पाइप पर बने पुल के स्थान पर कंकरीट का पुल बनाये जाने विषयक श्री धरेन्द्र भारद्वाज आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गयी) ...	105
मेरठ महानगर में नगर निगम द्वारा कतिपय नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री प्रदीप रस्तोगी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... (प्रस्तुत की गयी)	105
डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री मुराद लारी के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना को उठाने का प्रयास ...	105
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) ...	105–106
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 (पुरःस्थापित) ...	106
"प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाये जाने" के संबंध में नियम 103 के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ...	106

विषय	पृष्ठ-संख्या
"सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस को शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित किये जाने" के संबंध में नियम 103 के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	106
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	106–107
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ...	107–109
नस्थियां	110–116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
अमर मणि, श्री	महराजगंज,	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
रघुराज प्रताप सिंह		सुमन लता सिंह, श्रीमती	बलरा
राजा भइया, 'कुंवर'	प्रतापगढ़		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में अविलम्ब चर्चा कराने की मांग

श्री राम तेज यादव "एडवोकेट"–

माननवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । आज पूरे प्रदेश में अधिवक्तागण की हड़ताल चल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 52 में उसकी चर्चा स्वीकार कर ली है ।

दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की मांग

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननवर, विगत दिनों 23 तारीख को नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसमें व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था जिसमें आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं दी गई थी हमारा अनुरोध है कि नियम 110 के अन्तर्गत उस पर चर्चा करा लें । धर्म स्थल विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष ने भी नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया हुआ है । मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं । हम भी चाहते हैं कि सदन विधिवत चले उसमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवधान नहीं चाहते हैं । यह जो तीन चार दिन से चला आ रहा है हम केवल उस पर चर्चा कराना चाहते हैं जिससे कम से कम इस पर मतदान हो सके और वह स्पष्ट हो सके कि जो लोग बाहर दूसरी बात करते हैं यहां दूसरी बात करते हैं वह बेनकाब हो सके इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करवा लें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

पिछले दिन मैंने नियमावली के नियम 110(5) के अन्तर्गत धर्मस्थल विधेयक पर चर्चा कराने की मांग की थी और उसको आपने स्वीकार भी कर लिया था लेकिन बाद में गतिरोध पैदा हो गया और चर्चा नहीं हो सकी इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा लें जिसके पक्ष और विपक्ष के विचार आ जाएं उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले । हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो और हम लोगों की जो भावनाएं है वह सदन के समक्ष आ जायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 27 तारीख को भी अनुरोध किया था और मैंने चर्चा भी स्वीकार कर ली थी । लेकिन मैंने कहा था कि नियम 110 के अन्तर्गत इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा । चर्चा में आपको अपनी बात कहने की पूरी छूट है । नियम–110 के अन्तर्गत प्रस्ताव स्वीकृत करने में कठिनाई होगी । आज मद संख्या–22 है । शेष तो औपचारिक कार्य हैं । राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, आप चाहें तो धन्यवाद पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

चर्चा कर लें या वह कल के लिए रख देंगे और आप विधेयक पर विचार रख लें । चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है । बाकी कौन बाहर क्या कहता है और अन्दर क्या कहता है ? वह बेनकाब हो जाए, उसकी असलियत सामने आ जाये, यह सदन का काम नहीं है । यह राजनैतिक लड़ाई है और राजनैतिक लड़ाई सदन के बाहर लड़ी जाती है । चर्चा कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु किसी विधेयक को सदन ने बहुमत से, सर्वसम्मति से या किसी प्रकार पारित कर दिया, उसके हफ्ते, दो हफ्ते, महीने, दो महीने बाद उसके निरसन का प्रस्ताव किया जाए, तो इससे तो सदन के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा । मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं इसीलिए उसका सम्मान करते हुए मैंने चर्चा स्वीकार कर ली थी । आज भी कह रहा हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उस पर चर्चा स्थगित करके, इस विषय पर चर्चा करा लेते हैं । चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है । मेरे अनुरोध को आप लोग स्वीकार कर लें ।

प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में अविलम्ब चर्चा कराने की मांग (क्रमागत)

श्री राम तेज यादव, एडवोकेट–

मान्यवर, बहराइच और श्रावस्ती जनपद में हड़ताल पर अधिवक्तागण हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे नियम 52 में स्वीकार कर लिया है । यदि आप इस पर आज चर्चा करना चाहें, तो करा सकते हैं । नियम 51 की मद से पहले आप चर्चा कर सकते हैं । मैं भी एक अधिवक्ता हूं और उनकी पीड़ा को समझ रहा हूं ।

दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की मांग (क्रमागत)

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस चीज को लेकर पिछले दो दिनों से गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और सरकार चर्चा के लिये तैयार है और हम लोगों ने प्रस्ताव नियम 110 के अन्तर्गत दिया है, कुछ सदस्यों ने 103 के अन्तर्गत भी दिया है । मान्यवर, जिस चीज का दृष्टांत आप रख रहे हैं और जो यह कहा जा रहा है अगर कोई विधेयक पास हो गया है तो क्या उसी सदन द्वारा उसे निरसित करने की बात हो सकती है या नहीं । मैं कहना चाहता हूं और आपको स्मरण भी होगा कि इसी सदन में महिला आयोग विधेयक पास हो गया था, फिर वह निरसित हुआ, फिर महिला आयोग पास हुआ और फिर पिछले सत्र में उसे निरसित किया गया ।

श्री अध्यक्ष–

तो आप निरसन का विधेयक लायें, आप तो प्रस्ताव ला रहे हैं । मैंने उस दिन भी कहा था, यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा कर लें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपको समझा पाने में सफल नहीं हो पा रहा हूं । मैं उसे स्पष्ट कर दूं मान्यवर, जब विधेयक आयेगा तो उस पर भी मत विभाजन होता है चाहे वह रैजिंग आफ हैण्डस द्वारा हो या जिस प्रक्रिया को सदन निश्चित करे उसके द्वारा हो । इसी तरह से प्रस्ताव पर भी होता है । ऐसा नहीं है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि अगर कोई विधेयक पास हो गया हो तो यह सदन उसे निरसित नहीं कर सकता, अवश्य निरसित कर सकता है । इसी तरह से विगत दिनों में भी हुआ है । यदि आप अनुमति दें तो हम प्राइवेट बिल ले आते हैं ताकि उसके माध्यम से चर्चा हो जाय और वोटिंग हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप विधेयक लाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

तो मैंने विधेयक संसदीय विभाग में दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

जिस दिन प्राइवेट बिल आयेगा उस दिन इस पर चर्चा कर ली जायेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह कह कर खारिज कर देना कि केवल चर्चा हो सकती है मतदान नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा भी मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर स्वीकार की । केवल चर्चा आप कर सकते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, सदन पास हुए बिल को बाद में निरसित भी कर सकता है चाहे संकल्प के रूप में लायें, चाहे प्रस्ताव के रूप में लायें । जहां तक मेरी जानकारी है मैं एक अल्पदक्ष सदस्य हूं और जिसको कम जानकारी है.....

श्री अध्यक्ष–

यह तो आपकी विनम्रता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्रस्ताव लाकर भी निरसित किया जा सकता है और संकल्प के रूप में भी लाकर इस पर चर्चा हो सकती है । इसीलिये नियम 110 व 103 के अन्तर्गत जो दिया है । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ताकि मतदान हो जाय । जिस दिन के लिए आप रखेंगे हम उसके लिए तैयार हैं । मान्यवर, सरकार इनकी है, क्या दिक्कत है सरकार को ? बहुमत इनका है फिर पास करा लेंगे । प्रस्ताव रखते हैं संकल्प रखते हैं, गिरता है तो गिर जाने दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात मैंने सुन ली । इस पर चर्चा के लिये आप मुझे कोई समय बता दें, कोई तिथि बता दें । आज चाहते हैं या कल चर्चा चाहते हैं । अपनी सुविधानुसार बता दें । मैं चर्चा करवा लूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप जो भी निर्देश देंगे । बात यह है कि इसको 110 के अन्तर्गत लेने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक व्यवस्था दे दी । हो सकता है कि कुछ सदस्य उससे संतुष्ट न हों । एक व्यवस्था दे दी, अब उसके अनुसार कार्य होना चाहिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मेरा निवेदन है कि इसको प्रस्ताव के रूप में नियम–110 या 103 में....

श्री अध्यक्ष–

103 का प्रस्ताव मेरे सामने अभी नहीं आया है । आपके अनुरोध पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी । मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार कर लेना चाहिए । अपनी सुविधानुसार तिथि मुझे बता दें, उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल ले लेते हैं ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर नये कर लगाये जाने का औचित्य

**1.—श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकार नये कर लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रस्तावित कराधान किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रस्तावित है और इसका औचित्य क्या है ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

जी हां । शासन के समक्ष सुख-साधन कर (लग्जरी टैक्स) तथा वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं पर कर (प्रोफेशन टैक्स) लगाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

सुख साधन कर तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद जिसमें तम्बाकू सहित अथवा रहित पान-मसाला शामिल है, किन्तु बीड़ी, खैनी अर्थात् चूना मिलाकर प्रयुक्त तम्बाकू और हुक्का में प्रयुक्त तम्बाकू शामिल नहीं है, की आपूर्ति पर कर लगाना विचाराधीन है ।

जहां तक (प्रोफेशन टैक्स) का प्रश्न है, यह कर व्यक्तियों पर उनकी वृत्ति, व्यापार, आजीविका एवं नियोजन के आधार पर लगाना विचाराधीन है ।

प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व में वृद्धि हेतु उक्त करों के लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बार-बार उस पर आग्रह करना अच्छा नहीं लगता है । मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है और प्रश्नकाल शुरू हो गया है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़ दिया है ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु सरकार की नीति

**2.—श्री अम्बरीष कुमार, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राम सिंह सैनी, श्री विजय पाल सिंह तथा डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जर्जर वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु सरकार नये संसाधन जुटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

प्रदेश के विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता के लिए आवश्यक प्रयास किये जाते हैं। वर्तमान में भी राज्य सरकार उपरोक्त प्रक्रिया को अपना रही है।

इन प्रयासों में संसाधनों के वर्तमान स्रोतों में अभिवृद्धि के साथ-साथ नये स्रोतों से भी संसाधन की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं, ताकि वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु संसाधन उपलब्ध हो सकें।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, आपके माध्यम से, मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इन प्रयासों में संसाधनों के वर्तमान स्रोतों में अभिवृद्धि के साथ-साथ नये स्रोतों से भी संसाधन की प्राप्ति के लिए प्रयास किये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्रोतों में वृद्धि के लिये कौन-कौन से नये स्रोतों की तलाश की है या की जा रही है ? कौन-कौन से स्रोत इन्होंने संसाधन जुटाने के लिये जुटाये हैं और क्या प्रयास कर रहे हैं ?

दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत उठाये गये "उ० प्र० सार्वजनिक धार्मिक भवनों एवं स्थलों का विनियमन विधेयक, 2000 को निरसित किये जाने" सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप नियम–110.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था यह दे दी कि अपनी सुविधानुसार आज या कल जो तिथि माननीय सदस्य इंगित करेंगे उस पर मैं चर्चा करा लूंगा। अब वह प्रकरण समाप्त हो गया है। प्रश्न नं०–2 ले लिया है और उस पर उत्तर आ चुका है। माननीय सदस्य अपना प्रश्न कर रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने बात कह दी। वह अभिलेख में आ गई। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, जो आपने चर्चा के लिये स्वीकार किया है 110 (5), को उसमें जब प्राविधान है वोटिंग का तो वोटिंग करा लीजिए। दिक्कत क्या है ? अगर मत विभाजन हो जायेगा तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं हो जायेगी। ऐसा होता भी रहा है, उस परम्परा को कायम रखना है। कोई नई परम्परा नहीं डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार कोई तिथि बता दें किस दिन चर्चा होनी है जब चर्चा होगी आप दोबारा अनुरोध कर लीजियेगा। उस समय फिर विचार कर लेंगे। मैंने अभी 110 के तथाकथित प्रस्ताव की अनुज्ञा नहीं दी है। चर्चा की अनुज्ञा दी है। मैंने कहा है कोई तिथि बता दीजिए, चर्चा हो जाए, चर्चा प्रारम्भ होने के बाद इस अनुरोध को दोहरा दीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह आपके संज्ञान में इस लिए लाया जा रहा है क्योंकि धर्मस्थल विधेयक के निरसन के लिये आपने चर्चा स्वीकार की है।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे)

श्री अध्यक्ष–

मैंने जो अनुरोध किया है, उसको आप स्वीकार कर लें । मैंने एक व्यवस्था दे दी । अब कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

इसमें जिद न करियेगा । थोड़ा लिबरल होकर कह दीजिए, नियम–110 और 103 में करायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसमें 103 का प्रश्न नहीं है । 110 के बारे में व्यवस्था दे दी गई है । पहले आप सुविधाजनक तिथि बता दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप घोषणा कर दें कि मतदान करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे परामर्श कर लूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप 110 और 103 में करा लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है । मैंने कहा कि नेता विरोधी दल, संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श कर लूंगा आपको भी बुला लूंगा ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सैनी जी, अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री राम सिंह सैनी–

यह निर्विवाद सत्य है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति जर्जर है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य स्रोतों का सृजन कर रहे हैं तो कौन-कौन से स्रोत हैं बताने का कष्ट करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार होता जा रहा है । कर राजस्व में 1999–2000 की तुलना में 21 परसेंट वृद्धि की सम्भावना है । इसी तरह से करेत्तर राजस्व में 35 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना है । केन्द्रीय सहायता जो मिलती है राज्यांश मिलता है इन सबमें 381.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस वृद्धि के होते हुए बहुत से अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता राज्य सरकार इसमें नहीं समझती है । नये स्रोतों के रूप में प्रवेश कर लगाया गया है जिसके कारण 300 करोड़ से अधिक की आय प्रतिवर्ष होने की स्थिति बनी है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, जानना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 में व्यापार कर से 4420 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होना था आशा के विपरीत 3800 करोड़ का ही

राजस्व प्राप्त हुआ । आयोजनागत 140 करोड़ प्राप्त होना था, 136 करोड़ मिला । पंजीकरण शुल्क में 1450 करोड़ मिलना था उसमें 1250 करोड़ मिला, आवास में 277 करोड़ मिलना था, इसमें 270 करोड़ मिला । 1999–2000 के लक्ष्य निर्धारित किये गये लेकिन उन लक्ष्यों से कम वसूली हुई । अल्प बचत में एक प्रतिशत ब्याज केन्द्र सरकार ने कम किया है, अल्प बचत में जो पैसा जमा होता है उसका 75 प्रतिशत प्रदेश को मिलता है तो उसके परिणामस्वरूप कितनी कमी आयी है ? अल्पबचत का जो पैसा मिलेगा 75 प्रतिशत और यह जो कमी है, नये तरीके आप अपना रहे हैं कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली पूरी हो और कमी न आये और घाटा न बढ़े । दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश का कितना कर्जा बढ़ा है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

राजस्व की वसूली बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं इसका परिणाम मैं एक फीगर देकर देना चाहूंगा । अभी व्यापार कर की बात कही गयी । इसी महीने पिछले वर्ष में व्यापार कर की वसूली तैंतीस सौ करोड़ रुपये की थी लेकिन इस वर्ष 38 सौ करोड़ रुपये की हुई है । वसूली को और तेजी से करने की दृष्टि से पूरे प्रशासन को सतर्क और कड़ाई के साथ वसूली करने के आदेश दिये गये हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि कर और करेत्तर राजस्व की वसूलियां बढ़ती जा रही हैं । मुझे पूरी सम्भावना है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति कठिन दिखायी देती है इसमें सुधार की शुरुआत हो गयी है और अगले 6 महीनों में ऐसा परिवर्तन दिखायी देगा जिसमें आय-व्यय संतुलन ठीक किया जायेगा । अभी कर्जे की बात कही गयी यह कहा गया कि ऋण ग्रस्तता है तो हम ऋण ग्रस्तता दूर करना चाहते हैं । 68 हजार करोड़ इस समय उत्तर प्रदेश पर कर्जा है । हमने यह नीति बनायी है कि आगे हम उन्हीं ऋणों को लेंगे जिसमें रिटर्न की अवधि लम्बी हो और ब्याज की दर कम हो । इस तरह से हम कर्जे के भारी भार को कम करते जायेंगे ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि तीन वर्ष पहले कितना कर्जा था ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, तीन वर्ष पहले 60 हजार करोड़ का कर्जा था । आज 68 हजार करोड़ का है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बजट में घाटे को पूरा करने के लिये बेहतर कर वसूली की बात बार-बार कही । लेकिन जैसा कि अभी अम्बरीष कुमार जी ने कहा और मैं भी यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जो राजस्व की वसूली है वह अपेक्षानुसार नहीं हो पायी है । तो क्या माननीय मंत्री जी इसको समझते हुए इस घाटे को पूरा करने के लिये कोई नया उपाय करने का प्रयास करेंगे या फिर जैसा पिछले दो तीन महीनों में सारे भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसी तरह से सारे भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगाकर जो विकास की गति है उसको रोकने का काम करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार की नीति में परिवर्तन आया है । ग्यारहवें वित्त आयोग के सामने यह रखा गया कि जो राज्य जितने पिछड़े हैं उसको उतनी सहायता मिलनी चाहिए । भारत सरकार ने वित्त आयोग की संस्तुति को स्वीकार कर लिया है । 71 की जनगणना के आधार पर केन्द्रीय सहायता मिलती थी । मैंने निवेदन किया था कि 1991 की जनगणना उपलब्ध है । इस पर जो ज्ञापन दिया गया था मुझे संतोष है कि 11वें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार से जो संस्तुतियां की हैं केन्द्र सरकार ने उसको

स्वीकार किया है । अब यह केन्द्रीय सहायता जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक तो आयकर में राज्यांश मिलता रहा है वह 1999–2000 में 3094.64 करोड़ था अब हम को जो मिलने जा रहा है 3486.27 करोड़ रु० माने 391.63 करोड़ की वृद्धि इस साल हमको प्राप्त होगी ।

एक उत्पादन शुल्क है इसमें राज्यांश 1999–2000 में 4007.42 करोड़ रु० जो मिलने जा रहा है 4858.32 करोड़ रु०, [illegible] करोड़ रु० की वृद्धि होगी ।

[illegible] होने वाले अनुदान का जहां तक सवाल है, 1999–2000 में 3519.27 करोड़ रु० [illegible] मिलने जा रहा है 5292.87 करोड़ रु० अर्थात् 1773.60 करोड़ रु० की वृद्धि होगी ।

[illegible], हमने वित्त आयोग ने जो संस्तुतियां की थीं, जो केन्द्रीय सहायता है, उसमें 112 प्रतिशत, 118 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है । यह आय हमारे असंतुलन को दूर करने में काफी सहायक होगी ।

श्री रामजग–

मान्यवर, राजस्व वसूली में जो गांव का गरीब किसान है उससे वसूली में कोफी तत्परता दिखायी जाती है लेकिन दूसरी ओर जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन पर जो आयकर का, बिजली का, सेल्स टैक्स का बकाया है वह वसूली कर ली जावे तो वित्तीय स्थिति दुरुस्त करने में काफी आसानी होगी । यह जो बकाया है वह कितना है उसकी वसूली के लिये सरकार कौन से कदम उठा रही है । दूसरे, जो अवैध ढंग से आयकर बिजली की चोरी होती है उसको रोकने के लिए कौन सी कार्य योजना है ?

श्री अध्यक्ष–

बिजली की बात आप ऊर्जा मंत्री जी से पूछें ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, जो भी बकाया है उसकी वसूली पूरी हो, इसमें हमें सफलता भी मिल रही है हमारा इस पर ध्यान है । जहां तक बड़े-बड़े बकायेदारों का सवाल है उनको सूचीबद्ध किया गया है । हमारा ध्यान है कि बड़े-बड़े जो बकायेदार हैं उनसे बकाया वसूल किया जाय ताकि ज्यादा धन वसूल हो जाये।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चालू वित्तीय वर्ष में इस सम्मानित सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता की स्थिति 50 हजार करोड़ रुपये है । माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि 3 वर्ष पूर्व 60 हजार करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता थी तो एक तो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में अपना त्रुटिपूर्ण बयान देकर सदन को गुमराह किया क्योंकि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 50 हजार करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता बताई थी तो यह 60 हजार करोड़ का ऋण उत्तर प्रदेश में कैसे है ? दूसरा प्रश्न है कि संसाधन जुटाने के मामले में जो राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है तत्कालीन मुख्य मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष में एक वक्तव्य दिया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिनका ऋण जमा अनुपात निरन्तर घटता चला जा रहा है । उन्होंने इस सदन को आश्वस्त किया था कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण जमा अनुपात को बढ़ाते नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बैंक चलायेगी तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री का दिया गया वक्तव्य जो इस सम्मानित सदन में दिया गया, क्या उसे पूरा करने के मामले में आप प्रयासरत हैं और हैं तो उसमें क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ? और दूसरी बात यह है कि जो बेपनाह, यहां की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है जो तकरीबन

27–28 प्रतिशत जमा अनुपात है बड़े पैमाने पर यहां का धन हिन्दुस्तान के दूसर प्रदेशों में जा रहा है तो क्या उसको नियंत्रित करने का कोई प्रयास करने जा रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश में अपने राज्य की बैंक खोलने की बात है, मैं इससे सहमत हूं और इस बात के लिए प्रयासरत भी हूं। अभी दूसरे प्रदेशों की मैंने सूचनाएं ली हैं, गुजरात ने प्रयास किया था लेकिन कर नहीं पाया। मैंने सारा रिकार्ड मंगवाया है कि क्या कठिनाई आयी है आर० बी० आई० से अनुमति के बाद। केरल में भी प्रयास हुआ था। मान्यवर, यह सारा वित्त विभाग के विचाराधीन है कि क्यों न अपना बैंक खोलकर जो हमारा ओवरड्राफ्ट की स्थिति आ जाती है और वित्तीय परेशानी आ जाती है उससे बचा जाय तो इस दि. में वित्त विभाग पूरी तरह से सक्रियता से विचार कर रहा है।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो देय मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं तो क्या वित्तीय संसाधन जुटाने के कारण सरकार इन देयों पर कटौती करने पर विचार कर रही है, यदि हां तो वर्तमान में कौन-कौन से देय हैं और किन-किन की कटौती पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, राज्य कर्मचारियों के किसी वेतन या महंगाई भत्ता में कटौती का सरकार का कोई विचार नहीं है।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को आज की तारीख में जो सुविधा देय है उनमें कोई कटौती करने पर सरकार विचार कर रही है और मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि महंगाई भत्ता या वेतन में कटौती का कोई विचार नहीं है। मैं मत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सुविधाएं और देय हैं वह क्या-क्या हैं और उनमें से किसी पर कटौती पर सरकार विचार तो नहीं कर रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो भी उनको सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो वेतन है उन पर किसी प्रकार की कटौती सरकार नहीं कर रही है।

(इस समय 11 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता 50 हजार करोड़ की है अथवा 60 हजार करोड़ की है, क्या इसको स्पष्ट करेंगे ?

* श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, लगभग 60 हजार करोड़ की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– † शोधन वक्तव्य हेतु देखिये दिनांक 15 मई, 2000 की कार्यवाही।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पान मसाला और गुटका के प्रयोग से हो रहे मुंह के कैंसर की रोकथाम के उपाय

*1.—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी तथा डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पान मसाला और गुटखा के प्रयोग से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पान-मसाला तथा गुटखे के उत्पादन पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

जे० के० कैन्सर संस्थान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर गत पांच वर्षों में मुख के कैंसर रोगियों की संख्या में कुछ वृद्धि प्रतीत होती है। मुख कैंसर रोग का एक कारण पान मसाला गुटखा हो सकता है।

तम्बाकू तथा उससे उत्पादित गुटखे के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु एक "संकल्प" विधान सभा/परिषद् में दिनांक 22 जून, 1998 को पारित किया गया है। जिसे विधि द्वारा विनियमित किये जाने हेतु भारत सरकार को 19 अगस्त, 1998 को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, जन स्वास्थ्य से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का जो विचार है, उसको देखें तो यह लगेगा कि सरकार इस पर कतई संवेदनहीन है। जे० के० कैंसर संस्थान, जिसका प्रश्न के उत्तर के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अकेले कानपुर महानगर में प्रतिदिन 25 व्यक्ति गुटखा खाने से मुख कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गत 5 वर्षों में मुख कैंसर के रोगियों में कितनी वृद्धि हुई। माननीय मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ वृद्धि कह कर चल रहे हैं। क्या यह स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष के हिसाब से मुख कैंसर के रोगियों में कितनी वृद्धि हुई है तथा यह भी जानना चाहूंगा कि विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा जो संकल्प पारित किया गया है, वह क्या था और क्या दुबारा भारत सरकार को अनुस्मारक प्रेषित किया गया है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि 1997 में 3,494 कैंसर के मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें से 675 मुख कैंसर के थे, जिनका प्रतिशत 19.32 बैठता है। इसी प्रकार 1998 में 3, 348 मरीज भर्ती हुए, जिसमें से 699 मुख कैंसर के मरीज थे, इसका प्रतिशत 20.88 बैठता है। इसी प्रकार वर्ष 1999 में 3,420 मरीज कैंसर के भर्ती हुए, जिसमें से 746 मुख कैंसर के थे, जो 21.81 प्रतिशत बैठता है।

जहां तक पारित संकल्प का प्रश्न है, मैं संकल्प को पढ़कर सुना सकता हूं। दिनांक 19-8-98 को इसे भारत सरकार को भेजा गया था और अभी 24-3-2000 को पुनः संकल्प की कापी भारत सरकार को भेजी गई है।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मैं जानना चाहता हूं, वह संकल्प क्या था, जिसे 19 अगस्त, 98 को भेजा गया था ? भारत सरकार से इसकी स्वीकृति मिल जाय और वह विधि द्वारा विनियमित हो सके, इसके लिये शासन द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, 24-3-2000 को पुनः इसे भेज चुके हैं ।

डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आ गये हैं, वह कुछ उत्तर देना चाह रहे हैं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, प्रदेश के तमाम अंचलों में, जिलों में जो गुटखा बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है क्या उसका रासायनिक परीक्षण कराने का सरकार विचार कर रही है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, 5 विशेषज्ञों की एक टीम बनायी गयी थी जिसके द्वारा इसकी पूरी जानकारी की गयी थी और उसका परीक्षण भी कराया जाना है ।

प्रदेश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार की कार्ययोजना

*2–श्री राम जग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामान्य अधिनियमों के प्राविधानों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके अन्तर्गत प्रख्यापित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम–1995 लागू है जिसके अन्तर्गत समय-समय पर कार्यवाही की जाती है । इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन को इन जातियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामान्य रूप से जागरूकता बनाये रखने तथा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश हैं । समाज कल्याण विभाग के शा० पत्र सं०–3430/26-3-98-471/98, दिनांक 25-11-98 द्वारा जिलाधिकारियों को सामाजिक समरसता प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिये गये हैं । तदनुसार वांछित कार्यवाही की जाती है ।

श्री राम जग–

अधिष्ठाता महोदय, यह पूरे प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जैसा जवाब आया है, हमारे समाज कल्याण मंत्री जी का, हमने प्रश्न किया था कि क्या प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? उत्तर आया, जी नहीं । मान्यवर, यह जवाब ऐसा आया है और सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उत्पीड़न रोकने पर गम्भीर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दोबारा प्रश्न कर लें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, इनके उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामान्य अधिनियमों के जो प्रविधान हैं, वह प्रभावी नहीं है। मैंने सवाल किया था कि क्या उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? मान्यवर, भूमि का सवाल है, मजदूरी का सवाल है और उनके सम्मान का सवाल है ? क्या अनुसूचित जातियों के लिए जो इतनी समस्याएं हैं, क्या सरकार उन्हें दूर करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार और उत्पीड़न न किये जाने के प्रति और उनके पुनर्वास के प्रति, दोनों ही संदर्भों में सरकार पूरी तरह से सजग, जागरूक और प्रयत्नशील है और इसी के परिणाम स्वरूप मान्यवर, 82 हजार लम्बित ऐसे मुकदमों के लिए शासन ने 10 जिलों में विशेष अदालतें गठित की हैं। इसी के साथ 20 जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में विशेष अभियोजकों की नियुक्ति का निर्णयकरण किया गया है और इसके पीछे शासन की मंशा है कि इन वर्गों को त्वरित न्याय मिले। इसी के साथ हमारे समाज कल्याण विभाग के नाते हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि पिछले तीन वर्षों में हमारे प्रयासों से और समाज की जागरूकता से ऐसे उत्पीड़न के मामलों में कमी आई है। हमारे पास इसके प्रमाण हैं कि उत्पीड़न की घटनायें कम हो रही हैं। 97–98 में ऐसे केसेज की संख्या 8454 थी, 98–99 में इनकी संख्या 6353 थी और 99–2000 में यह संख्या 5 हजार में से घटे 4 हजार के अन्दर आने की सम्भावना है। तो सरकार कहीं पर कोताही नहीं कर रही है। सरकार वर्तमान प्रविधानित नियमों में पूरी सतर्कता पूर्वक कार्यवाही कर रही है।

श्री राम सजीवन चौधरी–

माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि त्वरित न्याय की कार्यवाही की जाती है। तो त्वरित न्याय की कार्यवाही में महीने भर और 6 महीने भी लग सकते हैं। तो त्वरित न्याय के स्थान पर समयबद्ध न्याय दिलाने के लिये कोई निर्देश मंत्री जी देंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, समयबद्ध कार्यवाही को अन्तर्गत गृह विभाग में एक विशेष सचिव के निर्देशन में विशेष जांच प्रकोष्ठ का गठन शासन ने किया है। वहां पर मासिक समीक्षा होती है और समीक्षा के उपरान्त गतिपूर्वक कार्यवाही करने का प्रयास रहता है।

श्री राम सजीवन चौधरी–

वर्ष 1999–2000 में उत्पीड़न की कितनी घटनायें हुई हैं और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्षा–

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामलेख यादव (एटा)–

मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि माननीय कार्यभार संभालने के बाद क्या प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर उत्पीड़न की घटनायें हुई हैं, क्या पूरे थानों को निर्देश नहीं गये हैं कि ऐसे मुकदमे न लिखे जाय ? आप उत्पीड़न को रोकने की कार्यवाही कागज पर कर रहे हैं उससे उत्पीड़न की कार्यवाही रोक नहीं पायेगी ? अगर आपकी मनःस्थिति मजबूत है और आपने कोई कार्यक्रम इस संबंध में बनाया है तो उसको बताने का कष्ट करेंगी।

श्री अध्यक्षा–

अलग से योजना बनायी नहीं गयी है, यह उत्तर आ गया है।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के अन्दर जो मामले पंजीकृत होते हैं उनमें अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा क्या बढ़ा दी गयी है । दूसरे पूर्व मुख्य मंत्री कल्याण सिंह के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं को निष्प्रभावी करने के संबंध में जो शासनादेश जारी किया गया था क्या वर्तमान सरकार ने उस शासनादेश को वापस ले लिया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जहां तक जांच का प्रश्न है शासन ने पहले ही निर्धारित किया है कि ऐसे केसेज की जांच उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी करेगा । अगर माननीय सदस्य के पास कोई इस तरह की जानकारी हो तो उपलब्ध करा दें उसको दिलवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या जांच की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? इसका उत्तर दें ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

यह मैंने पहले ही बताया कि मासिक समीक्षा बैठक होती है और इस समीक्षा के आधार पर यह सुनिश्चित करने का निर्देश है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न सात के दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । उन्होंने पूछा था कि पूर्व में कुछ धाराओं को निष्प्रभावी किया गया था क्या उसको वापस लिया गया है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी, नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1999–2000 में दलित उत्पीड़न की कुल कितनी घटनाएं हुई और उन घटनाओं में से कितने का निस्तारण हुआ ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, प्रश्न से इसका सीधा मतलब नहीं है लेकिन सामान्य रूप से गम्भीर घटनाओं में जो व्यवस्था है, अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी संख्या साढ़े पांच हजार तक पहुंचने की सम्भावना है ।

श्री राम जग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न को रोकने में अक्षम है । मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि सरकार के पास कोई कार्ययोजना नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं । इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राम जग सदन त्याग कर चले गये ।)

प्रदेश में ए० आर० बी० इन्जेक्शन का उत्पादन कम होने का कारण एवं निवारण के उपाय

3—श्री राम ललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ए० आर० बी० इन्जेक्शन का वर्तमान में उत्पादन क्या है और उसकी कितनी मांग है ? क्या यह सही है कि ए० आर० बी० का उत्पादन आवश्यकता से कम है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

प्रदेश में ए० आर० वी० इन्जेक्शन का उत्पादन अप्रैल, 1999 से दिसम्बर, 99 तक 28,60,900 एम० एल० हो चुका है तथा इसकी मांग लगभग 44 लाख एम० एल० है ।

जी हां ।

एण्टी रेबिज वैक्सीन की कमी को पूरा करने हेतु निम्न उपाय किये गये हैं :––

(1) वर्ष 1999–2000 में राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडांगर की ए० आर० वी० उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 35 लाख एम० एल० प्रतिवर्ष कर दिया गया है ।

(2) शेष कमी को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्रय व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के बाहर की निर्माण इकाइयों से आवश्यकतानुसार क्रय की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ए० आर० वी० के उत्पादन और मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ? क्या सरकार ए० आर० वी० इंजेक्शन की मांग में वृद्धि के कारण बढ़ने वाले आवारा कुत्ते, सियार और कटहे बन्दरों को कम करने के लिए कोई उपाय करेगी ?

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता जी, वर्ष 1996-97 में 16 लाख, 70 हजार, 40 एम० एल० का उत्पादन हुआ था, 1997-98 में 20 लाख, 22 हजार, 180 एम० एल० का उत्पादन हुआ और 22 लाख एम० एल० की आपूर्ति की गयी ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, आपको सूचना देते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पिछली बार जो उत्पादन था मात्र 20 लाख एम० एल० तक पहुंचा था, वह 28 लाख एम० एल० तक हो गया और अब हमने उसे 35 लाख एम० एल० तक कर दिया है । 44 लाख एम० एल० की मांग होती है । अगले वर्ष तक 44 लाख की मांग को पूरा कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

पिछली बार जो मांग थी और वर्तमान में जो सत्र चल रहा है उसकी मांग में वृद्धि हुई है या नहीं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी, नहीं । मांग में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि मांग और उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसका जवाब मंत्री जी दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मांग में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 44 लाख एम० एल० की आवश्यकता थी पिछले साल तक जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 35 लाख एम० एल० कर दिया है। 44 लाख एम० एल० की जो मांग है उसे अगले वर्ष तक हम पूरा कर लेंगे, यह आश्वासन मैं दे रहा हूं।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि आवारा कुत्ते, बन्दर और सियार के पकड़ने की आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो मांग की पूर्ति नहीं कर पायेंगे ? यह मेरा कहना है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही जवाब दे दिया है लेकिन उन्हें बताना चाहता हूं कि नगर निगम कुत्ते पकड़ने की व्यवस्था करता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद एटा में ईशन नदी में जमा सिल्ट की सफाई की मांग

1.–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा में ईशन नदी में सिल्ट जमा होने के कारण नदी के किनारे बसे ग्रामों में किसानों की हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ईशन नदी की सिल्ट की सफाई कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मंगल सिंह सैनी)–

जनपद एटा में ईशन नदी में सिल्ट जमा होने कारण इसका जल प्रवाह क्रास सेक्शन क्षेत्र लगभग 75 से 85 प्रतिशत रह गया है। इसके किनारे बसे ग्रामों में जल प्लावन की समस्या मुख्यतः इस नदी पर बने पक्के कार्यों में संकुचित जल मार्ग होने के कारण है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में सिल्ट सफाई कराने की कोई उपयोगिता नहीं है।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जनपद एटा में ईशन नदी में सिल्ट जमा होने के कारण इसका जल प्रवाह क्रास सेक्शन क्षेत्र लगभग 75 से 85 प्रतिशत रह गया है। इसके किनारे बसे ग्रामों में जल प्लावन की समस्या मुख्यतः इस नदी पर बने पक्के कार्यों में संकुचित जल मार्ग होने के कारण है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो संकुचित जल मार्ग हो गये हैं जिससे जल प्लावन की समस्या है तो उन्हें चौड़ा करने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, यह नदी 305 कि०मी० लम्बी है जिसमें 19 ऐसे पक्के पुल बने है और उन्हें ज्यादा चौड़ा करने के लिए 1980 में 245 लाख रुपये से एक योजना तैयार की गयी थी लेकिन उस समय यह योजना स्वीकृत नहीं हुई और इस समय इसकी लागत 1715 लाख रुपये की होने की सम्भावना है लेकिन यह परियोजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने पूछा है कि पत्थर खनन के कारण जल मार्ग संकुचित हो गये हैं इसलिए इसे दूर करने के लिये क्या सरकार कोई उपाय कर रही है ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

मान्यवर, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि नदी में सिल्ट सफाई कराने की कोई योजना नहीं है लेकिन वहां जल प्लावन की समस्या है जिससे पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है । इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सिल्ट सफाई की कोई योजना बना रहे हैं जिससे वहां जल प्लावन की समस्या दूर हो सके ?

श्री मंगल सिंह सैनी–

इतनी लम्बी नदी की सफाई कर पाना सम्भव नहीं है । इसलिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

भविष्य में क्या कोई इस तरह का प्रोग्राम है ?

श्री मंगल सिंह–

नहीं ।

तारांकित प्रश्न

1—श्री राजधारी सिंह–

(मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया)

जनपद सन्त रविदास नगर ज्ञानपुर क्षेत्र कोनियां, ग्राम दुगुना के किसानों से ज्ञानपुर नहर तथा खेमापुर पंप कैनाल दोनों द्वारा सिंचाई शुल्क लेने का प्रकरण/जांच कर कार्यवाही की मांग

2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर ज्ञानपुर के कोनिया क्षेत्र के दुगुना ग्राम के किसानों को ज्ञानपुर नहर तथा खेमापुर पंप कैनाल दोनों के द्वारा सिंचाई शुल्क लिया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

इस प्रकरण की जांच एक समिति गठित करके करायी जा रही है ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिन्थेटिक और मिलावटी दूध की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

*3—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिन्थेटिक और मिलावटी दूध की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ? क्या ''धारा'' तथा ''पराग'' दूध के नमूनों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या सिन्थेटिक दूध पर रोक के लिये कानून में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है । यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सिन्थेटिक एवं मिलावटी दूध बिक्री पर रोक लगाने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं नियमावली 1955 के प्रविधानों के अनुसार नमूने लिए गये प्राप्त नमूनों को जनविश्लेषक प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया एवं अपमिश्रित पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की गयी तथा अपमिश्रणकर्त्ताओं को आई०पी०सी० की धारा 272/273, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज करने की कार्यवाही की गयी । अपमिश्रित/सिन्थेटिक दूध के बिक्री आदि को रोकने हेतु समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर छापामार कार्यवाही की गयी ।

जी हां ।

"धारा" दूध के प्राप्त 2 नमूनों में दोनों में तथा "पराग" दूध के कुल 24 प्राप्त नमूनों में 13 नमूनों में अपमिश्रण पाया गया । दोषियों के विरुद्ध अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार न्यायालय में अभियोजन चलाने की कार्यवाही की गयी ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि यह जो सिंथेटिक दूध एवं अपमिश्रण वाला दूध बिक्री किया जा रहा है यह सीधे-सीधे जनजीवन के साथ खिलवाड़ है । मंत्री जी ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर छापामार की कार्यवाही की गई थी मैं जानना चाहता हूं कि यह जो कार्यवाही की गई यह बन्द कर दी गई है अथवा आज की तारीख में भी यही प्रक्रिया जारी है और अगर जारी है तो क्या सरकार बताने में सक्षम है कि 31 दिसम्बर तक कितनी ऐसी छापामार कार्यवाही की गई और कितने लोगों के विरुद्ध क्या-क्या अभियोजन की कार्यवाही की गई ? दूसरे क्या इसको रोकने के लिए कोई कानून बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? सरकार ने उत्तर दिया है कि जी हां तो मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है यह कानून कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और यह कब तक लागू हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है । आज की तारीख में भी यह कार्यक्रम जारी है । जो अपमिश्रण वाला और सिंथेटिक दूध बेचने वाले हैं उनके बारे में दिसम्बर तक नहीं आज तक बता दूं कि 8,012 नमूने में जांच की गई । नमूनों की संख्या 7,047 अपमिश्रित नमूनों की संख्या 4,336 मिली है । मिलावटी दूध बेचने वालों को गिरफ्तार करने की संख्या 240 आई०पी०सी० की धारा 272/273 के अन्तर्गत 207 मुकदमें दर्ज किये गये एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 31 लोगों को बन्द किया गया । ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है । इस अपराध को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए एक व्यवस्था तय की है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय विभाग से परामर्श करके भारत सरकार को भेजने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कब तक हो जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

यह जल्दी बनाकर भारत सरकार को भेज देंगे एवं वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसको तुरन्त लागू कर देंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

यह जो सिंथेटिक दूध व अपमिश्रित दुध है इसका निर्माण करने का कोई क्षेत्र विशेष चिन्हित किया गया है ? तो वह कौन सा विशेष क्षेत्र है ?

श्री रमापति शास्त्री–

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से कुछ आयी थी और कार्यवाही भी की गई थी । पूरे प्रदेश में हम तत्परता से कार्यवाही कर रहे है । अपमिश्रित करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा ।

4—डा० धर्मेंद्र मिश्र–

[दिनांक 5-1-2000 को डा० प्र० सं० 28 द्वारा उत्थापित]

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में नहर की पटरियों को पक्की कराने का सरकार का निर्धारित लक्ष्य तथा उसे पूर्ण कराने की मांग

5—श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितने किलोमीटर नहर की पटरियों को पक्की कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार वांछित लक्ष्य को उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

1000 कि०मी० ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्ष 1999-2000 में 1000 कि०मी० लम्बाई की पटरियों को पक्का किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश की सहकारी निजी चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

*6—श्री राम ललित चौधरी तथा श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी तथा निजी चीनी मिलों पर अब तक किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना मूल्य अधिनियम 1953 की धारा–17 के अनुसार अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

प्रदेश की सहकारी तथा निजी चीनी मिलों पर वर्ष 1998-99 व वर्ष 1999-2000 में 18-3-2000 तक की स्थिति के अनुसार निम्नवत् गन्ना मूल्य बकाया है :–

नाम सेक्टर	वर्ष	बकाया गन्ना मूल्य (करोड़ रु० में)
सहकारी क्षेत्र	1998-99	शून्य
	1999-2000	154.51
निजी क्षेत्र	1998-99	10.98
	1999-2000	480.02

गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है । गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने के प्रकरण पर निजी चीनी मिलों द्वारा मा० न्यायालय में रिट दायर कर दिये जाने के फलस्वरूप मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, हर बार यह सवाल सदन में आता है कि गन्ना मूल्य के बकाये पर ब्याज दिया जायेगा कि नहीं दिया जायेगा । उत्तर देने के लिये चीनी मिल मालिकों से मिल करके चीनी मिल मालिकों को न्यायालय में भेज दिया जाता है और उत्तर दे दिया जाता है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय मंत्री जी इसी का उत्तर दे दें । क्या सरकार चीनी सत्र भुगतान के लिये कुछ ऐसा नियम बनायेगी कि जो चीनी मिलें जितना प्रतिशत गन्ना मूल्य तक का रखेंगी क्या अगले वर्ष की पिराई सत्र में उतना प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल उक्त भुगतान न करने वाली चीनी मिल से काटकर तत्काल भुगतान करने वाली चीनी मिल को देने पर विचार करेंगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जहां तक गन्ना मूल्य के भुगतान का सवाल है हमारी सरकार ने इसे टॉप प्रायरिटी पर माना है । 1998-99 में 3260 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था, जिसके सापेक्ष 3245.34 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, मात्र 14 करोड़ रुपये शेष है । इसमें से 3 करोड़ 68 लाख का भुगतान बन्द चीनी मिलों का है । इसमें भी हमने तय कर दिया है कि 3 इन्सटालमेंट में दिया जाय । पहली किश्त मार्च में दे दी गई है । जहां तक प्राइवेट मिलों का सवाल है, चूंकि मामला हाईकोर्ट में लम्बित है । इस वर्ष के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं कि इस वर्ष गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छा रहा है । 27 मार्च, 2000 की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं 3287.29 करोड़ दिया जाना था, इसके सापेक्ष 2531.95 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जो 77.07 प्रतिशत आता है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिथि को 2768 करोड़ रुपये का प्रतिशत आता है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिथि को 2768 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था जिसके सापेक्ष 2 हजार 98 लाख 28 करोड़ का भुगतान किया गया जो कि 76.02 प्रतिशत है । माननीय सदस्य का जहां तक यह प्रश्न है कि पिछले वर्ष का भुगतान कुछ चीनी मिलों द्वारा किया जाना है, चूंकि हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है और यू० पी० शुगर मिल एसोसिएशन ने रिट दायर कर रखी है और 22-3-99 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब ने यह जानना चाहा है कि जो चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पा रही हैं उनका उतना प्रतिशत गन्ना क्षेत्र अगले वर्ष कटौती कर लिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैंने अभी विस्तारपूर्वक बताया कि इस वर्ष गन्ना मूल्य का भुगतान तुलनात्मक बहुत अच्छा है कारपोरेशन सेक्टर में 68 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है । सरकार की प्राथमिकता है कि गन्ना मूल्य का भुगतान वरीयता से किया जाय ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, हर बार माननीय मंत्री जी बयान देते हैं कि मिल बन्द होने से पहले गन्ना मूल्य का भुगतान हो जायेगा । जुलाई में भुगतान हो जायेगा, जून में भुगतान हो जायेगा । हर बार इसी तरह के बयान आते हैं । मैं असत्य बयानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता । मैं माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं अगले सत्र में उन पर अंकुश लगाने के लिये उनका उतना प्रतिशत गन्ना क्षेत्र की कटौती करके ऐसी मिल को देने की कृपा करेंगे जो समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करती है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय, इस सदन में चर्चा हुई थी कुछ सरकारी चीनी मिलें बन्द हुई थी तो उसके विरोध में यहां बात आई थी। यह मिलें बन्द न हों। सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलें चलें सरकार प्रयास करती है कि किसानों को गन्ने का मूल्य का भुगतान समय पर हो। जो चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुमरपाल सिंह–

माननीय अध्यक्षजी महोदय, इस सदन में यह प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर आता है कि पूरन प्रतिशत का भुगतान हो गया है। मेरा यह सवाल है कि ऐसा कौन सा मिल है जिस पर कई-कई सालों से बकाया है। मनकापुर, गोंडापुर मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें हैं जिन्होंने किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है और बड़ा परेशान करके किसान से काम ले रही है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उनके गन्ने का सेस काटेंगे, उनका लिंक एरिया कम करेंगे

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय सदस्य ने जिस चीनी मिल के बारे में कहा है उनका गन्ना डाइवर्ट किया गया है। आवश्यकता पड़ी तो आर० सी० भी जारी की जायेगी।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मंत्री से पूरा उत्तर तो दिलवा दीजिये।

श्री अभिषेक–

माननीय मंत्री जी को तो उत्तर देना है वह तो देंगे।

रामनेज यादव (एडवोकेट)–

गन्ना की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री जी जो भी जवाब दे रहे हैं उससे ऐसा नहीं लगता है कि वह इसके प्रति बहुत सचेत हैं कि गन्ना किसानों का हित हो सके।

(सदन की लाइट चली गई।)

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतना प्रतिशत सरकारी मिलों से और इतना प्राइवेट मिलों से बकाया बाकी है। किन मिलों से आपका ऐसा कौन सा सम्बन्ध है कि वो किसानों का शोषण कर रहे हैं? कितनी ऐसी चीनी मिलें हैं जब से आपने यह काम देखा है वह बन्द हो गई हैं? क्या उनका असर पैराई और भुगतान पर नहीं पड़ रहा है? यह एक अहम् समस्या इससे जुड़ा है। प्रदेश में जरदारी रोड मानमाग और लिन्कोलिंग सी बंद हो गई इसको चालू करने की व्यवस्था करायें और मजदूरों की जो छटनी हुई है उनको रोजगार रोड भेजा जा रहा है?

श्री राम सिंह सलो–

मेरे क्षेत्र में धामपुरी शुगर चीनी मिल है इस पर पिछले वर्ष 6 करोड़ बकाया था, एक बैठक हुई उसमें गन्ना किसानों ने कहा कि गन्ना नहीं देना चाहते हैं लेकिन लक्सर को दिया जाए तो वह भी नहीं दिया गया और इस पर 6 करोड़ के अलावा साढ़े सात करोड़ गन्ने की कीमत बकाया है वहां के किसान आन्दोलन कर रहे हैं। उनको न तो साढ़े सात करोड़ पर ब्याज दिलवाया जा रहा है और न गन्ना लिया जा रहा है तो हम चाहते हैं कि इसको डायवर्ट देवबंद या लक्सर के लिए करवा दें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

इसको ऐच्छिक कर दिया गया है डायवर्ट कर दिया गया है।

श्री राम ललित चौधरी–

चीनी मिल मालिकों ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिया, आप कह रहे हैं,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों ने ब्याज न देना पड़े इसके लिए न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर दिया लेकिन क्या आप स्थगन के लिए न्यायालय में गए ?

श्री नागराज सिंह–

मान्यवर, 1960 के नियमों में यह प्रविधान है कि मिल मालिक यदि भुगतान नहीं करते हैं तो 15 प्रतिशत की दर से विलम्बित भुगतान में ब्याज देंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पिछले वर्ष सरदारनगर पर आर० सी० जारी की गयी उसमें वह स्थगन आदेश ले आये। चिलबलिया पर आर० सी० जारी की गई उसमें भी वह स्टे ले आए, बिलहरी में आर० सी० जारी की गयी वह स्टे ले आये। इसमें प्रयास चल रहा है कि हाई कोर्ट का स्टे वेकेट कराया जाए। ताकि गन्ना किसानों को भुगतान हो सके।

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, जो चीनी मिल से भुगतान हो रहा है वह कम्प्यूटर से भुगतान हो रहा है कम्प्यूटर ईमानदारी से भुगतान नहीं कर रहे हैं बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको 10 पर्ची की जगह 200 चली गई है तो क्या मंत्री जी इसमें विधिवत् जांच करायेंगे। उरवल रोड और नानपारा में जो कम्प्यूटर लगाये गये हैं वहां दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे और जो भुगतान किसानों को पर्ची से हो रहा है उसको कम्प्यूटर और बैंक से न कराकर सोसाइटी को पुनर्जीवित करके उनसे भुगतान करायेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कहीं का स्पेसिफिक केस हो तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री अब्दुल कलाम–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मिल के खिलाफ आर० सी० जारी कर दी गयी है लेकिन आर० सी० जारी कर देने से किसानों को बकाया नहीं मिल जाएगा। खलीलाबाद चीनी मिल बन्द पड़ी है क्या मंत्री जी किसानों का भुगतान करायेंगे ? मान्यवर, वह मिल चालू होगी या नहीं, किसानों का भुगतान होगा कि नहीं यह मैं जानना चाहता हूं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, खलीलाबाद चीनी मिल पर 5.43 लाख रुपया बाकी था जिसमें से 48 लाख का भुगतान हो चुका है और शेष भुगतान के बारे में प्रयास किया जा रहा है।

श्री अब्दुल कलाम–

मान्यवर, यह भुगतान कब तक करा दिया जायेगा। आज किसानों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है। पैसा न होने के कारण वह शादी नहीं कर पा रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यदि हो सके तो कोई स्पेसिफिक टाइम बता दें । इसमें जल्दी भुगतान की कार्यवाही की जाय ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह पिछले वर्ष का मामला है और सरकार का प्रयास है कि इसमें जल्दी भुगतान करायें।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जो किसानों का पेमेन्ट है उसे मय ब्याज के भुगतान कराने लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि न्यायालय में विचाराधीन है । मान्यवर, कोई स्थगन आदेश नहीं है । आज कई चीनी मिलें किसानों का मय ब्याज के भुगतान कर रही हैं । तो क्या इसी तरह से शेष चीनी मिलों से भी मय ब्याज के भुगतान माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, 22-3-99 का निर्णय है । इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि भुगतान किया जाय । सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दिया है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आज किसानों का करोड़ों रुपये का बकाया चीनी मिलों पर बाकी है । हर सत्र में यह सवाल उठाया जाता है लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है । यह सरकार किसानों का शोषण कर रही है और किसानों के बकाये का भुगतान नहीं करा पा रही है । यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह किसान विरोधी सरकार है । इसलिए हम इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री समरपाल सिंह एवं श्री कौकब हमीद अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें ।

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के सरकार की कार्य योजना

*7—श्री संजय गर्ग, श्री बशपाल सिंह चौहान तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी, हां ।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की विधियों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अक्टूबर, 1997 से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत समुदाय को उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं अभिरुचि के अनुरूप ग्राहकतापूरक, गुणवत्तापूरक सेवायें उनके निकटतम् स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं ।

प्रदेश की कतिपय चीनी मिलों को बन्द करने का कारण तथा कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया की जानकारी

*8–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ चीनी मिलों को बन्द करने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसी चीनी मिलें कौन-कौन हैं ? क्या बन्द की जा रही मिलों के कर्मचारियों को कहीं अन्य विभागों में समायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गत वर्षों में निगम की कुछ मिलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

निगम की निम्नलिखित चीनी मिलों को शासन द्वारा बन्द कर दिया गया है :–

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम
1	बाराबंकी
2	बरेली
3	महोली
4	नवाबगंज
5	नन्दगंज
6	रामपुर
7	मुण्डेरवा
8	घुंघली
9	खुतौनी
10	मेरठ
11	हरदोई

इन मिलों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है अपितु इन मिलों के कुछ कर्मचारियों को रिक्त स्थान की पूर्ति एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य मिलों में स्थानान्तरण किया गया है। चूंकि उपर्युक्त मिलों के कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है अतः इन मिलों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित नहीं किया जायेगा।

*9–"मास्टर" छोटे लाल गंगवार, श्री शरदवीर सिंह, श्री राम सिंह तथा श्री गोपाल कृष्ण–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम असौसा में बेसो नदी की बाढ़ रोकने हेतु सरकार के उपाय

*10–श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-9-99 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ सिंचाई विभाग शारदा सहायक खण्ड–23 तथा बाढ़ खण्ड, आजमगढ़ के अधिकारियों ने असौसा ग्राम में बेसो नदी के ऊपर बनी नहर तथा पुल का निरीक्षण करके अगस्त तथा सितम्बर, 1999 में आयी बाढ़ के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कारणों की समीक्षा की है ? यदि हां, तो यह कारण क्या है ? सरकार भविष्य [illegible] से बचाव हेतु क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । ऐसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अवरुद्ध एवं निरन्तर बहते होने के कारण अल्प समय के लिए जल संचय की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । वर्तमान में इस नियंत्रण हेतु ऐसी नदी पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा हेतु मानक

*11. श्री हरगोविन्द कुशवाहा–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया दर्शाने की [illegible] विकलांग जन एक्ट 1995 के अनुसार परिभाषित कर परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्र सुविधा दिये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुविधा हेतु विकलांगता के प्रतिशत भी निर्धारित किया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

विकलांगों को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्र सुविधा माह जुलाई, 1995 से प्रदान की जा रही है । विकलांगों को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समाविष्ट नियमावली में विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि उक्त सुविधा नियमावली के प्राविधानानुसार निम्न अंगों के वर्गीकरण के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है :–

1. जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि (लो-विजन) हों । (विकलांग जन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार) ।

2. जो पूर्ण रूप से मूक हों, बधिर हों या दोनों हों (विकलांग जन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार)

3. जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्णरूप से कटे हों ।

4. जिनके एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों ।

5. जो मानसिक रूप से मंदग्रस्त हों । (विकलांग जन अधिनियम, 1995 की परिभाषा के अनुसार)

6. जो लेप्रोसी मुक्त विकलांग हों ।

प्रदेश में पोलियो, कैंसर तथा एड्स बीमारियों से प्रभावित जनपदों में सरकार द्वारा रोकथाम एवं निदान हेतु किये गये उपाय

*12. कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन दस जनपद पोलियो, कैंसर, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से सर्वाधिक प्रभावित हैं ? प्रदेश में इन रोगों के रोगियों की संख्या कितने प्रतिशत है ? क्या सरकार इनके रोकने और रोगियों के निदान हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री:-

प्रदेश में पोलियो, कैंसर तथा एड्स बीमारियों से प्रभावित होने वाले 10 जनपद क्रमशः निम्नवत् हैं :--

(क) **पोलियो**

बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गोण्डा, बहराइच, आजमगढ़, मैनपुरी, अलीगढ़, मेरठ तथा खीरी ।

(ख) **कैंसर**

मैनपुरी, इलाहाबाद, इटावा, वाराणसी, आजमगढ़, खीरी, एटा, फर्रुखाबाद, बदायूं तथा फिरोजाबाद ।

(ग) एड्स

लखनऊ, गोरखपुर, गोण्डा, फैजाबाद, बस्ती, कानपुर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बाराबंकी तथा अम्बेडकर नगर ।

प्रदेश में पोलियो, कैंसर तथा एड्स के रोगियों की संख्या के प्रतिशत निम्नवत् है :-

(1) पोलियो–0–15 वर्ष के 682 लाख बच्चों में पोलियो केस का विश्व दर 0.04 है ।

(2) कैंसर–विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित उ० प्र० हेल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बर्डन आफ डिजीज सर्वे में उपलब्ध सूचना के आधार पर कैंसर का व्यापकता दर 12.4% है, जिसमें 3.45 प्रतिशत रोगी विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती किये जाते हैं एवं इनकी मृत्यु दर 1.5% है ।

(3) एड्स–सर्वेलेन्स केन्द्रों से प्राप्त विभिन्न रोगियों के 1,25,273 रक्त नमूनों में 1886 एच० आई० वी० धनात्मक पाये गये । सेरो पाजिटिविटी दर 12.6 प्रति हजार है । कुल 234 पूर्ण एड्स रोगी भी सूचित हुए हैं ।

पोलियो रोग की रोकथाम एवं निदान हेतु प्रदेश में सामान्य पोलियो प्रतिरक्षीकरण, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान तथा ए० एफ० पी० सर्विलेंस कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । इसी प्रकार से राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कैंसर प्रिवेन्शन एण्ड अर्ली डिटेक्शन परियोजना प्रदेश के पांच जनपदों में चलाई जा रही है । यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है जिसमें जांच सम्बन्धी उपकरण, प्रचार-प्रसार, चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण तथा अति गम्भीर रोगियों के इलाज एवं विविध कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 15 लाख रुपया प्रति जनपद के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी है । एड्स के संदर्भ में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार द्वितीय चरण की परियोजना आरम्भ हो गयी है । यह शत-प्रतिशत विश्व बैंक पोषित परियोजना है, जो वर्ष 2009 से 2014 तक प्रदेश में संचालित की जायेगी । एड्स के इलाज अथवा बचाव की कोई वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हो पायी है । परियोजना का लक्ष्य प्रदेश में एच० आई० वी०/एड्स के प्रसार को कम करना है जिससे कि इसमें होने वाले प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक परिणामों एवं मृत्यु दर को कम किया जा सके व एच० आई० वी० के प्रसार के कारण होने वाले दूरगामी प्रभावों को कम किया जा सके ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(1.5.) श्री विनोद मिश्र:

(1) गुरुवार को तारां० प्र० सं०–7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद सीतापुर, महमूदाबाद चीनी मिल के गन्ना किसानों के बकाये मूल्य के भुगतान की मांग

14–डा० अम्मार रिजवी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि महमूदाबाद चीनी मिल के अन्तर्गत आने वाले हजारों किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त किसानों के गन्ना मूल्य का अद्यतन भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां। वर्ष 1998-99 के केवल उन्हीं गन्ना कृषकों का कुल रु० 8.37 लाख भुगतान चीनी मिल समिति के पास सुरक्षित है जिनके बैंक खाता नहीं खुले हैं। जैसे ही सम्बन्धित गन्ना कृषक बैंक खाता की सूचना समिति को देंगे उनके खाते में धनराशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी। वर्ष 1999-2000 के लिये भुगतान की एडवाइज भेजी जा रही है। चीनी मिल अध्यासी व जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिन गन्ना कृषकों के खाता बैंक में नहीं खोले गये हैं उनकी सूची तैयार कर सम्पर्क करके उनके खाता 15 दिनों में खुलवाकर भुगतान सुनिश्चित करायें।

शासन द्वारा रामपुर चीनी मिल को बन्द करने का निर्णय तथा कर्मचारियों का समायोजन

*15–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रामपुर चीनी मिल को शासन ने बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसमें कार्यरत लगभग 1200 कर्मियों को अन्यत्र कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

रामपुर चीनी मिल के कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस मिल के कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित नहीं किया जायेगा। अपितु इस मिल के कुछ कर्मचारियों का रिक्त स्थान की पूर्ति एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य मिलों में स्थानान्तरण किया गया है।

*16–श्री बाबू खां–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

पूर्वांचल में गन्ना उत्पादन क्षमता को देखते हुए समय से गन्ना पेराई कराने की मांग

*17–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल में बढ़ते गन्ना उत्पादन को देखते हुये क्या समय से गन्ना पेराई कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 1999–2000 में जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/पेयजल कार्यक्रम द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का विवरण

*18—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जाति पेयजल कार्यक्रम के अधीन अवमुक्त धनराशि की तिथि एवं उक्त धनराशि को यू० पी० आई० एल०, यू० पी० एग्रो एवं जल निगम को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के चेक संख्या व तिथि क्या है ? कार्यदायी संस्था के चयन का आधार क्या है ? क्या कार्यदायी संस्था के चयन हेतु शासनादेश का पालन जनपद प्रतापगढ़ में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जिला योजना वर्ष 1999–2000 में अनुसूचित जाति/पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रकार से कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की गयी है :––

क्रम	कार्यदायी संस्था	चेक सं० व दिनांक	धनराशि (लाख रु० में)
1	यू० पी० एग्रो	732496/15-5-99	45.10
2	यू० पी० आई० एल०	732497/15-5-99	20.10
3	यू० पी० आई० एल०	923402/18-5-99	20.00
4	जल निगम–प्रथम	040467/3-11-99	7.40
5	जल निगम–द्वितीय	040468/3-11-99	7.40
	योग :–		100.00

आयुक्त, ग्राम्य विकास से जांच करायी जा रही है । जांच के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

मे० माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज में अनियमितता

*19–श्री अक्षयवर लाल–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि मे० माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज के बिस्कुट इन्स्टेड के अन्तर्गत म्युनिस्पल कारपोरेशन आफ दिल्ली की सी० बी० आई० जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या इसी संस्था से अक्टूबर, 1998 से 2 वर्ष के लिये पुष्टाहार की आपूर्ति लेने का निर्णय विभाग ने किया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसी बदनाम संस्था के साथ अनुबन्ध करने वाले अधिकारी के खिलाफ शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

सी० बी० आई० जांच की कोई जानकारी विभाग को नहीं है । कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष बढ़ाई गई है ।

प्रदेश में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण जनहित में अनुबन्ध की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक था । जहां तक संस्थान के बदनाम होने का प्रश्न है, इस आशय के कोई तथ्य विभाग के संज्ञान में नहीं हैं । ऐसी स्थिति में संस्था के साथ अनुबन्ध करने वाले अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री बिरजू सिंह कारगिल युद्ध में शहीद , ग्राम सपहा पाठक, पो० बाजार गोसाई, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ के परिवार को देय सहायता न प्रदान किये जाने का कारण की जानकारी

*20–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने कारगिल युद्ध (आपरेशन विजय) के दौरान प्रदेश के शहीद हुए सैनिकों के परिवार को क्या कोई आर्थिक सहायता एवं सम्मान देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त सहायता एवं सम्मान प्रदेश के कितने शहीदों के परिवार वालों को नवम्बर, 1999 तक दिया जा चुका है और कितने परिवार वालों को दिया जाना शेष है ? क्या शहीद श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री बिरजू सिंह ग्रा० सपहा पाठक, पो०– बाजार गोसाई, थाना रौनापार जिला–आजमगढ़ जो दिनांक 25-8-99 को शहीद हुए, के परिवार वालों को कोई सहायता एवं सम्मान दिया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त परिवार को कब तक सहायता एवं सम्मान दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

कारगिल युद्ध (आपरेशन विजय) के दौरान प्रदेश के शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता एवं सम्मान दिये जाने के सम्बन्ध में सूच्य है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में कई निर्णय लिये गये हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय शहीद परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का है । उक्त के अतिरिक्त शहीद सैनिक की पत्नी को शासकीय सेवा के समूह ''ग'' व ''घ'' में उसकी अर्हता को दृष्टिगत रखते हुए सेवायोजन का प्रावधान है । शहीद पत्नी के सेवायोजन हेतु अनिच्छुकता की स्थिति में 5000/- रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है । शहीद सैनिकों के माता-पिता को 2500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा शहीद परिवारों पर यदि राज्य सरकार का कोई देय ऋण है तो उसे माफ किये जाने का निर्णय लिया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त शहीद परिवार के बच्चों को शिक्षण में सहायता के संदर्भ में छात्रवृत्ति दिये जाने, शहीद परिवार को ग्रीन कार्ड जारी करने, शहीद के मूल निवास के एक मार्ग का नामकरण उस शहीद के नाम से किये जाने आदि के भी निर्णय लिये गये हैं ।

प्राप्त सूचनानुसार कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों में अब तक 182 शहीद परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा 15 परिवारजनों को उक्त सहायता दिये जाने के संबंध में मध्य कमान से स्थिति सुस्पष्ट करायी जा रही है । कारगिल शहीद परिवारों को अन्य सहायतायें भी दी जा रही हैं ।

सेना मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार शहीद सैनिक श्री गुलाब सिंह की मृत्यु ''आपरेशन रक्षक'' में हुई थी अतः इनके परिवारजनों को कारगिल युद्ध (आपरेशन विजय) हेतु अनुमन्य सहायता देय नहीं है । इनके परिवार को सहायता दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आर्म्स फोर्सेज सहायता संस्थान का ध्यानाकर्षण किया गया है जिनके परामर्शानुसार इस सम्बन्ध में मध्य कमान को भी अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा जा चुका है ।

जैसी की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि उपरोक्त प्रकरण में कारगिल युद्ध (आपरेशन विजय) के अन्तर्गत देय सहायता अनुमन्य नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई विभाग में समूह 'ग' में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

1—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु समूह ''ग'' में कनिष्ठ लिपिक/आशुलिपिक/प्रारूपकार के कितने-कितने पदों

पर विज्ञापन कर दिनांक 13-12-98 को चयन कराया गया था ? क्या चयनित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 13-12-98 को कोई चयन नहीं कराया गया है बल्कि कनिष्ठ लिपिक के 375, आशुलिपिक के 38 एवं प्रारूपकार के 29 पदों पर भर्ती हेतु किये गये विज्ञापन के अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी ।

जी नहीं ।

चयन प्रक्रिया प्रगति में है ।

सिंचाई खण्ड, लखनऊ में वर्ष 1973 से कार्यरत कर्मियों को नियमित करने की मांग

2—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शा०दे०सं० 2146/सि०–7, दिनांक 12-5-1997 में अनु०जा०/जन जा० के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को सम्वर्गवार उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध 10 दिनों के भीतर नियमित किये जाने तथा उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने का कोई आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो सिंचाई खण्ड लखनऊ में कितने कार्यप्रभारित कार्मिक ऐसे है जो वर्ष 1973 से कार्यरत है और जिन्हें नियमित नहीं किया गया है ? क्या उनसे कनिष्ठ कर्मिकों को नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बचे कर्मचारियों को शीघ्र नियमित किये जाने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

केवल एक कर्मचारी श्री बच्चू लाल कार्य प्रभारित बेलदार ।

जी हां, श्री बच्चू लाल को भी सिंचाई खण्ड–1, इलाहाबाद में धावक के पद पर नियमित किया गया था, परन्तु श्री बच्चू लाल ने इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन देकर यह अनुरोध किया कि उन्हें सिंचाई खण्ड लखनऊ में ही नियमित किया जाय । वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी का पद सिंचाई खण्ड लखनऊ में रिक्त नहीं है ।

पदों की उपलब्धता के अनुसार कार्यप्रभारित कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की जाती है ।

जनपद हरदोई की तहसील सवायजपुर में राम गंगा से लेकर गंगा नदी के मेंहदी घाट पुल तक बाढ़ नियन्त्रण हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

3—डा० धर्मेंद्र मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई की सवायजपुर तहसील में राम गंगा से लेकर गंगा नदी के मेंहदी घाट पुल तक साठ कि०मी० बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु वहां बांध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1997, माह जुलाई, 1998 व अगस्त, 1998 में दिये गये पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो बांध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यह एक वृहद बाढ़ कार्य है, प्रदेश में सीमित वित्तीय संसाधन है । संसाधन की उपलब्धतानुसार कार्य योजना तैयार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई के नेवादा ड्रेन, सोनहार ड्रेन तथा अटवा अली मर्दनपुर ड्रेन की सफाई का मामला

4—डा० धर्मेश मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के 91– मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की नेवादा ड्रेन, सोनार ड्रेन तथा अटवा अली मर्दनपुर ड्रेन ऊसर सुधार निगम को हस्तानान्तरित कर दी गई हैं? इसकी सफाई हेतु वर्ष 1999–2000 में लक्ष्य पूरा करने हेतु कितना धन निर्धारित किया गया है ? क्या लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा कराया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की सोनार (वास्तविक नाम–सोनहार) ड्रेन भूमि सुधार निगम के अन्तर्गत डेडी कैटेड डिवीजन, सिंचाई खण्ड–2 उन्नाव को हस्तानान्तरित की जा चुकी है। शेष अन्य नेवादा ड्रेन व अटवा अली मर्दनपुर ड्रेनों का चयन भूमि सुधार निगम द्वारा न किये जाने के कारण हस्तानान्तरित नहीं की गई है ।

वर्ष 1999-2000 में कोई धन आवंटित नहीं किया गया । धन के आवंटन के अनुसार कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ० प्र०, लखनऊ में मण्डल/खण्डीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी में करने में नियमों के उल्लंघन का मामला

5—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, (अधिष्ठाता–4क–अनुभाग) सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ के का०ज्ञा० सं० 13528/ई–4क/च०श्रे०प्रो०/98, दिनांक 29-1-98 द्वारा कितने-कितने मण्डल/खण्डीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्पादित कराने हेतु समिति का गठन किया गया था ? आरक्षण कोटे के कितने-कितने कार्मिकों को पदोन्नति दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नतियों में नियमों का उल्लंघन किया गया है ? क्या सरकार उक्त परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । 10 मण्डलों एवं उनसे सम्बन्धित यूनिट के लिये समिति का गठन किया गया था ।

नियमानुसार एक कार्मिक को पदोन्नति दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई भवन लखनऊ में आयोजित खुली प्रतियोगिता में चयनित चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी पदोन्नति में आरक्षण का अनुपालन न करने का मामला

6—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) के प्रस्तर–3(6) में प्राविधान है कि "यदि उपधारा(1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति

योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो सिंचाई भवन, लखनऊ में आयोजित चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी की दिनांक 29-8-98 के परीक्षा परिणाम में क्या उक्त नियम का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि उक्त प्राविधान केवल सीधी भर्ती में लागू है ।

डा० कृपाशंकर शुक्ल, चिकित्साधिकारी आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवकली, जनपद इलाहाबाद के मृतक आश्रित के देयों के भुगतान की मांग

7—श्री तेजभान सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा० कृपाशंकर शुक्ल, चिकित्साधिकारी आयुर्वेद चिकित्सालय, शिवकली, जनपद इलाहाबाद में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 8-3-99 को हो गयी थी ? क्या उनके देयों (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि) का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या मृतक आश्रित के पुत्र मुक्तेश मोहन शुक्ल द्वारा सेवा में लिये जाने हेतु आवेदन–पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक सेवायोजित कर लिया जायेगा ?

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मृतक के आश्रित पुत्र श्री मुक्तेश मोहन शुक्ल को दिनांक 1-9-99 की सेवायोजित किया जा चुका है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में ''विधि समन्वय प्रकोष्ठ'' की स्थापना एवं कार्य का निष्पादन

8—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में ''विधि समन्वय प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो कब और कितने स्टाफ सहित ? कार्य–वितरण विषयक विभागाध्यक्ष के ज्ञाप संख्या:9743/ई–1 क, दिनांक 23-12-1998 के अनुसार क्या उक्त प्रकोष्ठ द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । अतिरिक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विधि प्रकोष्ठ से ही विधि समन्वय प्रकोष्ठ का गठन हुआ था जिसके लिये अलग से स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है । विधि समन्वय प्रकोष्ठ को आवंटित कार्य का निष्पादन विधि अनुभाग में स्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों से कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सेवा निवृत्त के उपरान्त सरकारी आवास में रहने का औचित्य एवं मानक किराये की वसूली की मांग

9—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के ज्ञापांक : 1023/शा०स०अनु०, दिनांक 6-2-1996 द्वारा जिन नौ अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी भवनों पर

अवैध अध्यासन की अवधि अनुमन्य करते हुए कम दर पर किराये की कटौती स्वीकृत की गयी थी, उसके विरुद्ध शासनादेशानुसार दण्डात्मक किराये की कितनी देयता पूर्व में निर्धारित की गयी थी ? दण्डात्मक किराये की वसूली न होने से शासन को कितनी हानि हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय ज्ञापांकः 1023/शा०स०अनु०/92बी 1026डब्ल्यू/स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/आवास/दिनांक 6-2-96 द्वारा जिन नौ अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी भवनों में सेवा निवृत्त के पश्चात् सरकारी आवास के मानक किराये एवं मानक किराये के तीन गुने के आधार पर रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, उसके किराये की धनराशि रु० 44,761.00 थी । शासनादेश सं०-आर–8004/32-2-88/दिनांक 24-12-88 के अनुसार दण्डात्मक किराये की धनराशि रु० 2,60,574.75 थी ।

अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास में निवास करने की अनुमति तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता ने प्रदान कर दी थी । इस आदेश की वैधता और औचित्य का परीक्षण कराया जा रहा है । इसके पश्चात् ही हानि यदि कोई होगी, तो इसका आंकलन संभव होगा ।

लखनऊ जनपद में ''बख्शी का तालाब'' में सिंचाई विभाग की ''नलकूप कालोनी'' में लोक सेवकों को आवंटित कालोनी का विवरण

10—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के ''बख्शी का तालाब'' क्षेत्र में सिंचाई विभाग की ''नलकूप कालोनी'' के कौन-कौन से आवास किस-किस लोकसेवक को आवंटित हैं? वर्तमान में उक्त कालोनी में कितने आवास ऐसे हैं जिनमें सम्बन्धित लोकसेवकों द्वारा प्रवास नहीं किया जा रहा है ? क्या उनमें अवैध रूप से अपात्र व्यक्तियों द्वारा प्रवास किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ जनपद के ''बक्शी-का-तालाब'' क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नलकूप कालोनी में 12 आवास हैं, जो निम्नानुसार आवंटित किये गये हैं :–

क्रमांक	आवास सं०	आवंटी लोकसेवक का नाम	पद नाम
1	1	श्री मिथलेश कुमार सिंह	नलकूप मिस्त्री
2	2	श्री लक्ष्मी नारायण	नलकूप मिस्त्री
3	3	श्री रामचन्द्र पाण्डेय	कनिष्ठ लिपिक
4	4	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक
5	5	श्री दया राम	नलकूप चालक
6	6	श्री अशर्फी लाल	नलकूप चालक
7	7	श्री विक्रम	नलकूप चालक
8	8	श्री रामकलप यादव	नलकूप चालक
9	9	श्री असेसर सिंह	नलकूप चालक
10	10	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	नलकूप चालक
11	11	श्री रामचन्द्र	वरिष्ठ लिपिक
12	12	श्री सहज राम सिंह	नलकूप चालक

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में गौतमगढ़ी से पेरू तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने में धांधली की शिकायत, जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कृत कार्यवाही

11—श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, जामो, जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित हर भजन सिंह तथा अन्य निवासीगण ग्राम गौतमगढ़ी, गौरियाबाद, जामो सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ दिनांक 5-7-99 को प्राप्त कराया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बनवाये गये मार्ग की मजदूरी न मिलने की शिकायत है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांचोपरान्त मजदूरों को मजदूरी न देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

गौतमगढ़ी से पेरू तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य व पुलिया निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें लगाये गये मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है । अब किसी को मजदूरी का भुगतान किया जाना अवशेष नहीं है । अतः किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

सिंचाई विभाग के पुराने अभिलेखों को ''राजकीय अभिलेखागार'' लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देशों के पालन न किये जाने की जानकारी

12—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के पुराने अभिलेखों को ''राजकीय अभिलेखागार'' लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के परिपत्रांक : 3420/का0प्र0अनु–2/वि0स0प्र0, दिनांक 22-7-1997 के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अनूप शहर ब्रान्च के मील नं० 206 से 216 तक की सफाई न किये जाने सम्बन्धी शिकयती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13—श्री नेतराम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाखा अनूपशहर ब्रान्च के मील नं० 206 से 216 तक की सफाई न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र माह सितम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मील नं० 206 से 216 तक सफाई न कराने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अनूप शहर शाखा की कुल लम्बाई ही मात्र 128 मील है । इस शाखा के मील 106 से 116 तक वित्तीय संसाधनों की कठिनाई के कारण सफाई नहीं कराई गई ।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड पवई ग्राम व पोस्ट खण्डौरा में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाने की मांग

14—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उनको सम्बोधित मा० मंत्री, खेलकूद, युवा कल्याण प्रान्तीय विकास दल का पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1999 जोकि ग्राम व पोस्ट–खण्डौरा, विकास खण्ड–पवई, जनपद–आजमगढ़ में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक राजकीय ट्यूबवेल स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

किन्तु वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रतिबन्धित है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" के रिक्त पदों पर आरक्षण कोटा के अनुसार विकलांगों का आरक्षण पूर्ण करने की मांग

15—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद हरदोई में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत समूह "ग" के रिक्त पदों पर भर्ती में विकलांगों को शासनादेशनुसार आरक्षण सुविधा प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जनपद हरदोई में सण्डीला के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा वर्ष 1997-98 में वर्क आर्डर पर कृत कार्यों के भुगतान की मांग

16—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में सण्डीला के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा जो वर्ष 1997-98 में वर्क आर्डर पर कार्य कराये गये थे, उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को जून, 1999 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

वर्ष 1997-98 में वर्क आर्डरों से कराये गये कार्यों के विरुद्ध मात्र रुपये 3.51 लाख की देनदारियां अवशेष रह गयी हैं, जिनका भुगतान नियमानुसार किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं। भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, परगना खण्डासा, ग्राम भुआपुर से घोडवल तक चकरोड के डामरीकरण सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

17—श्री संजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के परगना खण्डासा के अन्तर्गत स्थित ग्राम भुआपुर से घोडवल जाने वाले चकरोड का डामरीकरण कराने से संबंधित

श्री बाबू लाल विधायक के पत्र पर ग्राम्य विकास मंत्री ने अपने आदेश संख्या–1753, दिनांक 2-8-99 द्वारा सी०डी०ओ० फैजाबाद को जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

उक्त आदेश का अनुपालन अद्यतन नहीं किया जा सका, क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में परिवर्तित हो चुकी है एवं इसकी समस्त धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित हो जाती है । सुनिश्चित रोजगार योजना अब जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा संचालित की जानी है । इन कारणों से डामरीकरण सम्भव नहीं हो सका ।

जनपद मथुरा, तहसील मांट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरीर के आयुर्वेदिक चिकित्सक की कतिपय शिकायत सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18.–श्री अजय कुमार पोइया

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरीर, तहसील मांट के आयुर्वेदिक चिकित्सक की कतिपय शिकायतों के सम्बन्ध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक –सी०एम०/वि०को०/एम–1/22098/मथुरा/99, दिनांक 6-4-99 उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक प्रकोष्ठ के पत्र दि० 31-5-99 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19.–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/ एम–2/ 14074/एटा/99, दिनांक 31-5-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?–

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)–

जी हां ।

प्राप्त आख्या के आधार पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20.–श्री भारत सिंह रावत–

[देखें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई, विकास खण्ड बिलग्राम, (नेशनल फेमली बेनीफिट स्कीम) के समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में लम्बित पत्रों के निस्तारण की मांग

21.–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित विकास खण्ड–बिलग्राम, माधोगंज तथा मल्लावां के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ (नेशनल

फेमिली बेनीफिट स्कीम) योजना से सम्बन्धित कितने प्रार्थना-पत्र समाज कल्याण अधिकारी हरदोई के कार्यालय में लम्बित पड़े हैं ? क्या सरकार इन लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण शीघ्र करवाकर इस योजना का लाभ प्रार्थना-पत्र-दाताओं को शीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र, जनपद हरदोई के विकास खण्ड विलग्राम, माधोगंज तथा मल्लावां के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बन्धित कुल 74 प्रार्थना पत्र समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में लम्बित हैं ।

लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जांचोपरान्त पात्रता के आधार पर 2 माह के अन्तर्गत सुनिश्चित किये जाने के निर्देश शासन द्वारा निदेशक, समाज कल्याण तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरदोई को दिये जा चुके हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ के अन्तर्गत कीटनाशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का औचित्य

22—श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय लखनऊ पर जन विश्लेषक के अधीन कीटनाशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी और केमिस्ट के पद पर कब और किसकी नियुक्ति की गयी ? स्थापना तिथि से अब तक कितने कीटनाशक औषधियों के नमूनों का परीक्षण उक्त प्रयोगशाला द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस निष्क्रिय यूनिट को समाप्त करते हुए सरकारी धन का अपव्यय रोकने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ के अधीन राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियों के जांच हेतु कीटनाशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दिनांक 15-12-1984 को की गयी थी । केमिस्ट के पद पर डा० एस० सी० तिवारी की नियुक्ति दिनांक 10-2-1993 को की गयी थी ।

स्थापना तिथि से अब तक कीटनाशक औषधि का कोई भी नमूना प्राप्त नहीं हुआ है, अतः किसी नमूने का परीक्षण नहीं किया गया ।

कीटनाशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के अन्तर्गत डा० एस० सी० तिवारी को केमिस्ट के पद पर तथा डा० एम० बी० सिंह एवं श्री अरविन्द लाल श्रीवास्तव की नियुक्ति जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट के पद पर की गयी है । उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों से खाद्य एवं औषधि के नमूनों के प्रमाणीकरण एवं परीक्षण का कार्य लिया जा रहा है । चूंकि भविष्य में कीटनाशक औषधियों की जांच की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः इस यूनिट को समाप्त करना उचित नहीं होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न आर्थिक समस्या के निदान की मांग

23—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ०

प्र० हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड की बिगड़ती दशा को सुधारने में हथकरघा बुनकरों की समस्या का समाधान उत्पादन व विपणन की समस्या के समाधान व प्रबन्धतन्त्र द्वारा की जा रही अनियमितताओं को सुधारने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

जी हां ।

हथकरघा निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु एक "पुनर्वासन पैकेज" बनाकर कार्यवाही की जा रही है । इसके अन्तर्गत :––

1–निगम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गयी है एवं इस उद्देश्य से अभी तक रु० 4.75 करोड़ ऋण के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

2–शासन द्वारा रु० 3.00 करोड़ कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया गया है ।

3–निगम को स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त हो रही ऋण साख सीमा को रु० 5.00 करोड़ से बढ़ाकर रु० 10.00 करोड़ करने हेतु आवश्यक शासकीय गारण्टी की अनुमति दी गयी है ।

4–उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु० 390.57 लाख की विपणन विकास सहायता उपलब्ध करायी गयी है ।

5–सभी शासकीय विभागों के लिये यह निर्देश जारी किये गये हैं कि वे अपनी आवश्यकता के वस्त्र हथकरघा निगम/यूपिका एवं खादी से ही क्रय करें ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में शासन की प्रशिक्षण नीति के अनुसार प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण न कराने की जानकारी

24––श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को शासन की प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1/1/98–का०प्रशि०को०/1998, दिनांक 27-2-98 तथा शासनादेश संख्या–1/1/ 1996–का०प्रशि०को०/98, दिनांक 2-8-1998 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय सिंचाई विभाग द्वारा अब तक कितने कर्मियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया है ? क्या यह सही है कि अभी तक किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं दिलवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 202 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलवाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण के केन्द्रों की स्थापना में विलम्ब सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25––श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4567/5–11–96/172/96, के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 43 मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण के कुछ केन्द्रों की स्थापना में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1999 तथा 28 मार्च, 1999 मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[देरे शुक्रवार में अना० प्र० सं०–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग में आरक्षित रिक्तियों को भरने में हुई अनियमितता की जानकारी

27–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में आरक्षित रिक्तियों को भरने एवं उक्त रिक्तियों को भरने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध किये गये [illegible] तथा वर्तमान तैनाती के स्थान का विवरण विधायक के सूचना [illegible] अनुसूचित जनजाति आयोग'' लखनऊ के पत्र संख्या–164(ग)–नौम–[illegible] दिनांक 29-9-99 द्वारा मांगी गयी है ? क्या वह उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उपलब्ध करायी गयी सूचना क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी सूचना का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, कार्यालय के अधिष्ठान में प्राप्त विधायक/सांसदों के पत्र पर कृत कार्यवाही

28–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग कार्यालय के अधिष्ठान–4क–अनुभाग/ 4ख–अनु०/ 2क–अनु०/2 ख–अनुभागों में विगत कैलेण्डर वर्ष–1998 से अब तक कितने पत्र माननीय विधायकों/सांसदों के प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितनों पत्रों की पावती 31-8-1999 तक सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजी गयी ? इस हेतु दोषी कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में इस्टेबिलशमेंट कैनाल कालोनी (कैण्ट रोड) पर बने क्वार्टर का किराया 2 रु० वसूलने का औचित्य

29–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित कैनाल कालोनी (कैण्टरोड) में जो इस्टेबिलशमेंट क्वार्टर्स बाहर से दौरे पर आने वाले लोकसेवकों के अवस्थान हेतु बने हुए हैं, क्या उनका प्रयोग वर्ष 1965 से आवासीय रूप में मात्र रु० 2/= प्रतिदिन की दर से किया जा रहा है ? क्या इस व्यय में बिजली/पानी की सुविधा भी शामिल है ? क्या इस वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं राजस्व हानि की वसूली की कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत क्वार्टर्स को सक्षम अधिकारी द्वारा आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया गया है। इसके लिये, लिये जा रहे दरों और इसके औचित्य एवं अन्य बातों का परीक्षण कराया जा रहा है।

मुख्य अभियन्ता शारदा/शारदा सहायक संगठन द्वारा नहरों की कटिंग रोकने विषयक कृत कार्यवाही

३०. श्री मोहन सिंह रावत गांधवासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरों की कटिंग रोकने विषयक शासकीय पत्रांक: 2222–एवी/98–27–सि०–4, दिनांक 28-12-1998 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (शारदा/शारदा सहायक) संगठन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कटिंग पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद/एफ० आई० आर० की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मियों का कोटा पूर्ण किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

31.—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मियों का कोटा पूर्ण किये जाने विषयक "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" के पत्रांक : आर–30/यू०पी०–30/98एसएसडब्लू–दो, दिनांक 26-11-1998 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आयोग का उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

क्योंकि उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सिंचाई विभाग में वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों हेतु स्थानान्तरण नीति

३२–श्री राजपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में वैयक्तिक सहायकों/आशुलिपिकों हेतु कोई स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ऐसे भी वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक कार्यरत हैं जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय कार्यरत रहने पर भी अभी तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है ? उन्हें कब तक स्थानान्तरित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

स्थानान्तरण प्रत्येक वर्ष निर्धारित होने वाली स्थानान्तरण नीति की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मियों का विभिन्न संवर्गों के आरक्षित पदों के विरुद्ध विनियमितीकरण/समायोजन

33–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 से अब तक वर्कचार्ज अधिष्ठान से विभिन्न संवर्गों में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को आरक्षित पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है ? क्या नियमित अधिष्ठान में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण-पत्र देने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों को संबंधित जिलाधिकारी को भेजकर जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1990 से 31-10-99 तक कार्यप्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत अनुसूचित जाति के 1245 तथा अनुसूचित जनजाति के 54 कार्मिकों को नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों के आरक्षित पदों के विरुद्ध विनियमितीकरण/समायोजन किया गया है ।

नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में समूह ''ग'' में कनिष्ठ लिपिक/आशुलिपिक प्रारूपकार के पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

34–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु समूह 'ग' में कनिष्ठ लिपिक/आशुलिपिक प्रारूपकार के कितने-कितने पदों पर दिनांक 13-12-98 को चयन किया गया ? कितने अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित कर नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा कितनी नियुक्तियां की जानी शेष हैं ? क्या शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 13-12-98 को कोई चयन नहीं कराया गया है, बल्कि कनिष्ठ लिपिक के 375, आशुलिपिक के 38 एवं प्रारूपकार के 29 पदों पर भर्ती हेतु किये गये विज्ञापन के अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी ।

306 पदों के चयन का अन्तिमीकरण करके 208 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है, जिनमें से 181 की नियुक्तियां की जा चुकी हैं । शेष नियुक्तियों की कार्यवाही प्रगति में है ।

अभ्यर्थियों के उपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण पूर्ण करने की मांग

35–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 7614/93-27 सिं०–7, दिनांक 30-12-93 में अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों को अन्य वर्गों से न भरे जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन सिंचाई विभाग में किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी यह भी

बतायेंगे कि अब तक कितने आरक्षित पदों को अन्य वर्गों के कर्मिकों से भरा गया है ? क्या आरक्षित पदों को अन्य वर्गों से भरे जाने पर रोक लगा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। सिंचाई विभाग द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

आरक्षित पदों को अन्य वर्गों के कार्मिकों से नहीं भरा गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

36–श्री अजय कुमार पोइया–

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आर्डिंग राजबहा लोअर डिवीजन आगरा कैनाल, आगरा में फर्जी कार्य के भुगतान सम्बन्धी शिकायती पत्र/कृत कार्यवाही

37–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्डिंग राजबहा, लोअर डिवीजन आगरा कैनाल, आगरा के फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान करने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०वि०को/एम–2/218933/मथुरा/99 दिनांक 1-4-99 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला देहरादून में श्री सुखदेव सिंह बिष्ट की पूर्ण अपंगता में सेवा समाप्ति का प्रकरण एवं देयों के भुगतान का प्राविधान न होना

38–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री सुखदेव सिंह बिष्ट सेवा निवृत्त ग्राम्य विकास अधिकारी, विकास क्षेत्र सहसपुर जिला देहरादून के दुर्घटना ग्रस्त होने पर दिनांक 26-8-85 को चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से अपंग घोषित करने पर विभाग ने इनकी सेवायें समाप्त कर दी थीं ? यदि हां, तो क्या इन्हें उ०प्र० रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स 1961 व न्यू फैमिली स्कीम 1965 के प्राविधानों के अनुसार अपंगता पेंशन दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। दिनांक 15-11-85 से श्री सुखदेव सिंह बिष्ट की सेवायें समाप्त कर दी गयी।

जी नहीं।

उ० प्र० सिविल सर्विसेज (एक्सट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 1961 के प्रस्तर–3 के उप प्रस्तर–4, वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 1-7-1989 के प्रस्तर–2 एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 से संबंधित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 8 अगस्त, 1986 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सुखदेव सिंह बिष्ट को अपंगता पेंशन अनुमन्य नहीं है।

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2) के कार्यालयों में खण्डीय/मण्डलीय संवर्ग के लिपिकों का संवर्ग परिवर्तित कर अन्य कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

39–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के किन-किन मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2) के कार्यालयों में खण्डीय/मण्डलीय संवर्ग के लिपिकों का संवर्ग परिवर्तित करके विभागाध्यक्ष कार्यालय संवर्ग में शामिल करने के उपरान्त वर्तमान में कार्य लिया जा रहा है ? संवर्ग परिवर्तन के कारण क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुख्य अभियन्ता (परियोजना) (पूर्व) स्तर–1 एवं मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम), शारदा/कार्मिक/नलकूप–पूर्व/उत्तर/जल संसाधन, अनुश्रवण एवं समन्वय वाराणसी परियोजना, सरदा एवं सामग्री/नलकूप मध्य के अधीन (ई०–3के/ई०–4थ) स्तर–2 के कार्यालय में पूर्व खण्डीय/मण्डलीय संवर्ग के लिपिकों का संवर्ग परिवर्तन कर विभागाध्यक्ष कार्यालय में शामिल करने के उपरान्त कार्य लिया जा रहा है ।

प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय संवर्ग में लिपिकों की कमी ।

40–श्री राजधारी–

(मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।)

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद में देवकली पम्प कैनाल प्रथम ड्रेन निर्माण एवं पुलिया निर्माण हेतु धन आहरित करके निर्माण कार्य न कराने के सम्बन्ध में जानकारी

41—श्री गणेश राजभर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में देवकली पम्प कैनाल प्रथम ड्रेन निर्माण एवं पुलिया निर्माण के कार्य हेतु क्या धन आहरित करने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । ड्रेनों पर मिट्टी के कार्य एवं पुलिया निर्माण हेतु डी० आर० डी० ए० से कुल रु० 18.01 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था । जिसमें से रु० 9.00 लाख का आवंटन गरार ड्रेन के कि०मी० 12.00 पर बी० आर० बी० के निर्माण हेतु किया गया था । इस बी० आर० बी० के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । किन्तु ड्रेन में पानी प्रवाहित होने के कारण प्रगति बाधित होने से उक्त आवंटित रु० 9.00 लाख उपभोग नहीं हुआ है । अवशेष रु० 8.92 लाख में से रु० 8.33 लाख का उपभोग करके निर्माण कराया जा चुका है ।

विभागीय मद से ड्रेनों पर मिट्टी एवं पुल के कार्य हेतु रु० 0.718 लाख का आवंटन हुआ था इस धनराशि का पूर्ण उपयोग निर्माण कार्यों पर किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई, तहसील शाहाबाद की शुगर फैक्ट्री रूपापुर द्वारा 1998-99 के गन्ने मूल्य का भुगतान

42–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील शाहाबाद में स्थित शुगर फैक्ट्री शरवापुर पर गन्ना उत्पादकों का कितना गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है ? सरकार उनका भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद हरदोई के तहसील शाहाबाद में स्थित शुगर फैक्ट्री रूपापुर द्वारा पेराई सत्र, 1998-99 का गन्ना उत्पादकों से क्रय किये गये गन्ना के मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई में लक्ष्मी शुगर मिल द्वारा वर्ष 1998 व 1999 में बकाये गन्ने मूल्य का भुगतान

43–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में चीनी निगम द्वारा संचालित लक्ष्मी शुगर मिल द्वारा वर्ष 1998 व 1999 में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कितने गन्ना उत्पादकों को किया गया है और कितने गन्ना उत्पादक कृषकों का गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है ? उनका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पेराई सत्र, 98-99 में हरदोई स्थित राज्य चीनी निगम की इकाई को कुल 9653 गन्ना कृषकों द्वारा रु० 547.20 लाख का गन्ना आपूर्ति किया गया था। इसके विरुद्ध अब 4840 कृषकों का रु० 112.51 लाख गन्ना मूल्य बकाया रह गया है।

निगम को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान के निर्देश दिये गये हैं।

वर्ष 99–2000 से हरदोई मिल बन्द है। अतः बकाया का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई में बिलग्राम रजबहा की सफाई कराने की मांग

44–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत बिलग्राम रजबहा जिसकी लम्बाई 24 कि०मी० है उसकी सफाई कई वर्षों से न होने के कारण संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रजबहा की सफाई करवा कर आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। बिलग्राम रजबहा की कुल लम्बाई 26.14 कि०मी० है तथा यह रजबहा कि०मी० 12.00 से कि०मी० 26.02 अर्थात् 14.02 कि०मी० मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है। इस रजबहा की टेल तक पानी पहुंचाने हेतु वर्ष 1995-96 में कि०मी० 0.00 से कि०मी० 16.2 तक, वर्ष 1997-98 में कि०मी० 0.00 से कि०मी० 24.0 तक एवं इस वित्तीय वर्ष 1999–2000 में कि०मी० 0.00 से कि०मी० 9.00 तक सफाई कराई गई है।

इस वित्तीय वर्ष 1999–2000 में राजबहा की सफाई कि०मी० 0.00 से कि०मी० 9.00 तक कराई जा चुकी है। शेष रीच की सफाई कराने का प्रस्ताव डी० आर० डी० ए० जनपद हरदोई को स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। डी० आर० डी० ए० से धनावंटन सुनिश्चित न होने के कारण वांछित व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० आर० डी० ए०, हरदोई से स्वीकृति एवं धनावंटन पर आधारित होने के कारण समय सीमा निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1998 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन आवंटन

45–श्री सन्त तथा श्रीमती माया प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ध्वस्त भवनों के निर्माण हेतु उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु धन दिये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या राजस्व ग्राम-महला, क्षेत्र पंचायत–पाली, तहसील सहजनवां, जनपद गोरखपुर के प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेतु धन कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं । वर्ष 1998 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से ध्वस्त भवनों के निर्माण हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराये जाने की कोई घोषणा नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय (मुख्यालय) पर कनिष्ठ लिपिक के सृजित पदों से अधिक लिपिकों के कार्यरत रहने का औचित्य एवं उनकी पदोन्नति की मांग

46–श्री सन्त–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय (मुख्यालय) पर कनिष्ठ लिपिक के सृजित पदों से अधिक लोग कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब तक इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? क्या निदेशालय के गठन से अब तक कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति कब तक की जायेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

निदेशालय (मुख्यालय) पर कुल 33 कनिष्ठ लिपिक तैनात हैं, जिनमें से 07 स्वीकृत पदों के विरुद्ध तथा 17 उच्चतर वेतनमान के लिपिक वर्गीय रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं । शेष 09 कनिष्ठ लिपिक निदेशालय स्तर पर विशिष्ट कार्यों हेतु सम्बद्ध किये गये हैं । आई० सी० डी० एस०–III कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा 14 लिपिक वर्गीय पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिन्हें सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरा जाना है । इन पदों पर निदेशालय में तैनात अतिरिक्त कर्मचारियों के समायोजन पर विचार किया जा रहा है । अतः अभी अतिरिक्त कनिष्ठ लिपिकों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न वर्तमान में विचारणीय नहीं है ।

जी नहीं ।

कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त ही पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में वरिष्ठ लिपिक के सृजित पदों पर कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति करने की मांग

47–श्री सन्त–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक के सृजित स्थायी पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सेवा नियमावली के अनुसार कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पदों पर तथा वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति की गई है ? यदि नहीं, तो पदोन्नति कब तक की जायेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के स्थायी पद विभाग में स्वीकृत नहीं हैं ।

जी नहीं ।

आवश्यक कार्यवाही अग्रसर है ।

सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) में गन्दगी, प्रदूषण एवं सफाई की विशेष व्यवस्था की मांग

48–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के अन्तर्गत सतपुली कस्बे में यात्रा सीजन के दौरान छः माह के लिये छः सफाई कर्मी को स्वास्थ्य विभाग तैनात करता रहा है ? यदि हां, तो क्या सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) में भयंकर गन्दगी प्रदूषण एवं सफाई की दुर्दशा को देखते हुए सरकार सफाई हेतु कोई विशेष व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

आवश्यकतानुसार समुचित सफाई व्यवस्था की जाती है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अधिष्ठान में कार्यरत आशुलिपिकों के प्रोन्नति/स्थाईकरण का मामला

49–श्री राम नक्षत्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अधिष्ठान–4–क–अनुभाग के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी जिस समय उसी अनुभाग मे वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत थे, क्या उनके द्वारा आशुलिपिकों के प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रस्ताव तैयार करते समय ऐसे 36 आशुलिपिकों के लिये पद आरक्षित नहीं कराये गये थे जिनकी चरित्र पंजिकायें संबंधित अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयीं थीं ? यदि हां, तो ऐसे आशुलिपिकों को यथा समय प्रोन्नति लाभ न प्राप्त होने हेतु दोषी लोक सेवक के संबंध में कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । चयन समिति द्वारा चरित्र पंजिकाओं के अभाव में प्रोन्नति हेतु 25 पद तथा स्थायीकरण हेतु 67 पद आरक्षित कराये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में की गयी नियुक्ति एवं वेतन भुगतान में अनियमितता का प्रकरण

50–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में वर्ष 1990-1992 तक कितने कर्मियों की नियुक्तियां की गई ? क्या यह सही है कि उन कर्मचारियों को बिना कार्यभार ग्रहण कराये ही वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन कर्मियों को सेवा से पृथक किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में वर्ष 1990-1992 तक 5 लिपिक वर्गीय एवं एक आशुलिपिक (कुल–6) नियुक्तियां तत्कालीन निदेशक द्वारा की गयी थीं। उक्त में से निदेशालय में वर्तमान में तीन कर्मियों को मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराने की तिथि से ही वेतन भुगतान किया जा रहा है, तीन कर्मी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत हैं जिनके निदेशालय में कार्यभार ग्रहण कराने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तथा उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है।

वर्ष 1992 में तत्कालीन निदेशक द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियां निरस्त की गयी, जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की गयीं जिस पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें कार्य करने एवं वेतन देने के आदेश निर्गत किये गये। तदनुसार मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतः इन कर्मियों को सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना याचिकाओं के अन्तिम निस्तारण के बाद ही सम्भव होगा।

जनपद पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा फर्जी एल० टी० सी० के भुगतान की जांच

51–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, पिथौरागढ़ (डा० डी० सी० काण्डपाल) द्वारा 40 फर्जी एल० टी० सी० के भुगतान किये जाने से संबंधित प्रकरण की जांच आख्या शासन में लम्बित है ? यदि हां,तो क्या उसके विरुद्ध जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत राम बालक, वार्ड ब्वाय की मृत्यु के उपरान्त देय भुगतान का प्रकरण

52–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में पूर्व में कार्यरत श्री राम बालक, वार्ड ब्वाय की मृत्यु दिनांक 6-11-97 को हो गई थी ? क्या उनकी पत्नी श्रीमती कान्ती देवी को लिंक बीमा योजना तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि रु० 2773.50 मात्र का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक आश्रिता को लिंक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

मृतक श्री राम बालक की विधवा पत्नी श्रीमती कान्ती देवी को रु० 1,621/- की धनराशि का भुगतान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा लिंक बीमा योजना के अन्तर्गत रु० 1152.50 की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में रिवाल्विंग फण्ड में जमा धनराशि का अपव्यय की शिकायत

53—श्री उदय राज यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत मरीजों से दवा एवं उपचार व्यय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 एवं 1998 से सितम्बर, 1999 तक उससे कुल कितनी धनराशि उक्त संस्था को प्राप्त हुई है ? उसमें से कितनी धनराशि किस मद में व्यय की गयी है ? 10 प्रतिशत सरचार्ज लिये जाने के कारण क्या है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त फण्ड से धनराशि निकाल कर मनमाने तरीके से कर्मचारियों को वितरित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिज़वी)–

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में 16 लाख रु० ।

वर्ष 1998-99 में 64 लाख रु० ।

उक्त धनराशि रिजर्व फण्ड में उपलब्ध है जिसमें से रिवाल्विंग फण्ड विभाग के अनुरक्षण व मरीजों की आवश्यकतानुसार धन खर्च किया जा रहा है । औसतन कम से कम 30 प्रतिशत बाजार मूल्य से कम दामों पर संस्थान मरीजों को दवाईयां उपलब्ध कराता है तथा इन दरों पर 10 प्रतिशत सरचार्ज दवाइयों की टूट-फूट, नुकसान इन्फ्रास्ट्रक्चरल कास्ट एवं मरीजों को अन्य सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त की जाती है ।

जी नहीं, उक्त धनराशि का व्यय केवल मरीजों के इलाज में ही किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेश प्रशिक्षण पर भेजे गये चिकित्सकों के प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण के उपरान्त संस्थान से सेवा छोड़कर जाने का औचित्य

54—श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवे बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या–107 के उत्तर के संदर्भ में क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चि०कि० के 11 सदस्यों पर विदेश प्रशिक्षण पर जाने हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले चिकित्सकों से कोई सेवा संबंधी बाण्ड भराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सक विदेश प्रशिक्षण के उपरान्त संस्थान से सेवा छोड़कर चले गये हैं ? क्या सरकार विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजने से पूर्व कम से कम 10 वर्ष का सेवा संबंधी बाण्ड लिये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री डॉ० शीमा रिजवी–

विदेश प्रशिक्षण पर गये 11 सदस्यों में से केवल 08 चिकित्सक सवेतन एवं 03 चिकित्सक वेतन रहित अवकाश पर प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गये । अत: 08 चिकित्सकों पर केवल वेतन पर व्यय हुआ ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

अभी तक प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले सदस्यों से संस्थान की शासी निकाय के निर्णय के अनुसार बाण्ड भराया जाता रहा है ।

संस्थान की शासी निकाय के निर्णय के अनुसार 10 वर्ष की अवधि के लिए बाण्ड का भरवाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर में महिला/पुरुष चिकित्साधिकारी के पद रिक्त की शिकायत

55–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में चिकित्सा अधीक्षक, सर्जन तथा महिला चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, अध्यक्ष, जिला पंचायत ही सिंचाई बन्धु कमी हैं, अनुपस्थिति में विधायक की अध्यक्षता में मीटिंग के संचालन की व्यवस्था

56–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–शाहजहांपुर में सिंचाई बन्धु की बैठक में शासन द्वारा मनोनीत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सिंचाई बन्धु के मनोनीत अध्यक्ष की अनुपस्थिति से कृषकों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ? यदि हां,तो क्या सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में माननीय विधायक की अध्यक्षता में उपरोक्त मीटिंग का संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शाहजहांपुर में वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष ही सिंचाई बन्धु के अध्यक्ष हैं ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित विभाग से पत्र व्यवहार कर समस्याओं का समाधान कराया जाता है ।

अध्यक्ष, जिला पंचायत को सिंचाई बन्धु का अध्यक्ष मनोनीत किये जाने के पूर्व शाहजहांपुर में सिंचाई बन्धु का अध्यक्ष नामित नहीं किया गया था । अध्यक्षता सांसदों एवं विधायकों में से शासनादेश सं०–75एवी–93-27–सिं–9. दिनांक 4-1-96 के अनुसार हिन्दी वर्णमाला के क्रम के आधार पर की जाती रही थी ।

जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद, अमानीगंज में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एवं चिकित्सक की नियुक्ति

57–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अमानीगंज में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की तैनाती दिनांक 6-08-99 को ही कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील नौगढ़, विकास खण्ड उदयपुर जोगिया, ग्राम अहड़ी में पात्र निराश्रित विधवा का आवेदन पत्र का न पाया जाना

58–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहड़ी, विकास खण्ड उदयपुर जोगिया, तहसील नौगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर में कुल कितनी विधवायें सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही हैं ? क्या यह सही है कि उक्त गांव में एक भी विधवा पेंशन नहीं पा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? दोषी के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

ग्राम अहड़ी, विकास खण्ड उदयपुर जोगिया, तहसील नौगढ़, जिला सिद्धार्थनगर में कोई भी निराश्रित विधवा पेंशन नहीं प्राप्त कर रही है ।

जी हां ।

उक्त ग्राम की किसी भी पात्र निराश्रित विधवा से पेंशन स्वीकृत करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अतः उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा एवं मैनपुरी की बेवर फीडर परियोजना को चालू कराने की मांग

59–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद एटा एवं जनपद मैनपुरी की बेवर फीडर परियोजना अभी तक चालू नहीं की गयी है ? क्या उक्त परियोजना को चालू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

परियोजना कार्यरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान उपलब्ध कराने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही

60–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–

2/22325/ मथुरा/99. दिनांक 11-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

मा० सदस्य के पत्र दिनांक 01-04-99 में यह अवगत कराया गया था कि अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में कटौती कर दिये जाने के कारण जनपद–मथुरा में पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी लाभार्थियों को अनुदान राशि प्राप्त नहीं हो सकी ।

वर्ष 98-99 में योजनान्तर्गत जनपदों हेतु आवंटित परिव्यय रु० 937.10 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रु० 516.65 लाख के आधार पर समानुपातिक रूप से प्रत्येक जनपद को बजट का आवंटन किया गया है ।

मा० सदस्य को शासन के पत्र-संख्या–127मंत्री/26-3-99–4(131)/99, दिनांक 07 जून, 1999 को भी अवगत कराया जा चुका है ।

61—श्री अजय कुमार पोइया–

[1ले गुरुवार में अता० प्र० सं०–122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना क्रय केन्द्र परखम के किसानों को गन्ना मूल्य न मिलने के संबंध में विधायक कोष्ठक में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

62—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना क्रय केन्द्र परखम के किसानों को गन्ना मूल्य न मिलने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22984/ मथुरा/99 दिनांक 2-5-99 सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

मामले की जांच कर कार्यवाही की गयी । बैंक एडवाइस में हुई त्रुटियों का निराकरण करने के उपरान्त कृषकों का समस्त भुगतान मई, 99 में ही गन्ना समिति, छाता द्वारा किया जा चुका है ।

लोअर आगरा नहर तृतीय उपखण्ड, मथुरा में नाला–लालपुर छोटा कोसी, भदारकट भूरियाकट नालों की खुदाई के सम्बन्ध में पत्र/कार्यवाही की मांग

63–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोअर आगरा नहर, तृतीय उपखण्ड मथुरा के अन्तर्गत नाला-लालपुर, छोटा कोसी, भदारकट, भूरियाकट नालों की खुदायी कराये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–1/22011/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । धन उपलब्धता के अनुसार नाला लालपुर एवं छोटा कोसी पर सफाई का कार्य पूर्ण करा दिया गया है । भदार व भूरिया कट नालों की सफाई धन उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सकी।

जनपद आजमगढ़, लालगंज राजबाहे की नहर की पटरी के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग

64–श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के लालगंज राजबाहे की नहर की पटरी लम्बाई 10 कि०मी० जो 1997-98 में स्वीकृत हुई थी, का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नहर की पटरी का इस्टीमेट दो बार बनाकर धन के दुरुपयोग करने का षडयंत्र किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की पटरी का निर्माण समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत पूर्ण न होने के लिये जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मार्कण्डेय चन्द)–

जी नहीं । वर्ष 1997-98 में केवल 8.7 कि०मी० लम्बाई की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं, बाद में नहर की पटरी के चैनेज में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप मार्ग की लम्बाई 10 कि०मी० हो जाने तथा सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण प्राक्कलन पुनरीक्षित कराना पड़ा । इस प्रकार दो बार आगणन बनाने से धन के दुरुपयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष धन का आवंटन न मिलने के कारण कार्य समय से पूरा नहीं हो सका है । अतः इसके लिये किसी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के शारदा सहायक खण्ड–36 से दुर्गापुर माइनर के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा का भुगतान करने की मांग

65–श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–135 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जिवली के किसानों को शारदा सहायक खण्ड 36 से निकली दुर्गापुर माइनर, जनपद आजमगढ़ के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त भूमि का मुआवजा कब तक भुगतान करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

आपसी समझौते से प्रतिकर दिया जाना प्रस्तावित है । जिलाधिकारी द्वारा समिति गठित करके दर का निर्धारण हो चुका है । भू-प्रतिकर का वितरण धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टेकमा के वरिष्ठ लिपिक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच, दोषी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

66–श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत लोक सभा निर्वाचन 1998 के यात्रा भत्ता वितरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टेकमा जनपद आजमगढ़ के वरिष्ठ लिपिक द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच एस० डी० एम०, लालगंज ने की है ? यदि हां, तो अनियमितता प्रमाणित होने के बाद दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रमाणित आरोपों के आधार पर दोषी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिये रोक दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, लालगंज रजवहा की नहर की पटरी के निर्माण में अनियमितता का न पाया जाना

67–श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–आजमगढ़ के लालगंज रजवहा की नहर की पटरी के निर्माण में जनपद प्रतापगढ़ के रोलर का भुगतान किया गया है, जबकि कार्य केवल विभागीय रोलर द्वारा ही किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोलर के भुगतान में की गयी अनियमितता की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जनपद आजमगढ़ के लालगंज रजवाहा की नहर की पटरी की कुल 10 कि०मी० लम्बाई में 5 कि०मी० लम्बाई पर विभागीय रोलर द्वारा तथा शेष 5 कि०मी० पर जनपद इलाहाबाद से किराये का रोलर लेकर कार्य कराया गया । जनपद प्रतापगढ़ से कोई रोलर किराये पर नहीं लिया गया था ।

किराये के रोलर के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी है । अतः किसी को दण्डित किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्वास्थ्य विभाग में उपचारिकाओं की पदोन्नति का मामला

69–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में उपचारिकाओं की सन् 1977 से 1998 तक कितनी वरिष्ठता सूची बनाई गई ? क्या 1977 के बैच की उपचारिकाओं को पदोन्नति का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पदोन्नति का लाभ दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

उ० प्र० नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत कर्मियों का सन् 1977 से 1998 तक केवल दो अनन्तिम वरिष्ठता सूची बनाकर परिधिगत अधिकारियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी की गयी ।

सेवा नियमावली के प्राविधानों के अधीन वर्ष 1977 की नियुक्ति अर्ह उपचारिकाओं में से कतिपय उपचारिकाओं, जिनके अपेक्षित अभिलेख मांगे गये हैं, को छोड़कर पदोन्नति का लाभ शेष उपचारिकाओं को दिया जा चुका है ।

अपेक्षित अभिलेख प्राप्त होने पर ही अवशेष उपचारिकाओं को भी पदोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा ।

जनपद जौनपुर, सिंचाई विभाग में वर्ष 1998-99 में आवंटित धन

70–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर में सिंचाई विभाग को वर्ष 1998-99 में कितना धन किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत किया गया ? क्या स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर में दैवी आपदा में क्षतिग्रस्त मकान/एवज में इन्दिरा आवास आवंटित करने की मांग

71–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दैवी आपदा अतिवृष्टि से जनपद–जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर, मुफ्तीगंज, धर्मापुर, सरकोनी के जिन गरीबों के मकान ध्वस्त हो गये हैं, उनको इन्दिरा आवास आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इन्दिरा आवास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत पात्रता, प्राथमिकता क्रम तथा धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

72–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर पर महिलाओं के डिलेवरी की संख्या अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं । पद स्वीकृत न होने के कारण उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की तैनाती सम्भव नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो सोशल सेपटीनेट की योजना से आच्छादित है जहां पर डिलीवरी की विशेष सुविधा प्राप्त है । यहां पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षिका, ए० एन० एम० तथा प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के चिल्लीमल्ल नहर की सफाई की मांग

73–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के चिल्लीमल्ल नहर की सफाई का कार्य वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में कराया गया है ? यदि हां, तो कब और कितने

किलोमीटर ? क्या चिल्लीमल्ल से बिहरवां के मध्य नहर की सफाई का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, वर्ष 1999-2000 में कि०मी० 020.700 से 22.00 तक कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिहरवां के निकट कि०मी० 11.50 से 15.00 तक नहरें भराई होने के कारण सिल्ट सफाई की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद चित्रकूट, ब्लाक मऊ, ग्राम कालूराम पुरवा के नाले पर स्वीकृत चैक डैम/रपटा के निर्माण को अन्यत्र गांव सभा मऊ में करने की जानकारी

74–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–चित्रकूट के ब्लाक मऊ के ग्राम कालूराम पुरवा के पास नाले पर चेक डैम/रपटा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसका निर्माण गांव सभा के बाहर दूसरे गांव सभा मऊ में किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट, ग्राम कपना, गेडुवा नाले पर चैक डैम/रपटा के निर्माण कार्य हेतु आवंटित धन को वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने की मांग

75–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में ग्राम कपना के पास गेडुवा नाले पर चेकडैम/रपटा के निर्माण हेतु धन दिया गया था ? यदि हां, तो किस वित्तीय वर्ष में कितना धन दिया गया है ? क्या अभी भी वह कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या संबंधित अधिकारियों को कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में रु० 11.074 लाख वर्ष 1998-99 में रु० 3.20 लाख कुल रुपया 14.274 लाख की धनराशि दी गयी है ।

जी नहीं । गेड़वा नाले पर चैकडैम/रपटा का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, ब्लाक काकोरी में शारदा सहायक नहर के मोहान रोड से बहरू नहर के पुल तक के मार्ग का डामरीकरण एवं देवपुर नहर के पुल तक के शेष मार्ग को बनाने की मांग

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर के मोहान रोड से बहरू नहर के पुल तक नहर की पटरी का मार्ग डामरीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मोहान रोड पर उक्त नहर के पुल से देवपुर नहर के पुल तक शेष लगभग 3 कि०मी० नहर की पटरी के मार्ग को भी डामरीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अब यह कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में सहायक अभियन्ता पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

77–श्री सतीश जतारिया–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कुल कितने सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो कोटा कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कुल 283 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ।

उनमें से अनुसूचित जाति के कुल 33 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ।

पदोन्नति कोटे में आरक्षित पद भरे हुए हैं तथा सीधी भर्ती के कोटे में आरक्षित पद से कम सहायक अभियन्ता हैं ।

सीधी भर्ती के कोटे के सहायक अभियन्ता के पद रिक्त न होने के कारण आरक्षण का कोटा फिलहाल इस समय पूरा किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक जगदीशपुर, ग्राम–सिंघौली के श्री साकिर अली पुत्र मोहम्मद अली, उप प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78–श्री तेज भान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री साकिर अली पुत्र मोहम्मद अली, उप प्रधान, ग्राम–सिंघौली, ब्लाक–जगदीशपुर, जनपद–सुल्तानपुर

का दिनांक 1-9-99 को दिया गया शपथ-पत्र जिसमें जवाहर योजना अन्तर्गत प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस शिकायत की जांच बी० डी० ओ०, जगदीशपुर द्वारा दिनांक 28-9-99 व 1-10-99 को कराना निश्चित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसमें मौके पर जाकर जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

79–प्रो० रवीन्द्र पुन्डीर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

79–80–प्रो० रवीन्द्र पुन्डीर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण का उत्तर न देने पर कृत कार्यवाही की जानकारी

81–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–87 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो स्पष्टीकरण मांगने की अवधि में जवाब न देने पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में संचालित शिशु सदन में एक समुदाय के बच्चों को प्रवेश देने का आरोप

82—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में संचालित शिशु सदन में एक ही समुदाय के बच्चों का प्रवेश किया गया है तथा उनके अभिभावक राजकीय सेवा में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं, सभी समुदायों के बच्चों को प्रवेश दिया गया है तथा केवल एक संवासी के पिता राजकीय सेवा में हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, ब्लाक जगतपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय के भुगतान का मामला

83–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–रायबरेली के ब्लाक जगतपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बारह माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त को मानदेय का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

माह सितम्बर, 1998 से नवम्बर, 99 तक कुल 15 माह के लम्बित मानदेय का भुगतान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके खाते के माध्यम से कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय (सिंचाई) से सम्बद्ध अधिकारियों से शासनादेश के अनुरूप सरकारी कार, जीप हेतु प्रतिमाह कटौती न किये जाने की जानकारी

84–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 710/दस-सं०वि०मित०–2-97 दिनांक 29-5-1999 द्वारा इस आशय के निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि जिन अधिकारियों के पास सरकारी कार है उनके वेतन से प्रतिमाह रु० 500/- तथा जिनके पास सरकारी जीप है उनके वेतन से प्रतिमाह रु० 400/- की कटौती कर ली जाय ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता कार्यालय (सिंचाई) से सम्बद्ध अधिकारियों से उपरोक्तानुसार कटौती की गयी है ? यदि नहीं, तो किन-किन से कटौती किया जाना अवशेष है ? अब तक उक्त कटौती न किये जाने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से सम्बद्ध अधिकारियों से अधिकारीवार आवंटित वाहनों की सूचना एकत्र कर माह 2/2000 के वेतन, जो माह 3/2000 में वितरित किया गया है, से कटौती प्रारम्भ कर दी गयी है। शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से पूर्व एरियर की कटौती किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु प्रमुख अभियन्ता को जांच सौंप दी गयी है।

महिला एवं बाल विकास निदेशालय में महिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्य तथा नारी बन्दियों के सुधार हेतु कृत कार्यवाही

85–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–82 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला परिवीक्षा अधिकारी के क्या-क्या कार्य हैं ? महिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 1995 से जुलाई, 1999 तक क्या-क्या कार्य लिये गये ? नारी बन्दियों के सुधार हेतु अब तक उक्त के द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

महिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्य किसी नियमावली अथवा शासनादेश में परिभाषित नहीं हैं। निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण के पत्र संख्या–957/एल०पी०ओ०/71, दिनांक 28 जून, 1971 द्वारा नारी बन्दी निकेतन से सम्बद्ध महिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्य निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार महिला प्रोबेशन अधिकारी सप्ताह में तीन दिन नारी बन्दी गृह जाकर महिला बन्दियों के कल्याणार्थ काउन्सिलिंग का कार्य करेंगी, जो उनके बन्दी गृह में निरुद्ध जीवन यापन एवं बन्दीगृह से मुक्त होने पर जीवन यापन करने में सहायक हो।

निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वर्ष 1995 से जुलाई, 1999 तक संलग्न सूची के अनुसार आवंटित कार्य महिला परिवीक्षा अधिकारी से लिये गये।

25 मई, 1998 से 31 जुलाई, 1999 तक उक्त अधिकारी द्वारा कृत कार्यों का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 110 पर।)

86–श्री संजय गर्ग–

[दिनांक 5-1-2000 को अता० प्र० सं०–86 द्वारा उत्तरित।]

जनपद देवरिया, भाटपार रानी क्षेत्र में छोटी गण्डक पर खैराट से बलुआ अफगान, बड़का शम्भू, बनकटा तथा कुकुर घाटी भिगारी बन्धों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग

87–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र देवरिया के अन्तर्गत छोटी गण्डक पर खैराट से बलुआ अफगान, बड़का गांव शम्भू बनकटा तथा कुकुर घाटी भिगारी बन्धों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र भाटपार रानी देवरिया के अन्तर्गत वर्णित खैराट से बलुआ अफगान, बड़काशम्भू बनकटा (बनकटा शम्भू कुकुर घाटी) बांधों का सम्बन्ध खनुआ नाले से है तथा कुकुरघाटी भिगारी बांध का संबंध हाहा नाले से है। इनका सम्बन्ध गण्डक नदी से नहीं है।

भाटपार रानी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खनुआ नाले के दायें तट पर खैराट से रायबारी तक विभिन्न गैप्पों में तट बांध निर्माण एवं इसी नाले के बायें किनारे पर बनकटा शम्भू कुकुरघाटी बांध निर्माण की योजना तैयार की गयी है रायबारी से बलुआ अफगान तक तटबांध का निर्माण हेतु डी० आर० डी० ए० से धन प्राप्त कर निर्माण की कार्यवाही की गयी थी किंन्तु भूमि उपलब्ध न होने से काश्तकारों के अवरोध के कारण कार्य नहीं हो सका।

कुकुरघाटी भिंगारा बांध का 3.455 कि०मी० में निर्माण कराया जा चुका है। कि०मी० 3.455 से कि०मी० 4.800 तक 1.345 कि०मी० की लम्बाई में कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

योजना की साध्यता एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद लखनऊ के नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र छितवापुर में तैनात चिकित्साधिकारी पति/पत्नी (सेवारत) को मकान किराया भत्ता देने का औचित्य

88–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, छितवापुर, लखनऊ में कितने चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी ऐसे हैं, जिनके पति/पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और दोनों द्वारा मकान किराया भत्ता आहरित किया जा रहा है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र छितवापुर, लखनऊ में तैनात चिकित्सा अधिकारी, डा० मंजू रानी, जो उक्त केन्द्र की प्रभारी भी हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय सेवा में हैं। उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में कार्यरत नहीं हैं बल्कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना, लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा पति-पत्नी दोनों ही मकान किराया भत्ता पा रहे हैं।

जी हां, जांच कराई गई ।

नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, छितवापुर, लखनऊ में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रही हैं, जबकि उनके पति केन्द्र सरकार से नियमानुसार मकान किराया भत्ता पा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की नियुक्ति का मामला

89–श्री अजय भट्ट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के एक्ट की धारा–9 के अन्तर्गत किसी वित्त अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त संस्था में किसी वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० शीमा रिजवी–

संस्थान के अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत वित्त अधिकारी की नियुक्ति किया जाना प्राविधानित है । इस पद पर नियुक्तियां शासन स्तर से की जाती हैं । वर्तमान समय में श्री विश्वम्भर नाथ वित्त अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान समय में श्री विश्वम्भर नाथ कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में अधिकारियों के वेतन निर्धारण में अनियमितता का न पाया जाना

90–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या वेआ–2694/दस-अ(एम) 1981 दिनांक 6-8-82 के अनुपालन में कर्मचारियों का नये वेतनमान में वेतन निर्धारण का कार्य विभाग में कार्यरत वित्त लेखा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा निष्पादित न कराकर अन्य संवर्ग के कर्मियों के माध्यम से कराया गया है जिसके कारण कुछ कर्मचारियों के अधिक वेतन निर्धारित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन का आदेश दिनांक 6-8-82 केवल अधिकारी वर्ग के वेतन निर्धारण तक ही सीमित है । अन्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिये उक्त शासनादेश में वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों से निष्पादित कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में जरौली कैनाल योजना में व्यय धनराशि की अनियमितता की जांच

91–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जनपद फतेहपुर में जरौली कैनाल योजना निर्माणाधीन है ? इस योजना की सम्पूर्ण लागत कितनी है एवं कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? अभी कितनी धनराशि तथा कितना कार्य शेष है ? क्या इस विषय में सरकार को अनियमितता की

शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

योजना की सम्पूर्ण लागत रुपया 4791.00 लाख है । माह 11/99 तक रुपया 1449.72 लाख व्यय हो चुका है ।

रुपया 3342.28 लाख शेष है और 80 प्रतिशत कार्य शेष है ।

जी हां ।

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, बाणसागर द्वारा जून, 1998 में जरौली पम्प नहर के निरीक्षण में डिलीवरी टैंक एवं वाया डक्ट के निर्माण में त्रुटियां पायी गयी जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में जांच समिति से करायी गयी । परन्तु जांच समिति की आख्या स्पष्ट एवं तथ्यपरक न होने के कारण पुनः अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में जांच समिति दि० 1-3-2000 द्वारा गठित की गयी है ।

सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के प्रयोग हेतु एअर कन्डीशनर्स क्रय न किये जाने के प्रतिबन्ध के बावजूद सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय में कतिपय अधिकारियों के लिए एअर कण्डीशनर्स क्रय करने का औचित्य

92–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या ई–3-1562/दस–89, दिनांक 23-8-99 (वित्त व्यय नियंत्रण अनु०–3) में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के प्रयोग हेतु एअर कन्डीशनर्स क्रय न किये जाने के प्रतिबन्ध के बावजूद विभागाध्यक्ष कार्यालय में कतिपय अधिकारियों के लिये एअर कण्डीशनर्स का क्रय किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के लिये एवं इसके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी, नहीं । प्राप्त सूचनानुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय में वित्त विभाग द्वारा प्रश्नगत शासनादेश द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके अधिकारियों के लिए एयर कन्डीशनर्स क्रय नहीं किये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारगिल युद्ध में शहीद परिवारों के सहायतार्थ प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई स्तर पर प्राप्त व जमा धनराशि एवं मुख्य मंत्री को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण

93—श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत कुछ माह पूर्व "कारगिल" युद्ध में हुए शहीदों के परिवारों के सहायतार्थ धनराशि संग्रह करने की अपील शासन द्वारा किये जाने पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग की ओर से इसी आशय की अपील का परिपत्र प्रसारित किये जाने पर विभागाध्यक्ष स्तर पर कुल कितनी धनराशि कहां-कहां से प्राप्त हुई ? उक्त प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा "सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कैण्ट रोड ब्रांच, लखनऊ" में खोले गये एकाउन्ट नं०–17880 में कितनी

राशि का संग्रह हुआ ? विभाग द्वारा संकलित/अलग-अलग कुल कितनी धनराशि शासन को उपलब्ध करायी गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कारगिल युद्ध में शहीद परिवारों के सहायतार्थ प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई स्तर पर दिनांक 22-12-1999 तक जमा धनराशि रु० 82.46.806/- प्राप्त हुई है जिसका विवरण निम्नवत् है :—

1—बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त धनराशि	रु० 65.43.044.00
2—सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया कैण्ट रोड, लखनऊ शाखा के खाता सं०–17880 में जमा की गयी बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा से प्राप्त धनराशि	रु० 17.03.762.00
योग	रु० 82.46.806.00

मा० मुख्य मंत्री जी कोष में जमा की गयी धनराशि का विवरण :—

1—दिनांक 30-7-99 को मुख्य मंत्री को बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दी गयी धनराशि	रु० 45.43.811.00
2—दिनांक 22-12-99 को मुख्य मंत्री के कार्यालय में बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा धनराशि	रु० 36.34.233.00
योग	रु० 81.78.044.00

अवशेष धनराशि को अनकैश्ड बैंक ड्राफ्ट का समायोजन होने पर मुख्य मंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराना तथा इस खाता को बन्द किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद फतेहपुर, विकास खण्ड हस्वा, ग्राम नरैनी में फ्री बोरिंग योजनान्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को बोरिंग देने का औचित्य एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खण्ड विकास कार्यालय हस्वा, जनपद–फतेहपुर के ग्राम नरैनी में अनुसूचित जाति के लोगों को फ्री बोरिंग योजना द्वारा पम्पसेट हेतु कितने लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया ? क्या यह सही है कि खुद्दी पुत्र बदल, सितारे पुत्र बदलू, रामदास पुत्र झल्लर, दुलारे पुत्र भरोसा, परसादी पुत्र भदई, राम खेलावन पुत्र सुखराज, रामभवन पुत्र झब्बू इत्यादि के नाम भूमि न होने पर भी फर्जी बोरिंग प्रमाण-पत्र लगाकर उक्त ऋण निकाल लिया है ? यदि हां, तो दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

विकास खण्ड हस्वा, जनपद फतेहपुर के ग्राम नरैनी में फ्री बोरिंग योजनान्तर्गत 24 अनुसूचित जाति के कृषकों को ऋण प्रदान किया गया ।

जी हां ।

दोषी अवर अभियन्ता, श्री जगदीश प्रसाद, बोरिंग टैक्नीशियन श्री सुशील कुमार मिश्रा एवं श्री अरुण कुमार गुप्ता को निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मछुआ समुदाय के परिवारों को पक्के मकान मुहैय्या कराने की योजना की जानकारी

95–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में मछुआ समुदाय के लाखों परिवार आज भी फूस एवं छप्पर के मकानों में निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मछुआ समुदाय के सभी परिवारों को विशेष अभियान चलाकर आवास मुहैया कराने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इस प्रकार का सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है ।

पृथक से मछुआ समुदाय के व्यक्तियों हेतु आवास की व्यवस्था करना प्रस्तावित नहीं है ।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिये इन्दिरा आवास योजना संचालित है । अतः पृथक से अन्य योजना की आवश्यकता नहीं है ।

जिला बस्ती में विश्व संगठन ओपेक द्वारा 500 शैय्याओं के चिकित्सालय का निर्माण व संचालन की व्यवस्था पूर्ण करने की मांग

96–श्री राम ललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विश्व संगठन ओपेक द्वारा जनपद बस्ती में 500 शैय्याओं के चिकित्सालय के निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या अब तक योजना के अनुसार सभी शैय्याओं, दवा तथा स्टाफ आदि की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समयबद्ध तरीके से योजना के अनुरूप शैय्याओं, दवा एवं स्टाफ की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । अब तक 300 शैय्याओं की स्थापना की जा चुकी है और इस हेतु मानक अनुसार दवा एवं स्टाफ की भी व्यवस्था की गयी है ।

उक्त चिकित्सालय हेतु अधिग्रहीत भूमि के एक भाग पर निर्माण के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चिकित्सालय का निर्माण पूर्ण न होने के कारण अवशेष 200 शैय्याओं को क्रियाशील नहीं किया जा सका है । निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवशेष 200 शैय्याओं को क्रियाशील किया जायेगा और तदनुसार दवा एवं स्टाफ की व्यवस्था की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर के उपखण्ड तिलहर में लगे नलकूपों में घांघली के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

97–श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-99 या इसके आसपास जो नलकूप विभाग शाहजहांपुर के उप खण्ड तिलहर में कतिपय नलकूपों पर वर्ष 1997-98 में कराये गये कार्यों से संबंधित था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मंत्री जी ने दि० 1-2-99 को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को उपरोक्त पत्र की जांच के लिये आदेशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-99, जिसके साथ प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-10-98 की छाया-प्रति संलग्न थी, जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता को शासन के पत्र दिनांक 20-3-99 द्वारा भेजा गया ।

जांचोपरान्त दोषी पाये गये एक अधिशासी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता, एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, बरेली मण्डल कार्यालय में विशेष पत्र वाहक द्वारा पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

98–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–2 नं० 131552 दि० 18-8-1997 जो अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य बरेली मण्डल के कार्यालय में विशेष पत्र वाहक द्वारा दिनांक 6-9-97 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

पत्र में इंगित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही करके मा० विधायक जी को सूचित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में सिंचाई बन्धु की बैठक में अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में जानकारी

99–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में सिंचाई बन्धु की बैठक जो हर माह के तीसरे शनिवार को होती है, में अधिकांश अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं ? क्या इस कारण कृषकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनवरी, 1998 से सितम्बर, 1998 तक की मीटिंगों में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, प्राप्त सूचनानुसार सिंचाई बन्धु की बैठक में अधिकारी सामान्यतः उपस्थित रहते हैं।

जी नहीं, सम्बन्धित विभागों को बैठक का कार्यवृत्त भेजकर समस्या का निदान कराया जाता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती, तहसील भानपुर, ग्राम जगदीशपुर उर्फ नौगढ़वा तथा आदमपुर के किसानों का सरजू नहर की शाखा को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

100–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–बस्ती की तहसील भानपुर के ग्राम जगदीशपुर उर्फ नौगढ़वा तथा आदमपुर के किसानों का सरजू नहर की शाखा को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अक्टूबर, 1999 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण कराया गया। परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नहर निर्माण निरस्त किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

101–श्री मुरलीधर–

[2रे मंगलवार में अना० प्र० सं०–113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर, ग्राम पौली में पेयजल हेतु स्वीकृत पानी की टंकी के निर्माण का मामला

102–श्री मुरलीधर–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के ग्राम पौली में पेयजल हेतु एक पानी टंकी स्वीकृत है जिसकी धनराशि भी जल निगम फतेहपुर को प्रदान की जा चुकी है ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, जल निगम फतेहपुर द्वारा अभी तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी एवं दोषीजनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

रिंग मशीन की अनुपलब्धता के कारण छिद्रण कार्य में देरी हुई, जिससे टंकी का निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हो पाया । इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई कार्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितता एवं फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिकायत/कार्यवाही की मांग

103–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के यहां व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं एवं फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री प्रेम बहादुर दलेला का पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 1998 उप सचिव, लोक शिकायत निदेशालय तथा मा० मुख्य मंत्री कार्यालय को पंजीकृत डाक संख्या–0002, दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शिकायत की जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों में की गयी अनियमितता सम्बन्धी पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

104–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की फर्जी नियुक्तियों के सम्बन्ध में निदेशालय के 4फ/ए अनुभाग के कर्मचारियों/कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी को उक्त अनुभाग से हटाकर निदेशालय के अन्य अनुभागों में समायोजित किये जाने के साथ शासन द्वारा फर्जी नियुक्तियों के प्रकरणों में उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के निर्णय लिए जाने विषयक सचिव, चिकित्सा अनुभाग-4 का अर्ध शासकीय पत्रांक–1454–सेक–4/पांच–सी०एस० (4)/99, दिनांक 15 मार्च, 1999 एवं अनुस्मारण अर्ध शा० पत्रांक–1453–सेक–4/पांच–(4)/पांच/99, दिनांक 16-6-1999 एवं 3896(1)–सेक–4/(पांच)–(सी०एस०)4/99, दिनांक 11-10-1999 निदेशक, (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ?

यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो आदेशों का अनुपालन न करने वाले दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 15 मार्च, 1999 तथा अनुस्मारक क्रमशः दिनांक 16-6-99 व 21-10-99 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में महानिदेशालय के 4-फ अनुभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय स्टेशनरी क्रय के समय गुणवत्ता की जांच का दायित्व क्रय कर्ता एवं सामग्री प्राप्त करने वाले कार्मिक के होने के बावजूद मानक के अनुरूप आपूर्ति लेने का निर्देश

105–श्री रामेश्वर दयाल दाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय स्टेशनरी क्रय के समय शासनादेश सं०–3639, दिनांक 15-12-90 के पैरा–6 के अनुपालन में लेखन सामग्री की गुणवत्ता की जांच प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में अब तक न किये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है ? विभाग के ''पेंशन समन्वय प्रकोष्ठ'' के इंचार्ज अधिकारी के पत्रांक : 426, दिनांक 21-7-1999 द्वारा यह संज्ञान होने पर कि ''मानक स्तर'' की लेखन सामग्री माह जून/जुलाई/अगस्त, 99 में सप्लाई नहीं की गयी, विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? लेखन सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण का उत्तरदायी स्वयं को न मानने विषयक पत्रांक : 2282/प्र०वि०प्र०/दिनांक 15-9-99 पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लेखन सामग्री क्रय के समय गुणवत्ता की जांच का दायित्व क्रय कर्ता एवं सामग्री प्राप्त करने वाले कार्मिक का होता है । लेखन सामग्री का क्रय लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा किया जाता है ।अतः गुणवत्ता की जांच के लिए प्रमुख अभियन्ता कार्यालय का कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है ।

लेखन सामग्री क्रय कर्ता खण्ड को मानक के अनुरूप आपूर्ति लेने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गौवाहर, जैतीपुर में फ्री बोरिंग में अनियमितता विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

106–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जिला अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है जो श्रीमती शारदा देवी पत्नी रिषीपाल नि०- गौवाहर, जैतीपुर में फ्री बोरिंग में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र की जांच हेतु दिनांक 26-3-99 को मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर को भेजा गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में इण्डिया मार्का- 2 हैण्ड पम्प के अधिष्ठापन हेतु प्रदत्त धनराशि एवं कार्यदायी संस्था द्वारा लगवाये गये पम्पों के विवरण की जानकारी

107–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–मैनपुरी में 31-3-1999 के बाद अब तक इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित करने के लिए कितनी-कितनी धनराशि किस-किस कार्यदायी संस्था को कब-कब दी गयी और ब्लाक वाइज अब तक कितने-कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प किस-किस कार्यदायी संस्था द्वारा लगवाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विधायक निधि के अतिरिक्त कितने हैण्ड पम्प मानक के अतिरिक्त लगवाये गये और उसका आधार क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां, जनपद मैनपुरी में इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 3 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है । दिनांक 31-3-99 के बाद हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने हेतु निम्न कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।

कार्यदायी संस्था का नाम उपलब्ध कराई गई धनराशि (लाख रु० में)

संस्था का नाम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति	
	धन	दिनांक	धन	दिनांक
1–जल निगम	35.36000	26-5-99	15.00	5-5-99
2–यू० पी० स्टेट एग्रो	36.59320	26-5-99	16.80	5-5-99
3–नलकूप निगम	33.45680	26-5-99	15.00	5-5-99
योग :–	105.41000		46.80	

उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं ने 30-11-99 तक उनको आवंटित विकास खण्डों में से निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये हैं ।

संस्था का नाम	विकास खण्ड	अधिष्ठापित हैण्डपम्प
1–जल निगम	करहल	60
	बरनाहल	19
	जागीर	44
2–नलकूप निगम	मैनपुरी	57
	घिरोर	34
	कुरावली	76
3–यू० पी० स्टेट एग्रो	सुल्तानगंज	54
	वेवर	77
	किशनी	89
		510

इस जनपद में न्यूनतम आवश्यकता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निर्धारित लक्ष्य 868 के विपरीत 510 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं । इस जनपद में मानक के विपरीत कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं किया गया है ।

लघु डाल नहर, शाहजहांपुर के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय कानपुर से हटाकर शाहजहांपुर (नलकूप खण्ड) से सम्बद्ध करने की मांग

108–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि लघु डाल नहर, शाहजहांपुर के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय कानपुर में स्थित है तथा सहायक अभियन्ता एवं अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी शाहजहांपुर में कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय कानपुर होने के कारण सरकार का लाखों रुपया टी०ए०डी०ए० में व्यय होने के साथ ही जनता को असुविधा भी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एवं के अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, शाहजहांपुर से लघु डाल नहर शाहजहांपुर को सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय कानपुर होने के कारण टी० ए० डी० ए० में नियमानुसार ही व्यय होता है । उप खण्डीय कार्यालय शाहजहांपुर में होने के कारण जनता की कठिनाइयों का निवारण सहजता से हो जाता है । उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में लघु डाल नहर उपखण्ड, शाहजहांपुर को नलकूप खण्ड शाहजहांपुर से सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सुनिश्चित रोजगार योजना हेतु शासनादेश के अनुसार मार्ग निर्देशन के प्रस्तर 3.2 एवं 3.4 में संशोधन

109–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम विकास अनुभाग–4 के आदेश संख्या–3341/38-4-98-50–जे०आर०वाई०/98 दिनांक 29 अगस्त, 1998 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग निर्देश के प्रस्तर 3.2 एवं 3.4 में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो क्या संशोधित निदेशों का पालन बदायूं जनपद के अधिकारियों द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां । प्रश्नगत शासनादेश वर्ष 98-99 से सम्बन्धित है । वर्ष 98-99 में संदर्भित शासनादेश का पालन किया गया । वर्तमान वर्ष में योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में परिवर्तन कर दिया गया है तथा उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा में श्री कंचन सिंह, पूर्व अधिशासी अभियन्ता, नलकूप द्वारा वित्तीय अनियमितता का मामला

110–श्री जगदीश सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री कंचन सिंह, पूर्व अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड इटावा द्वारा भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई थी ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद ने प्रथम दृष्टया गबन का प्रकरण मानते हुए इन्हें पत्रांक नि० ले० 10/ग्रुप–5/90

दिनांक 9-9-98 लिखी थी जिसकी सूचना 19-8-98 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

महालेखाकार द्वारा गबन का प्रकरण न पाये जाने के कारण उसे निस्तारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर के क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कौलपुर के राजकीय नलकूप की बोरिंग खराब होने से सिंचाई में असुविधा के कारण रिबोरिंग कराने की मांग

111–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कौलपुर के राजकीय नलकूप की बोरिंग ध्वस्त हो जाने से सैकड़ों एकड़ जमीन असिंचित हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कौलपुर के नलकूप की रीबोरिंग करवाकर उन्हें पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत कौलपुर नलकूप संख्या–22 वी० जी० के माह 3/99 में निकास शून्य होने के कारण असफल हो गया है । इस प्रकार लगभग 250 एकड़ जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।

जी नहीं । वर्तमान में पुनः निर्माण का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1999-2000 में सिंचाई विभाग के नलकूपों का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है । फल राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण पूर्व में जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता था । वर्तमान में जनपद योजना के अन्तर्गत फेल राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण नहीं कराया जा रहा है ।

जनपद आगरा में श्री कंचन सिंह, अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड द्वारा गबन की जांच सतर्कता विभाग से कराने की मांग

112–श्री जगदीश सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कंचन सिंह अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड, आगरा द्वारा किये गये विभिन्न मदों में गबन करने का आरोप प्रथम दृष्टया श्री एस० के० ठाकुर, आई०ए०एस० भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के अर्द्ध शा० पत्र सं०–नि० ले०-10/ग्रुप–5/99-9-98 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध लगाया गया था ? क्या उसका जवाब न भेजने के कारण उक्त प्रकरण अभी तक लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच सतर्कता से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 2-11-98 को कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में उपस्थित होकर रोकड़ बही दिखायी गयी थी, जिसके अवलोकन के पश्चात् गबन का कोई प्रकरण नहीं पाया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कंचन सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इटावा में तैनाती के समय फर्जी भुगतान/जांच की मांग

113–श्री जगदीश सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कंचन सिंह अधिशासी अभियन्ता जो वर्तमान में नलकूप खण्ड आगरा में तैनात हैं, द्वारा इटावा में तैनाती के समय फर्जी तरीके से सामग्री खरीद आदि के नाम पर काफी धन का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक इटावा एवं उसके बाद आगरा में उनकी तैनाती की अवधि में किए गये फर्जी भुगतानों की जांच सतर्कता विभाग से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, श्री कंचन सिंह, अधिशासी अभियन्ता द्वारा इटावा में दिनांक 10-7-92 से 5-7-97 तक तैनाती के समय फर्जी तरीके से सामग्री खरीद कर धन भुगतान किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है ।

जी नहीं, तथ्यात्मक आरोपों के अभाव में सतर्कता विभाग से जांच कराया जाना सम्भव नहीं है ।

114–श्री जगदीश सिंह राणा–

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के सिंचाई बन्धु की मीटिंग में उपस्थित विधायकों की बैठक की अध्यक्षता विधायक से न कराकर अधिकारी से कराने की शिकायत

115–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को सिंचाई बंधु की दिनांक 13-10-98 की मीटिंग में उपस्थित मा० विधायकों को बैठक की अध्यक्षता न करकर अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक कराने तथा उ० प्र० प्रोटोकाल का उल्लंघन किये जाने की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? क्या यह सच है कि मंत्री जी ने दिनांक 26-3-99 को उपरोक्त पत्र की जांच के लिये अधिशासी अभियन्ता, नहर विभाग, शाहजहांपुर को जांच हेतु आदेशित किया है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच के प्रश्नगत आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में सिंचाई हेतु अधिष्ठापित नलकूपों के खराब होने/ठीक न कराने के कारण एवं मरम्मत हेतु प्राप्त धनराशि के खर्च के विवरण की जानकारी

116–श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में गत 2 वर्षों से रबी एवं खरीफ की फसल के सिंचाई सीजनों में कितने राजकीय नलकूप और विश्व बैंक द्वारा निर्मित नलकूप खराब रहे ? विकास खण्डवार ब्योरा क्या है ? उन्हें समय से ठीक न कराये जाने का क्या कारण है ? सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1996-97 तथा 1997-98, 1998-99 में नलकूप मरम्मत

कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा किन-किन नलकूपों की मरम्मत पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई

श्री प्रेम प्रकाश सेठ—

जनपद सीतापुर में गत 2 वर्षों से रबी एवं खरीफ की फसल के सिंचाई सीजनों में चालित नलकूपों में से कोई भी राजकीय नलकूप और विश्व बैंक द्वारा निर्मित नलकूप लगातार खराब नहीं रहा।

चालित नलकूपों के अतिरिक्त 1-10-97 या इससे पूर्व एवं 30-9-99 के मध्य 19 सामान्य नलकूप विभिन्न अवधि में असफल होने के कारण खराब रहे हैं जिनमें से 30-9-99 तक 8 नलकूप एवं 2/2000 में एक नलकूप पुनर्निर्माण के बाद ऊर्जीकृत करके कार्यरत कर दिये गये। 10 नलकूप अभी भी असफल होने के कारण खराब है, जिनका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है।असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण प्राविधानित न होने के कारण ठीक नहीं कराये जा सके। वर्तमान में इनका निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	नलकूपों की संख्या व समूह	फेल होने का माह/वर्ष
1	2	3	4
1	हरगांव	01 सीतापुर	10/95
2	हरगांव	185 सीतापुर	4/96
3	हरगांव	27 सीतापुर	3/97
4	परसेन्डी	71 सीतापुर	2/97
5	ऐलिया	76 सीतापुर	4/96
6	खैराबाद	82 सीतापुर	2/97
7	खैराबाद	97 सीतापुर	11/98
8	मछरेहटा	110 मिश्रिख	97-98
9	महोली	189 मिश्रिख	96-97
10	पाली	115 मिश्रिख	6/99

जनपद सीतापुर में कार्यरत दो नलकूप खण्डों के नलकूपों की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 96-97, 97-98, 98-99 में आवंटित एवं नलकूपों की मरम्मत पर खर्च की गयी धनराशि निम्नानुसार है :—

क्र0सं0	खण्ड का नाम	खण्ड के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्डों की संख्या	वित्तीय वर्ष				(व्यय लाख रुपये में)	
			96-97		97-98		98-99	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	नलकूप खण्ड प्रथम, सीतापुर	10	30.29	30.29	29.75	29.75	29.51	29.51
2	नलकूप खण्ड-2, सीतापुर	09	12.665	12.665	17.39	17.39	17.17	17.17

उक्त वर्षों में नलकूप वार मरम्मत का व्यय नहीं रखा जाता था । उक्त धनराशि खण्ड के अन्तर्गत सभी ब्लाकों पर व्यय की गयी ।

जनपद सीतापुर के राजकीय शिशु सदन की पालक माता श्रीमती सुशीला देवी व उनके पुत्रों द्वारा सदन में कार्यरत अयोध्या प्रसाद की पिटाई, उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117–श्री रमेश राही–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के राजकीय शिशु सदन की पालक माता श्रीमती सुशीला देवी तथा उनके पुत्र सचिन तथा नीटू व अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त सदन में कार्यरत दलित लिपिक अयोध्या प्रसाद की बुरी तरह पिटाई तथा जानलेवा हमला किया गया था ? क्या उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मृकुन्मायनी, जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कोतवाली, सीतापुर में दिनांक 10-5-99 को मु०अ०से०–457/99 धारा 323, 336, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी नगर, सीतापुर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार श्रीमती सुशीला दिनांक 31-5-99 को व अभियुक्तगण नीटू तथा सचिन दिनांक 14-6-99 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके अपनी जमानत करा चुके हैं । अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 323/336/506 व 3 (1) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य होने के फलस्वरूप दिनांक 30-6-99 को आरोप पत्र संख्या–25/99 प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में पीर मोहम्मद अन्सारी अध्यक्ष केमिस्ट एसोसियेशन तिलहर द्वारा औषधि निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत

118–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पीर मोहम्मद अन्सारी अध्यक्ष केमिस्ट एसोशियन तिलहर जनपद शाहजहांपुर ने औषधि निरीक्षक शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 26-12-98 या इसके आसपास उन्हें तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व मह औषधि निरीक्षक लखनऊ को भेजे गये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, मुन्डेरवा, वाल्टरगंज एवं बस्ती चीनी मिल पर वर्ष 1996 से 2000 तक किसानों का बकाया गन्ना मूल्य की ब्याज सहित भुगतान की मांग

119–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में मुन्डेरवा, वाल्टरगंज एवं बस्ती चीनी मिल पर वर्ष 1996-97 से वर्तमान पेराई सत्र 1999-2000 तक कुल अलग-अलग कितना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है? क्या सरकार किसानों को ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

चीनी मिल मुन्डेरवा, वाल्टरगंज एवं बस्ती में वर्ष 1996-97, 1997-98 का कोई गन्ना मूल्य भुगतान देय नहीं है।

वर्ष 1998-99 में चीनी मिल बस्ती पर किसानों का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। निजी क्षेत्र की चीनी मिल वाल्टरगंज पर रु० 0.91 लाख तथा निगम क्षेत्र की चीनी मिल मुन्डेरवा पर रु० 78.66 लाख गन्ना मूल्य बकाया है।

वर्तमान चालू पेराई सत्र, 1999-2000 में निगम क्षेत्र की चीनी मिल मुन्डेरवा नहीं चल रही है तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिल वाल्टरगंज पर रु० 279.76 लाख तथा बस्ती का रु० 811.19 लाख दिनांक 16-3-2000 तक बकाया है।

निगमों में 15 दिनों से अधिक विलम्ब से भुगतान पर ब्याज दिये जाने का प्रावधान है परन्तु गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने के प्रकरण पर निजी चीनी मिल द्वारा मा० न्यायालय में वाद दायर कर दिये जाने के फलस्वरूप मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, विकास खण्ड साऊघाट के ग्रामवासियों द्वारा सरयू नहर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

120. श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊघाट के ग्राम नगहरी, नगहर, निटिया, डुमटी, दुरुलवा आदि के ग्रामवासियों का सरयू नहर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

माह दिसम्बर, 1999 में प्राप्त हुआ है।

पुल बनवाने की मांग तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में वर्ष 1997 से 99 तक जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों तथा निर्मित चौकियों का विवरण

121.–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में विकास खण्डवार कुल कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाए गए थे ? उनमें से कितने हैण्ड पम्पों की चौकियां अब तक बनाई गयी और कितने की शेष है ? क्या सरकार हैण्ड पम्पों की शेष चौकियां शीघ्र बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद बस्ती में वर्ष 1997-98 व वर्ष 1998-99 में जल निगम द्वारा विकास खण्डवार लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या एवं उन पर बनायी गयी चौकियों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०स०	वि० ख० का नाम	वर्ष 1997-98 में	
		अधि० हैण्डपम्प	बनायी गयी चौकियां
1	2	3	4
1	परशुरामपुर	71	71
2	गौर	164	164

1	2	3	4
3	हरैया	81	81
4	विक्रमजोत	94	94
5	कप्तानगंज	81	81
6	रामनगर	60	60
7	सल्टोआ गोपालपुर	84	84
8	रधौली	177	177
9	साऊघाट	95	95
10	बस्ती सदर	70	70
11	धनकटी	103	103
12	बहादुरपुर	60	60
13	कुबरहा	78	78
	योग :–	1218	1218
		वर्ष 1998-99 में	
1	परशुरामपुर	121	121
2	गौर	116	116
3	हरैया	131	131
4	विक्रमजोत	118	118
5	कप्तानगंज	103	103
6	रामनगर	105	105
7	सल्टोआ गोपालपुर	100	100
8	रधौली	100	100
9	साऊघाट	59	59
10	बस्ती सदर	136	136
11	धनकटी	130	130
12	बहादुरपुर	116	116
13	कुबरहा	115	115
	योग :–	1450	1450

अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की चौकियां बनाना अवशेष नहीं है।

122–श्री उबैदुरहमान–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में सहकारी चीनी मिल तिलहर के सुरक्षा कर्मचारियों से प्रतिदिन आठ घण्टे एवं गन्ना क्रय केन्द्रों के केन गार्डों से चौबीस घण्टे काम लेने के सम्बन्ध में जांच की मांग

123–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद–शाहजहांपुर के सुरक्षा कर्मचारियों के प्रतिदिन आठ घण्टे की ड्यूटी ली जाती है जबकि उपरोक्त चीनी मिल के गन्ना

क्रय केन्द्रों के केन गाड़ों से चौबीस घण्टे ड्यूटी ली जाती है ? यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मिल में तैनात सुरक्षा गार्डों से मिल में 8 घण्टे की ड्यूटी मिल के अन्य कर्मचारियों की भांति ली जाती है। इसी प्रकार चीनी मिल के गन्ना क्रय केन्द्रों पर तैनात चौकीदारों को दिन में गन्ने की तौल के समय ड्यूटी करनी होती है जो सामान्यतया प्रतिदिन 8 घण्टे या उससे कम समय की होती है।

किसी प्रकार का भेदभाव बरता नहीं गया है। अतः जांच कराने तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में नहरी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

124–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत विभाग की नहरी भूमि पर अवैध कब्जा करके किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा पक्के/कच्चे निर्माण करा लिये गये हैं ? क्या सिंचाई विभाग की भूमियों पर अतिक्रमण हटाये जाने विषयक शिकायत पत्र दिनांक 29-9-09, जो उनके पंजी क्रमांक : 3066/पी0एस दिनांक 15-10-09 द्वारा विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग को अग्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ, ग्राम राधेश्यामपुरवा के आस-पास सिंचाई विभाग की नहरी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

125–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–लखनऊ के "जानकीपुरम् कालोनी" के निकट ग्राम राधेश्यामपुरवा के आसपास सिंचाई विभाग की नहरी भूमि पर "लखनऊ विकास प्राधिकरण" द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है तथा उक्त ग्राम में रिक्त पड़ी सिंचाई विभाग की नहरी जमीन पर वर्तमान में किसी प्राइवेट कालोनाईजर द्वारा अवैध कब्जा करके उसे विक्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखनऊ के "जानकीपुरम् कालोनी" के निकट ग्राम राधेश्यामपुरवा के आस-पास सिंचाई विभाग की नहरी भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कराया गया है।

रिक्त पड़ी सिंचाई विभाग की नहरी भूमि पर किसी प्राइवेट कालोनाईजर द्वारा कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

126–श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकि–

| विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त |

जनपद बलरामपुर, उतरौला हेतु स्वीकृत मार्गों हेतु अवमुक्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा/बलरामपुर को धनराशि से पूर्ण कराने की मांग

127–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157–उतरौला जनपद–बलरामपुर में वर्ष 1995-96 व 1996-97 तथा 1997-98 में स्वीकृत मार्गों को पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किस्त से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा में खड़न्जा पुलिया निर्माण कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–1/20296/गोण्डा/99 दिनांक 9-2-99 के आधार पर द्वितीय किश्त कितनी धनराशि की जारी की गयी है ? क्या जारी धनराशि से कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

वर्ष 1995-96 व 1996-97 तथा 1997-98 में स्वीकृत मार्गों को पूर्ण कराने हेतु कुल रु० 53.51 लाख की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा/बलरामपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग श्रीदत्तगंज तथा उतरौला के कृषकों हेतु स्वीकृत निःशुल्क बोरिंग में धांधली

128–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 157–उतरौला जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग, श्रीदत्तगंज तथा उतरौला में वर्ष 1995-96 में किन-किन कृषकों के किस-किस गाटा संख्या में निःशुल्क बोरिंग की गयी ? क्या यह सही है कि बोरिंग न कराकर फर्जी तरीके से धन का भुगतान कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर इसमें दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र 157 उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग में 390, श्रीदत्तगंज में 258 तथा उतरौला में 478 कुल 1126 कृषकों की निःशुल्क बोरिंग पूर्ण की गयी है । जिसका सम्पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जो किसी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मऊ में वन्देमातरम् हरिजन बालिका विद्यालय, भेड़कूल सुल्तानपुर, विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव को छात्रवृत्ति मद में उपलब्ध धनराशि का लाभ छात्रों तक न पहुंचने की शिकायत

129–श्री मूलचन्द –

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन्दे मातरम् हरिजन बालिका विद्यालय, भेड़कूल सुल्तानपुर विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव जिला मऊ को वर्ष 1994 से अब तक कितनी

धनराशि छात्रवृत्ति के मद में प्राप्त हुई है ? क्या यह सही है कि छात्रों को छात्रवृत्ति व शासन द्वारा दी जा रही सहायता का लाभ उन्हें दिया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां । वन्दे मातरम् हरिजन बालिका विद्यालय, भेड़कूल सुल्तानपुर विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव जिला मऊ को वर्ष 1994 से अब तक छात्रवृत्ति मद में कुल 53,604 रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ।

जी हां ।

किसी शिकायत के अभाव में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत रविदासनगर भदोही के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सम्बन्धी चेक पर हस्ताक्षर न होने एवं धन आहरित होने में विलम्ब की जानकारी एवं भुगतान की मांग

130–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–संत रविदास नगर भदोही के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बलिराजी देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण निवासी तेजसिंहपुर के नाम पारिवारिक लाभ का 10,000 रुपये का चेक सं० 309897 दिनांक 20-3-99 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा, ज्ञानपुर को जारी किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त चेक पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण उक्त भुगतान अभी तक नहीं हो सका है ? यदि हां, तो सरकार उसका भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां,

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का रु० 10,000/- का चेक संख्या–309897 दिनांक 20-3-99 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ज्ञानपुर को कई योजनाओं के चेक वितरण हेतु आयोजित शिविर के दौरान श्रीमती बलिराजी देवी पत्नी स्व० लक्ष्मी नारायण ग्राम तेजसिंहपुर के नाम जारी किया गया ।

उस समय कई सम्मानित व्यक्तियों द्वारा चेक वितरण किया जा रहा था । तत्समय काफी भीड़-भाड़ के कारण चेक पर हस्ताक्षर भूलवश छूट गया था । उक्त चेक लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर निरस्त कर, उसके स्थान पर दूसरा चेक संख्या–309973 दिनांक 15-11-99 द्वारा रु० 10,000/- निर्गत लाभार्थी को हस्तगत करा दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार छतरी योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए मल्लावां, हरदोई के बेरोजगारों में नौकरी पाने वालों की संख्या की जानकारी

131–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये रोजगार छतरी योजना प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत प्रदेश में अब

तक कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है ? उनमें जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

योजना के प्रारम्भ से प्रदेश में अब तक (फरवरी, 2000 तक) 12.84.535 (बारह लाख चौरासी हजार पांच सौ पैंतीस) लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराये गये हैं । उनमें जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में योजना के प्रारम्भ से अब तक (15 फरवरी, 2000 तक) 2113 बेरोजगार लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराये गये हैं ।

सिंचाई विभाग, राज्य कर्मचारियों के सामूहिक मामलों के समाधान हेतु 'स्टाफ ग्रीवेन्स अधिकारी' की नियुक्ति का शासनादेश एवं अनुपालन की मांग

132–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के सामूहिक मामलों के समाधान हेतु 'स्टाफ ग्रीवेन्स अधिकारी' की नियुक्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्या : 24–ई०एम०/81–का०–4–1999. दिनांक 18 जून, 1999 द्वारा जो निर्देश प्रसारित किए गए थे, उसके अनुपालन में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभागाध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त संघों से नामांकित प्रतिनिधियों के नाम प्राप्त किये जा रहे हैं ।

प्रशासन में दक्षता/चुस्ती और तीव्रता लाने एवं कर्मचारियों के सामूहिक हित सम्बन्धी मामलों के त्वरित निस्तारित हेतु ''वैभागिक संयुक्त संगठन'' की स्थापना पर कार्यवाही की मांग

133–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन में दक्षता, चुस्ती और तीव्रता लाने एवं कर्मचारियों के सामूहिक हित सम्बन्धी मामले के त्वरित निस्तारण हेतु ''वैभागिक संयुक्त संगठन'' की स्थापना किए जाने हेतु जो निर्देश शासन के आदेश पत्रांक : 365(2)/47–का०–4–95–24ई एम/81.दिनांक 2-5-1995 द्वारा प्रसारित किए गए थे उनके अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां प्रमुख अभियन्ता द्वारा मान्यता प्राप्त संघों से नामांकित किये जाने वाले प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्राप्त की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर, ग्राम–आलमपुर गेरिया में नलकूप चालक के पद पर कार्यरत श्री अवधेश कुमार द्विवेदी द्वारा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की शिकायत

134–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के ग्राम–आलमपुर गेरिया में नलकूप चालक के पद पर कार्यरत श्री अवधेश कुमार द्विवेदी द्वारा सरकारी नौकरी में रहते हुए ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा गया था और वर्तमान में उक्त कर्मी द्वारा ग्राम प्रधान एवं नलकूप चालक दोनों कार्य

देखे जा रहे हैं ? उक्त प्रकरण में वर्ष 1997 में कुल कितने परिवाद पत्र प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) कार्यालय में प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ब्लाकवार महिलाओं को दी जा रही विधवा पेंशन का लाभ सही लाभार्थियों को दिये जाने की मांग

135–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में किन-किन ब्लाकों में कितनी महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है ? क्या लाभार्थियों को दी जा रही विधवा पेंशन का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो कितने लाभार्थियों को फर्जी पाया गया ? क्या ब्लाकवार लाभार्थियों की सूची सदन के गठन पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत 11 ब्लाकों यथा पुवारका, बलिया खेड़ी, सढौली कदीम, मुजफ्फराबाद, नकुड़, सरसावा, गगोंह, देवबंद नागल, रामपुर मनिहारान, नानौता में 3907 † विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री श्रीराम यादव–

[2रे गुरुवार में अता० प्र० सं०–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर के क्षेत्र जहांगीरगंज में नहरों की सफाई न होने से सिंचाई में असुविधा

137–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहांगीरगंज, अम्बेडकर नगर में कितनी नहरों की सफाई वर्ष 1997-98 तथा 1999 में करायी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की नहरों की सफाई नहीं की गई है जिससे जनता को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज में वर्ष 1997-98 में 61-10 कि०मी०, वर्ष 98-99 में 78.60 कि०मी० व वर्ष 1999-2000 में 10.80 कि०मी० अल्पिकाओं में सफाई करायी गयी है ।

जी नहीं, आवश्यकतानुसार नहरों की सफाई करायी जाती है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

प्रश्न नहीं [illegible]

[illegible]

जनपद अम्बेडकर नगर में राजे सुल्तानपुर में [illegible] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

138–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 शैय्याओं के महिला अस्पताल को राजे सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर में खुलवाने विषयक पत्र मुख्य मंत्री की संस्तुति सहित दिनांक 19-3-99 को यथोचित कार्यवाही कराने हेतु उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो महिलाओं के जीवन रक्षा हेतु उक्त अस्पताल कब तक बनवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां । वर्तमान में महिला चिकित्सालय खोलने की शासन की कोई योजना नहीं । महिला चिकित्सा की सुविधा 30 शैय्या वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण राजे सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना सम्भव नहीं है ।

जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा की अधीक्षिका डा० श्रीमती राजवंशी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

139–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा की अधीक्षिका डा० श्रीमती राजवंशी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्रांक–सी०एम०/एम–1/26238/मथुरा/99, दिनांक 12-8-99 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच कराई गई । जांच में डा० संतोष राजवंशी वित्तीय अनियमितता करने की दोषी पायी गयीं, जिसके लिये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

जनपद मुरादाबाद में उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल में हाउस कीपर की नियुक्ति में अनियमितता के न होने का मामला

140–श्री गजेन्द्र कुमार सिंघल–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के आदेश संख्या–1181-84/ह०स०क०/स्था०/87-88. के क्रम में की गयी हाउस कीपर की नियुक्ति के समय आयु कितनी थी ? क्या यह सही है कि नियुक्त कर्मचारी की आयु अधिक थी ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत उसकी नियुक्ति की गयी है ? क्या नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

नियुक्ति के समय श्रीमती सुशीला देवी, हाउस कीपर की आयु 34 वर्ष 11 माह व 15 दिन थी।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई छितौनी एवं लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) क्षेत्र में गन्ना उत्पादन बढ़ने से पेराई क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार से मांग

141–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई, छितौनी एवं लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) की क्षेत्र में बढ़ते गन्ना उत्पादन को देखते हुए वहां पेराई क्षमता बढ़ायी जायेगी ? क्या इसके लिए चीनी मिलों को सरकार धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को वर्ष 1995 में बी० आई० एफ० आर० द्वारा "सीक" के प्राविधानों के अन्तर्गत एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित किये जाने तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण निगम द्वारा अपनी इकाइयों की पेराई क्षमता का विस्तारीकरण नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त निगम के घाटे को कम करने के उद्देश्य से छितौनी इकाई को शासन द्वारा पेराई सत्र 1999-2000 से स्थाई रूप से बन्द करने का निर्णय लिया गया है ।

कुशीनगर के ग्राम मंशा छाबरा में पिच रोड से गांव को जोड़ने की जानकारी

142–श्री दीपलाल भारती–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2 अक्टूबर, 1998 (गांधी जयन्ती के अवसर पर) ग्राम मंशा छाबरा (कुशीनगर) के सार्वजनिक सभा में जिलाधिकारी, कुशीनगर ने घोषणा की थी कि पिच सड़क से गांव को खड़ण्जा द्वारा जोड़ने का धन, विकास खण्ड खड्डा को दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क निर्मित हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जिलाधिकारी कार्यालय कुशीनगर के संज्ञान में ऐसी कोई घोषणा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड के निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143–श्री राम ललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में संसाधनों से असम्बद्ध [illegible] नए कार्य की स्वीकृति न दिये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में गन्ना समिति, बस्ती तथा गन्ना समिति, बाल्टरगंज द्वारा गन्ने के मूल्य में बड़े पैमाने पर की गई हेराफेरी

144–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में गन्ना समिति, बस्ती तथा गन्ना समिति, बाल्टरगंज द्वारा बड़े पैमाने पर गन्ना मूल्य में की गयी हेराफेरी एवं घपले की जांच के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र माह अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं।

उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम मुहम्मद नगर एवं बसडीला की सीमा पर बरसात के पानी के निकालने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

145–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम मुहम्मद नगर एवं बसडीला की सीमा पर बरसात के पानी निकास के लिए नहर में साइफन निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

साइफन के बजाय जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र०, लखनऊ के पूर्व सचिव श्री एस० एन० अवस्थी द्वारा अनियमितता के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही

146–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र०, लखनऊ के पूर्व सचिव एस०एन० अवस्थी को वर्ष 1997 में अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश देने, परीक्षा सम्बन्धी अभिलेखों में हेराफेरी, पत्नी के नाम फर्जी नर्सिंग स्कूल चलाने, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नालाजी सम्बन्धी स्कूल बिना स्वीकृति चलाने, अपने पद का दुरुपयोग कर उपरोक्त संस्थाओं को सहयोग करने, छात्रों से अवैध तरीके से धन कमाने आदि के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त समस्त प्रकरण पर उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

डा० एस० एन० अवस्थी, पूर्व सचिव, उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी को अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–093/5-6-99-डब्लू-7/94, दिनांक 22 जून, 1999 द्वारा सेवा से हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के पूर्व सचिव श्री एस० एन० अवस्थी द्वारा इन्स्टीट्यूट आफ पाल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड एन्वायरोलमेंटल सेनीटेशन, लखनऊ नामक संस्था के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147-श्री [illegible]–

क्या स्वास्थ्य मंत्री [illegible] स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के श्री एस०एन० अवस्थी द्वारा [illegible] इन्स्टीट्यूट आफ पाल्यूशन कन्ट्रोल एण्ड इन्वायरोलमेंटल सेनीटेशन, लखनऊ नामक संस्था के सम्बन्ध में [illegible] अप्रैल, 1999 को डा० महेश करजगोलकर का कोई पत्र डायरेक्टर जनरल मेडिकल एण्ड [illegible] डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ एवं सेक्रेटरी यू०पी० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के क्षेत्र धामपुर में वर्षा ऋतु में बाढ़ सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु योजना की जानकारी

148-श्री भूलचन्द–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि धामपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद बिजनौर में वर्ष 1999 में वर्षा ऋतु में मुकरपुरी, हिम्मा, नवाबा केशो, टौड़ा सिपाही वाला गंगाधर, सिजौली आदि ग्राम भीषण बाढ़ की चपेट में आ गये थे ? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों को बाढ़ की चपेट से बचाने हेतु सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । इन ग्रामों की बाढ़ सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग द्वारा योजना तैयार की गयी है । इस योजना की स्वीकृति राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 117वीं बैठक में दिनांक [illegible] जनवरी, 2000 को प्रदान की जा चुकी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकरनगर, विकास खण्ड कटेहरी में ग्राम सभा बन्दनडीह में वर्ष 1997 से विकास हेतु प्राप्त धन तथा कृत कार्यों के भौतिक सत्यापन की मांग

149-श्री चेतराम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बन्दनडीह, विकास खण्ड कटेहरी जनपद अम्बेडकर नगर को वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कुल कितना धन ग्राम विकास के लिए दिया गया ? इस धन को किन-किन कार्यों में व्यय किया गया ? क्या ग्राम प्रधान द्वारा करवाये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

ग्राम सभा बन्दनडीह, विकास खण्ड कटेहरी, जनपद–अम्बेडकर नगर को वर्ष 1997-98 में धनराशि मु० 84,523.57 रु० व वर्ष 1998-99 में धनराशि मु० 87,418.00 दिया गया ।

उक्त धनराशि सोलिंग, नाली निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि पर व्यय की गयी ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्रीमती सन्ध्या रानी श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार संबंधी रिट याचिका की पैरवी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

150–श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या 572आई०एम०/97–27–सिं०–10–421/97, दिनांक 18-12-97 के प्रस्तर–17 में याची द्वारा संस्थित की गयी रिट याचिका/निर्देश याचिका की प्रभावी पैरवी न करने वाले वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही शासन स्तर पर करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या रिट याचिका संख्या–7731(एसएस) आफ 1988 श्रीमती संध्या रानी श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की पैरवी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता को दे दिये गये हैं ।

सिंचाई विभाग में श्री राम प्रकाश गौड़ तथा श्री गिरीश प्रसाद गौड़ की प्रोन्नति में अनियमितता का मामला

151—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि का० ज्ञा०सं०–3338/ई-4क/90मिस/खं०लि०, दिनांक 3-5-94 के क्रमांक 73 पर अंकित श्री राम प्रकाश गौड़ जन्म तिथि 2-1-46 बैच व मेरिट संख्या 1971/2045 तथा का० ज्ञा० सं०–324/ई-4क/90मिस/खं०लि०, प्रो० दिनांक 30-4-92 के क्रमांक 31 पर अंकित श्री गिरीश प्रसाद गौड़ जन्म तिथि 1-1-45 बैच क्रमांक 1968/378 की प्रोन्नति अनुसूचित जाति के कोटे के आधार पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्मिकों के जाति प्रमाण-पत्र की जांच प्रोन्नति करने से पूर्व की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में श्री रामचन्द्र कश्यप की प्रोन्नति अनुसूचित जाति के कोटे के आधार पर करने के सम्बन्ध में जांच की मांग

152–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि का० ज्ञा० सं०–13052/ई-4क/90मिस/खं०व०लि०/व०सहा०/प्रो०, दिनांक 20-11-97 के क्रम संख्या 178 पर अंकित श्री राम चन्द्र कश्यप जन्म तिथि 1-10-53 नियुक्ति की तिथि 15-2-78 को अनुसूचित जाति के कोटे के आधार पर प्रोन्नति

की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी के नियुक्ति/प्रोन्नति करने से पूर्व जाति प्रमाण–पत्र की जांच करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा पुष्टि कर ली गयी है । जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की जांच कराने का प्राविधान नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी के आवंटन में आरक्षण का पालन न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

153–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनियों के आवंटन में आरक्षण का पालन न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र राय, उप सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र सं० दर्ज–19/1999/II(14)99/लो०शि०–4, दिनांक 29-1-99 जो प्रमुख अभियन्ता (लो०शि०अनु०) सिं०वि०, लखनऊ को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ० प्र० शासन को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में अपेक्षित आख्या लोक शिकायत विभाग को प्रेषित कर दी गयी है ।

जनपद बरेली, तहसील मीरगंज, ग्राम खमरिया, आजमपुर मार्ग पर सिद्धा नवला पर काजवे (रेगुलेटर) के निर्माण में घटिया सामान लगने से ध्वस्त होने का मामला

154—श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मीरगंज (बरेली) में ग्राम खमरिया, आजमपुर मार्ग पर सिद्धा नवला पर काजवे (रेगूलेटर) का निर्माण कब किया गया है ? इस काजवे पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सही है कि घटिया सामग्री का प्रयोग होने से काजवे ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार काजवे निर्माण में अनियमितता करने वाले को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु जवाहर रोजगार योजना से मांगा गया धन

155–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली ने दिनांक 3 जून, 1999 को पत्रांक 2312–16/अनुदान/ 99-2000 द्वारा अपर जिलाधिकारी, (परियोजना) बरेली, मुख्य विकास अधिकारी बरेली से वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि जवाहर रोजगार योजना से मांगी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त 50 प्रतिशत धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 1-4-99 से जवाहर रोजगार योजना के स्वरूप को परिवर्तित कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजनान्तर्गत आवंटित संसाधन जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया है । अतः जिला ग्राम विकास अभिकरण स्तर से धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज, ग्राम ढ़किया सहादते अली की सुनिश्चित रोजगार योजना से नाली बनवाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

156–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-8-98. मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त हुआ है जो तहसील नवाबगंज (बरेली) में कांटू पुल-बढ़ैपुरा मार्ग पर स्थित ग्राम ढ़किया सहादत अली में सुनिश्चित रोजगार योजना से सड़क को टूटने से बचाने के लिए नाली बनवाने के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो क्या ढ़किया सहादत अली में नाली का निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बरेली द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की उपयोजना, वाटर रोड के अन्तर्गत विकास खण्डों में भूमि संरक्षण विषयक अवमुक्त धन के दुरुपयोग की जानकारी

157–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–3577/38-4-98-50/98 (ग्राम्य विकास अनुभाग–4), दिनांक 7 सितम्बर, 1998 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण के कार्य न कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, बरेली द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना की उपयोजना, वाटर रोड के अन्तर्गत बरेली के विभिन्न विकास खण्डों में भूमि संरक्षण से कार्य कराये जाने हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी, शारदा (नहर प्रणाली खण्ड–3), बरेली को कुल 51.235 लाख की धनराशि अवमुक्त करके कार्य कराये गये हैं ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

158—श्री राम जग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान में सिंचाई विभाग की बन्द नहरों को चालू कराने की मांग

159–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान समय में सिंचाई विभाग की कितनी नहरें बन्द पड़ी हैं ? क्या सरकार उन बन्द नहरों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

35 नहरें ।

बन्द नहरों में से 29 नहरों को चालू कराया जाना प्रस्तावित है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

बन्द पड़ी 35 नहरों में से 6 नहरें पूर्णतया ध्वस्त हो चुकी हैं, जिन्हें चालू कराया जाना अलाभकारी है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्माणाधीन नहरों का कार्य पूरा कराने की मांग

160–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जिले में कितनी नहरों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या सरकार पौड़ी गढ़वाल की निर्माणाधीन डोभल विकास क्षेत्र एकेश्वर की नहर का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस संगठन के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 19 नहरों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टूरियागंज, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा आर० एम० ओ० के पद पर अनियमित नियुक्ति का प्रकरण

161–श्री शिशु पाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, टूरियागंज, लखनऊ द्वारा आर०एम०ओ० के पद पर अनियमित रूप से की गयी नियुक्ति सम्बन्धी निदेशक, आयुर्वेद का पत्रांक–2829/शिक्षा–18. दिनांक 15 सितम्बर, 1999 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, प्रश्न में उल्लिखित निदेशक, आयुर्वेद का पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1999 प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को सम्बोधित था ।

प्रश्नगत नियुक्ति अनियमित न पाये जाने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज के ग्राम कटैय्या अल्हैया के मध्य निर्माणाधीन रेगुलेटर के लिए पुनरीक्षित आंकलन के अनुसार धन अवमुक्त करने की मांग

162–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के ग्राम कटैय्या अल्हैया के मध्य निर्माणाधीन रेगुलेटर के लिए पुनरीक्षित आंकलन के अनुसार धन अवमुक्त करने हेतु दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 को मुख्य विकास अधिकारी, बरेली को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई में सोनहार रजबहा से जाने वाली परौली माइनर की खुदाई व सफाई की व्यवस्था की मांग

163–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई–91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के सोनहार रजबहा से जाने वाले परौली माइनर की खुदाई सफाई न कराये जाने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचने से सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई सुविधा से वंचित है ? क्या सरकार उक्त परौली माइनर की खुदाई सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई में 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के सोनहार रजबहा से जाने वाली परौली माइनर के शीर्ष से 2.00 कि०मी० तक सफाई का कार्य करा दिया गया है तथा टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

परौली माइनर की सफाई कार्य शीर्ष से 2.00 कि०मी० तक करा दिया गया है तथा टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में सहिजना ड्रेन की खुदाई/सफाई का कार्य, उ० प्र० ऊसर सुधार निगम द्वारा पूर्ण कराने की मांग

164–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई–91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की सहिजना ड्रेन की खुदाई सफाई, उ० प्र० ऊसर सुधार निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है ? उक्त ड्रेन पर कितना धन खर्च किये जाने हेतु स्वीकृति दी गयी है ? ड्रेन की खुदाई सफाई का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

कोई धन आवंटित नहीं है ।

भूमि सुधार निगम द्वारा प्राक्कलन स्वीकृति एवं धन आवंटन होने पर, वर्ष 2000-2001 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की हथौरा ड्रेन की खुदाई/सफाई व विस्तारीकरण कराने की मांग

165–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई–91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हथौरा ड्रेन की खुदाई सफाई व विस्तारीकरण, उ० प्र० ऊसर सुधार योजना द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त ड्रेन की खुदाई, सफाई व विस्तारीकरण पर कितना धन मार्च, 99 तक खर्च किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मार्च, 1999 व्यतीत हो चुका है । उक्त वर्ष में कोई धन व्यय नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

166–श्री अजय कुमार पोइया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेहदर में सेवानिवृत्त सुश्री शान्ती देवी, ए० एन० एम० को समय से पेंशन न मिलने विषयक मामला

167–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी हैं कि शान्ती देवी, ए०एन०एम० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेहदर, जनपद हरदोई माह अक्टूबर, 1998 में सेवानिवृत्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सेवानिवृत्त, ए०एन०एम० की पेंशन जारी कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त को पेंशन कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 07-02-2000 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन आपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की जानकारी

168–श्री रामललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के जिला चिकित्सालय में वर्ष 1993-94 से आपरेशन थियेटर का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

जिला बरेली के चिकित्सालय में दो एक्सरे टेक्नीशियन के पद सृजन के लिये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

169–श्री रामललित चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला चिकित्सालय में दो एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के सृजन के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र माह अक्टूबर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

वर्ष 1999-2000 में आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण पद सृजन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्ष 2000-2001 में आय-व्ययक में प्राविधान होने पर पद सृजन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरहुआ में कार्यरत अधिकारियों द्वारा आहरित यात्रा-भत्ता में व्यय धनराशि का विवरण

170–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरहुआ, जनपद वाराणसी में कार्यरत कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 1998-99 में यात्रा भत्ता के मद में किस प्रयोजन हेतु कितनी-कितनी धनराशि आहरित की है ? उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि वहां पर कार्यरत इंचार्ज चिकित्साधिकारी को सरकारी जीप उपलब्ध रहते हुए भी यात्रा भत्ता लिया गया है ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरहुआ, जनपद वाराणसी के अन्तर्गत कार्यरत 3 अधिकारियों एवं 13 कर्मचारियों (कुल 16) को वित्तीय वर्ष 1998-99 में निम्न विवरणानुसार राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु यात्रा-भत्ता मद में कुल रु० 21,900.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है :–

नाम अधिकारी/कर्मचारी	यात्रा भत्ता मद में भुगतान की गई धनराशि (रुपये में)
1	2
सर्वश्री	
1–डा० आर० ए० सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी	9,900.00
2–डा० ए० के० गुप्ता, एम० ओ० सी० एच०	600.00
3–एम० पी० पाण्डेय, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी	550.00
4–एस० आर० चौरसिया, फार्मेसिस्ट	250.00
5–एम० डी० टण्डन, एल० टी०	500.00
6–के० एन० श्रीवास्तव, नेत्र सहायक	250.00
7–जी० एस० सिंह, एस० पी० एस०	450.00
8– एस० एन० पाण्डेय, वी० एच० डब्लू०	250.00
9–श्रीमती किरन सिंह, ए० एन० एम०	250.00
10–देवी सिंह, वार्ड ब्वाय	100.00

1	2
11–द्वारिका प्रसाद, स्वीपर, चौकीदार	100.00
12–निजामुल्लाह, एच० ए०	450.00
13–एस० एन० सिंह, एच० ए०	450.00
14–चन्द्र शेखर सिंह, संगणक	500.00
15–विक्रम नारायण लाल, वरिष्ठ लिपिक	7,000.00
16–राम भरोसे, वाहन चालक	300.00
कुल योग =	21,900.00

जी हां । नियमानुसार अनुमन्य यात्रा भत्ता लिया गया है ।

कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में नवसृजित पल्हना ब्लाक के कार्यालय के भवन निर्माण की मांग

71—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नव सृजित पल्हना ब्लाक के कार्यालय भवन निर्माण हेतु क्या धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भवन निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

संसाधनों की कमी के कारण धनराशि स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

172–श्री नरेन्द्र सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

173–श्री छोटे लाल गंगवार–

[2रे मंगलवार में अता० प्र० सं०–161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ, विकास खण्ड रतनपुरा पर तैनात श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव द्वारा पुष्टाहार सामग्री वितरण में अनियमितता/धांधली का प्रकरण

174–श्री रामतेज यादव, एडवोकेट–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ अन्तर्गत विकास खण्ड रतनपुरा पर तैनात श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पुष्टाहार की सामग्री के वितरण में अनियमितता एवं धांधली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां । इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

प्राप्त शिकायतों की जांच करायी गयी । जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पूर्व सचिव द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने विषयक पत्र

175-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-99 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पूर्व सचिव द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के सरयू नहर खण्ड-4 के अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 95 से 98 तक कृत कार्यों का विवरण

176--श्री उबैदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यरत सरयू खण्ड-4 में वर्ष 1995-96, 1996-97 व 1997-98 में अवर अभियन्ता द्वारा कौन-कौन निर्माण कार्य कराये गये हैं ? क्या कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका स्थलीय भौतिक सत्यापन टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड-4 बलरामपुर का सृजन माह 6/98 में हुआ है । अतः वर्ष 95-96, 96-97 व 97-98 में उक्त खण्ड में कार्य कराये जाने का प्रश्न ही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में सहकारी क्षेत्र में मिनी शुगर प्लान्ट स्थापित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

177—श्री बांके लाल सोनकर-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में सहकारी क्षेत्र में मिनी शुगर प्लान्ट स्थापित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1999 गन्ना विकास मंत्री एवं उनको प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं । संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

सहकारी क्षेत्र में मिनी शुगर प्लांट स्थापित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि मिल की स्थापना के लिये ऋण जिन वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होते हैं उनकी शर्तों के अनुसार स्थापित होने वाली चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी का होना आवश्यक है । अतः मिनी शुगर प्लांट सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र प्रतापपुर में स्थानीय बरुणा नदी के जल भराव से खेती के नुकसान को रोकने एवं दूर करने की सरकार से मांग

178–श्री जोखूलाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत स्थानीय बरना नदी के जल भराव के कारण कितने गांवों में खेती नहीं हो पाती है ? क्या सरकार इस जल भराव को दूर करने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत स्थानीय बरना (वास्तविक नाम बरुणा) नदी के जल भराव के कारण 22 ग्रामों में आंशिक रूप से खेती नहीं हो पाती है ।

जल भराव को दूर करने हेतु परियोजना बनाकर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति को भेजी गई थी परन्तु तकनीकी पहलू से साध्य न होने के कारण तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना अस्वीकृत कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे में वर्तमान में मिलावटी सरसों के तेल बेचे जाने की शिकायत

179–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे में वर्तमान समय में मिलावटी सरसों का तेल बेचा जा रहा है ? क्या कस्बे में मिलावट के कारण जानलेवा बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या विकृत सरसों के तेल की शुद्धता की जांच प्रयोगशाला द्वारा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

विकृत सरसों के तेल का मामला संज्ञान में आने पर उसकी शुद्धता की जांच प्रयोगशाला से कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

180–श्रीमती माया प्रसाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गढ़वाल, तहसील कोटद्वार, ग्राम सकाली, में श्रीमती दीना देवी की भूमि पर दुमटगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कमरे बने होने के कारण मुआवजा की मांग

181–श्री भारत सिंह रावत–

क्या परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती दीपा देवी पत्नी स्व० श्री दौलतराम, ग्राम-सकाली, तहसील–कोटद्वार, गढ़वाल की भूमि पर दुमटगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कमरे बने हैं ? यदि हां, तो क्या इस भूमि का मुआवजा उन्हें दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुआवजे भुगतान का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मथुरा में संजय कालोनी, कृष्णानगर को ध्वस्त करने से रोके जाने विषयक विधायक कोष्ठक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

182—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय कालोनी कृष्णानगर, जनपद मथुरा को ध्वस्त करने से रोके जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–5/12873/ मथुरा/98. दिनांक 4-7-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

आगरा नहर में आकस्मिकता के समय तथा वर्षा ऋतु में जब कृषि हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो अतिरिक्त जल की निकासी के उद्देश्य से मथुरा स्केप का निर्माण कराया गया था । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक धोतरा कुण्ड में भी इस स्केप से जल भरा जाता है । विगत वर्षों में इस स्केप की दायीं पटरी तथा तली को समतल करके उक्त पर पक्के/कच्चे अवैध निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है । अतः तकनीकी एवं स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस स्केप को चालू रखने के लिए अतिक्रमण हटाया जाना अति आवश्यक है ।

सिन्थेटिक दूध के अपमिश्रित दूध निर्माताओं/विक्रेताओं का जनपदवार विवरण

183–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिन्थेटिक दूध के खिलाफ छेड़े गये अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने मामले यूरिया, वैजीटेबिल आयल, डिटरजेन्ट आदि रसायनिक अपमिश्रण के पाये गये तथा उनकी संख्या क्या है ? क्या सरकार द्वारा मिश्रणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? क्या सरकार मिश्रणकर्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां । (सूची संलग्न है ।)

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपमिश्रित दूध निर्माताओं/विक्रेताओं का जनपदवार विवरण

क्र०सं०	जनपद	अपमिश्रण से सम्बन्धित निर्माताओं/विक्रेताओं की संख्या
1	2	3
1	मेरठ	73
2	बागपत	19
3	हरिद्वार	24
4	गाजीपुर	56
5	सहारनपुर	106

1	2	3
6	अम्बेडकरनगर	22
7	सिद्धार्थनगर	42
8	महराजगंज	87
9	महोबा	09
10	प्रतापगढ़	50
11	आगरा	184
12	बिजनौर	40
13	जौनपुर	121
14	बलिया	45
15	रायबरेली	71
16	गाजीपुर/रविदासनगर	22
17	गोण्डा	88
18	बलरामपुर	35
19	बहराइच/श्रावस्ती	63
20	उत्तरकाशी	06
21	मुरादाबाद	07
22	मिर्जापुर	35
23	मुजफ्फरनगर	56
24	उन्नाव	10
25	फर्रुखाबाद/कन्नौज	86
26	बांदा	17
27	रामपुर	53
28	मथुरा	10
29	बदायूं	36
30	हमीरपुर	16
		1409

नोट :–अन्य जनपदों से सूचना प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जायेगी ।

लखनऊ कैनाल कालोनी स्थित तारघर आवास में अवैध निर्माण कार्य पूर्ण न होने की सूचना

184–श्री अजय भट्ट –

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैनाल कालोनी स्थित "तारघर-आवास" में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कौन-कौन से अवैध निर्माण कार्य सम्पन्न हुए ? क्या इस सम्बन्ध में पूर्व में प्राप्त परिवाद-पत्रों पर मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कैनाल कालोनी स्थित तारघर आवास में कोई अवैध निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं हुए हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

सिंचाई विभाग में भारत सरकार के गजट नोटीफिकेशन के अन्तर्गत प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति पर कार्यवाही की मांग

185–श्री अजय भट्ट –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या–का०आ०–60(अ), दिनांक 7-1-1994 के शिड्यूल–1 के अन्तर्गत आते हैं ? उक्त में से कितने प्रोजेक्ट्स को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (इन्वायरन्मेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट क्लीयरेन्स) प्राप्त करने के उपरान्त प्रदान की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के आदेश संख्या–5141/55–पर्या०/1997, दिनांक 20-10-1997 के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

22 परियोजनाएं।

वित्तीय स्वीकृति

उक्त में पांच परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से चार परियोजनाओं की इनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट क्लीयरेंस विचाराधीन है तथा एक परियोजना की इन्वायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट क्लीयरेन्स प्राप्त होने के बाद वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रशासनिक स्वीकृति

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वित्तीय एवं इंवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही होती है। अतः इनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट क्लीयरेंस के स्वीकृति के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति का प्रश्न नहीं उठता।

हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-99 में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद व फतेहपुर सीकरी में स्वीकृत कार्य/विवरण

186–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद व फतेहपुर सीकरी में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? उनके नाम क्या हैं तथा उन पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है ? अधूरे स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने में कितना धन खर्च होना शेष है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित कार्य स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो प्रस्तावकों के नाम क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद आगरा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 व 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद व फतेहपुर सीकरी में कुल 328 कार्य स्वीकृत किये गये।

विवरण संलग्न है ।

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद व फतेहपुर सीकरी के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने में कुल 165.301 लाख धन खर्च होना शेष है ।

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 111–116 पर)

श्री शिव चरन प्रजापति, सदस्य, विधान सभा को पुलिस द्वारा अपराधिक प्रकरण में फंसाने एवं उत्पीड़न किये जाने विषयक श्री श्रीराम पाल आदि द्वारा नियम 311 की सूचना को नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकृत किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29-3-2000 को नियम–51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं ली गयीं । जिसमें पहली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है इसे मैंने वक्तव्य हेतु स्वीकार किया है । मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है और परसों शासन से इस पर वक्तव्य मांगा है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जब वह हाउस में अपनी बात ही नहीं कह पायेंगे तो फिर क्या रहा ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह विधायक के ऊपर घटित घटना है । वह बिल्कुल निर्दोष और सीधे-साधे व्यक्ति हैं और जिस तरह से जानबूझकर इनको अपमानित किया गया है इससे निश्चित रूप से आपको संज्ञान लेना चाहिए । मान्यवर, यह एक स्पेसिफिक मामला है,आपसे निवेदन है कि इसे नियम–311 में सुन लें और उस पर सरकार का वक्तव्य आ जाये उसके बाद जो कार्यवाही होगी वह होगी । मान्यवर, 51 का वक्तव्य अन्त में आता है उस स्थिति में जो पूरक और अनुपूरक प्रश्न होते हैं, उस समय ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि पूछा जाय । यह व्यक्तिगत मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

सरकार जानकारी कर ले । आप कहें तो शासन से कल वक्तव्य मंगा लेता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कल इस संबंध में जानकारी कर लें और इसमें आपकी तरफ से स्पष्टीकरण आ जाय ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, पंजीयन एवं मनोरंजन कर एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

ठीक है, मान्यवर ।

प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं श्रावस्ती जनपद के गठन सम्बन्धी अधिसूचना रद्द किये जाने विषयक डा० वकार अहमद शाह आदि की नियम–311 की सूचना को नियम–52 के अन्तर्गत चर्चा हेतु स्वीकृत किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

311 में अगली सूचना श्री वकार अहमद शाह, श्री राम तेज यादव एडवोकेट एवं अन्य सदस्यों की प्रदेश के अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं श्रावस्ती जनपद के गठन संबंधी है । इसे नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है । इसमें परसों चर्चा हो जायेगी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसे कल कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । कल कर लेते हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 29 मार्च, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर, अग्राह्य को छोड़ते हुए, निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई । (छठी एवं सातवीं सूचना में श्री पूर्णमासी पंकज एवं श्री सत्य प्रकाश सोनकर के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची की दो सूचनाएं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं श्री सरवर अली की लिये जाने पर तथा श्री सरवर अली के अनुपस्थित होने पर कुल निम्नलिखित 6 सूचनाएं स्वीकृत की गई)

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद बांदा के पैलानी–लसड़ा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम लसड़ा जिसकी आबादी लगभग 8000 (आठ हजार) है व उसके आस पास के ग्राम व मजरे बसधरी, अदरी, गुरगवां विलहरी डेरा लगड़ाडेरा आदि सम्पर्क मार्ग के अभाव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । चार महीना बरसात के मौसम में जिला मुख्यालय व ब्लाक मुख्यालय से सम्पर्क टूटा रहता है । बीमारी की दशा में मरीज का अस्पताल पहुंचना मुश्किल रहता है आवागमन अवरुद्ध रहने के कारण अपराधियों की अपराध करने का बढ़ावा मिलता है पैलानी से सिघन कला तक दो कि०मी० व सिंघन से लसड़ा तक पांच कि०मी० कुल सात कि०मी० सड़क का निर्माण कर दिया जाय तो समस्या का निवारण किया जा सकता है जनता द्वारा कई बार मांग किये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से निराशा व्याप्त हो ।

श्रीमान् जी से अनुरोध है कि पैलानी लसड़ा मार्ग कुल सात कि०मी० निर्माण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें ।]

जनपद अम्बेडकर नगर में कोड़रा केदार नगर मार्ग पर थिरुआ नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर में ग्राम कोड़रा एवं खांशापुर के बीच कोड़रा–केदारनगर मार्ग पर थिरुआ नाले में पुल न होने के कारण आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । स्थानीय जनता द्वारा स्वयं चन्दा करके पुल का निर्माण किया गया है जो कि अत्यधिक संकरा है, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है और अनेक ग्रामों में पानी भर जाता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त कोड़रा केदारनगर मार्ग, जनपद अम्बेडकर नगर में धिरुआ नाले पर पुल के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट के सभी सरकारी विभागों में न्यूनतम मजदूरी की दर पुनरीक्षित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, उ० प्र० में न्यूनतम मजदूरी की दर सैंतालीस रुपया दिहाड़ी निर्धारित है । यह दर दिसम्बर, 1996 में निर्धारित की गयी थी । तबसे अब तक महंगाई की दर में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो चुकी है । शहरी क्षेत्रों में मजदूरी की दर वर्तमान में सत्तर रुपया दिहाड़ी तक है जबकि सरकारी कार्यों में अभी सैंतालीस रुपया पर ही मजदूरों को भुगतान किया जाता है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनपद चित्रकूट में सरकारी कार्यों में पैंतीस रुपया दिहाड़ी ही दी जाती है । वन विभाग, लो० नि० वि०, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग सभी इसके शिकार हैं । मजदूरों का शोषण किया जाता है । मजदूरों के हित में न्यूनतम मजदूरी की दर को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है । मजदूरों की इस समस्या की ओर शासन का ध्यानाकर्षण कराते हुए मैं मांग करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी की दर में बढ़ी हुई महंगाई के सापेक्ष वृद्धि करते हुए कम से कम सत्तर रुपया घोषित की जाये तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के कठोर कार्यवाही के निर्देश जारी किये जायें ऐसे भी आदेश जारी किये जायें कि प्राइवेट सेक्टर यथा कृषि, उद्योग, लघु उद्योग में भी न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक मुकदमा पंजीकृत किया जाये ।]

वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की जमीन पर 132 के० वी० ए० सब-स्टेशन के निर्माण एवं ऊर्जीकरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर की बढ़ती हुई आबादी एवं उद्योग की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था दयनीय है । वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की अपनी जमीन है जिस पर 132 के० वी० ए० सब-स्टेशन का निर्माण आंशिक रूप से ओवर हेड लाइन तथा आंशिक रूप से भूमिगत केबिल का प्रयोग करके उक्त सब स्टेशन के ऊर्जीकृत किया जा सकता है । घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूमिगत केबिल डाला जाय एवं बाकी अंश में ओवर हेड लाइन डाला जाय । आज के इस वैज्ञानिक युग में सब कुछ सम्भव है । वाराणसी में विद्युत आपूर्ति की लचर व्यवस्था एवं बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उक्त जमीन पर 132 के० वी० ए० सब स्टेशन के निर्माण हेतु तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पुनः परीक्षण-निरीक्षण कराया जाना लोक हित में आवश्यक है ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना को प्रस्तुत करते हुए वाराणसी में भेलूपुर स्थित पावर हाउस की अपनी जमीन पर 132 के० वी० ए० सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने एवं उक्त को ऊर्जीकृत करने हेतु घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूमिगत केबिल डालने एवं शेष क्षेत्रों में ओवर हेड लाइन का निर्माण कराये जाने हेतु लोकहित में आवश्यक निर्देश देने की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत गौरा बादशाह से केराकत तक नहर मार्ग को पिच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर के बयालसी विधान सभा अन्तर्गत गौरा बादशाह से केराकत तक नहर मार्ग स्थित है। यह आवागमन हेतु अत्यन्त उपयोगी है। इसके अगल-बगल लगभग 50 ग्रामों की आबादी प्रभावित होती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए समस्त नहर मार्ग को पिच कराने की मांग करता हूं।]

मेरठ नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ नगर निगम के 70 वार्डों में से 27 वार्ड ऐसे हैं जिनमें एक भी स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है।

लगभग 1/3 से अधिक जनता अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है।

नगर निगम का यह कहना है कि शासन ने भर्ती पर रोक लगा रखी है। शासन का कहना है कि वेतन नगर निगम को देना है, आवश्यक समझे तथा वेतन दे सके तो वह रखे क्योंकि शासन ने तो वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर नगर निगम को पूर्ण अनुदान दे दिया है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन को संज्ञान में लेते हुए मेरी मांग है कि शासन का यदि कोई प्रतिबन्ध हो तो स्वायत्तता की भावना को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल हटावे जिसमें हम जनहित में नगर निगम को भर्ती कराने को बाध्य कर सके।]

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

संविधान के अनुच्छेद 243 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा–12 के उल्लंघन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना श्री अशोक बाजपेयी की संविधान के अनुच्छेद 243 एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 के उल्लंघन के संबंध में है। यह नियम 300 में नहीं आती है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह सूचना नियम 300 में आती है जो संविधान के उपबन्ध हैं उनका उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव को टालने का निर्णय लिया है। मान्यवर, आप संविधान के अनुच्छेद 243 (इ) को देखने का कष्ट करें उसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है इसमें शब्द "नो लांगर" प्रयोग हुआ है। मान्यवर, संविधान में यह 73वे, 74वें संशोधन के बाद व्यवस्था की गयी है कि पांच वर्षों के अन्तराल पर पंचायतों के चुनाव निश्चित अवधि पर करा लिये जायगे ; यह संविधान में बाध्यता

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है । मान्यवर, इस माननीय सदन ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन किया है उसके क्लॉज–12 में यह व्यवस्था की गयी है कि पांच वर्ष पूर्व चुनाव करा लिये जायेंगे । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग की स्थापना हुई ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें । उसमें भी सरकार ने अपने पास अधिकार ले लिया तारीखों के निर्धारण का, और चुनाव सम्पादन का कार्य चुनाव आयोग करेगा । मान्यवर, पांच वर्ष से अधिक समय तक किसी प्रकार से चुनाव को टाला जा सके ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है ।

मान्यवर, आज जो स्थिति है सरकार चुनाव में जायेगी तो उसकी पोल खुल जायेगी । एक कैबिनेट के निर्णय से पंचायतों के चुनाव को टालने का निर्णय लिया गया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य नहीं है, दूसरे राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में–इन पांच राज्यों में, चुनाव को टालने का काम किया गया है, उस पर चार मामलों में, चार राज्यों की माननीय उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव टाले नहीं जा सके, चुनाव कराने पड़ेंगे । हरियाणा में सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई वहां से भी इसे कोई सहायता नहीं मिली कि चुनाव कराने की बाध्यता है चुनाव टाले नहीं जा सकते ।

मान्यवर, इस सरकार की संविधान में कोई आस्था नहीं है इस सदन का कोई सम्मान नहीं है। 16 करोड़ लोगों की भावनाओं का इसे ध्यान नहीं है । जो पंचायती राज व्यवस्था है उस व्यवस्था को सरकार मनमानेढंग से अवहेलना कर एक अध्यादेश लागू कर चुनाव टालने का काम कर रही है जो किसी भी तरह से विधि संगत नहीं है । इनसे अपेक्षा भी नहीं है कि यह निष्पक्ष चुनाव करायेंगे । मान्यवर, चुनाव टालने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया गया है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में असंतोष और क्षोभ है ।

मान्यवर, अगर यह न्यायालय में भी जायेंगे तो इनको कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है । यह बहुत ही गम्भीर विषय है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं पंजीयन, मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक संविधान के प्राविधानों का सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राविधान अपनी जगह हैं । मान्यवर, पांच साल की अवधि चुनाव से नहीं गिनी जाती है बल्कि जब गठन हो जाय तब से । यह तीन-स्तरीय चुनाव की बात है ।

हम सब जानते हैं क्षेत्र समितियों का गठन समय से नहीं किया गया जितने भी सदस्य क्षेत्र समितियों में चुने गये वह समय से कार्य नहीं शुरू कर सके ।

मान्यवर, यदि आज चुनाव कराये जाते तो बाद में जिला पंचायत के चुनाव हो जायेंगे साथ ही साथ क्षेत्र समिति के चुनाव हो जायेंगे । पांच महीने कार्य नहीं संभाल पायेंगे क्योंकि दूसरी समिति क्षेत्र समिति जिनका गठन पांच महीने बाद हुआ है, अपनी जगह बनी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप चुनाव टालने के गुण-दोष पर आ गये । यह बतायें कि नियम 300 में आता है कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

हमारी नीयत पर शंका कर दिया, इसलिये कहने की आवश्यकता पड़ी । मान्यवर, वस्तुस्थिति क्या है, वह भी जानकारी में ला दूं । गत निर्वाचन जो हुआ था, उसमें 467 विकास खण्ड ऐसे हैं, जिसमें संविधान की धाराओं का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है और इन 467 विकास खण्डों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रधान पद आरक्षित हो गये, इसी प्रकार 27 विकास खण्डों में 80 प्रतिशत से अधिक

आरक्षित हो गये । तीन विकास खण्ड ऐसे थे, जिसमें 100 प्रतिशत आरक्षित हो गये । अब यह जो विरोधाभास पैदा हुआ, उस विरोधाभास को दूर करना हमारा दायित्व हो जाता है । यह सरकार ऐसी नहीं है कि जो संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है, उसको बर्दाश्त करती रहे ।

यह हमारा दायित्व है कि जो कमियां हैं, उनको हम दूर करें और उसको दूर करने के लिये समय चाहिए । अगर चुनाव अलग-अलग कराये जायें, क्षेत्र समितियों का बाद में करें और पंचायतों तथा जिला पंचायतों का अभी करें तो सरकार पर 70 करोड़ का भार आता है और एक तरफ सवाल यह है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कैसे सम्भाला जाय ? इन तमाम बातों पर विचार करने के बाद ही जनहित में और संविधान की धाराओं का आदर करते हुए यह निर्णय लिया गया है । इसके लिये अध्यादेश जारी किया है जो सदन के सामने भी आयेगा और विचार भी होगा, विधेयक भी बनेगा और चर्चा भी होगी । यह नियम 300 में इसलिये नहीं आता क्योंकि सारी बातें सदन के सामने आनी हैं, इसलिये इसके नियम 300 में आने का प्रश्न नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं । लेकिन स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार पिछले 4 वर्ष से पदारूढ़ है और यह चार वर्ष पर्याप्त था कि जो आरक्षण में कमी रह गई, परिसीमन के लिये भी पर्याप्त समय था । यदि चुनाव कराने के लिये इनकी प्रतिबद्धता होती और इसे गम्भीरता से लिया गया होता तो यह जो चुनाव के 5 वर्ष पूरा होने के समय निर्णय किया जा रहा है, इसकी चिन्ता करने का कोई औचित्य नहीं था । विधान सभा सत्र आहूत था और तब 18 तारीख को अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी । सदन बुलाया जा चुका था, इसमें बाकायदा विधेयक लाकर, प्रस्ताव लाकर सदन की राय जानी जा सकती थी । संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है, जिस प्रकार यह सरकार और संसदीय कार्य मंत्री अपने ढंग से भाष्य कर रहे हैं । यह 4 स्तरीय चुनाव हैं और संविधान में कहीं पर इनको टालने का कोई विशेषाधिकार नहीं है । चुनाव टालने से प्रदेश में संविधान का उल्लंघन हुआ है और सरकार ने जानबूझकर पंचायतों के चुनाव टालने का काम किया है, इससे अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मुझे इस सरकार से न्याय की कोई अपेक्षा नहीं है । मैंने आपके माध्यम से सदन के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें तात्कालिकता है, गम्भीरता है, सारी चीजें विद्यमान हैं, जो नियम 300 के लिये होनी चाहिए, इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का काम करें और सरकार को बाध्य करें कि जो समयावधि तय की गयी है, उसमें पंचायतों के चुनाव सम्पादित कराये ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर माननीय श्री अशोक बाजपेयी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना । बाजपेयी जी के अनुसार पंचायतों के चुनाव टालने से संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है । जहां तक नियम 300 का प्रश्न है, उसमें यह देखना है कि क्या संविधान के कोई ऐसे अनुच्छेद, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, उसके निर्वचन या प्रवर्तन का प्रश्न सन्निहित है ? संविधान के उल्लंघन होने का इसमें कोई अर्थ नहीं है । संविधान के किसी अनुच्छेद के निर्वचन का कोई ऐसा प्रश्न हो, जिससे सदन की कार्यवाही चले, तो ऐसा कोई प्रश्न इसमें सम्बन्धित नहीं है, इसलिये यह नियम 300 में नहीं आता ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इससे तो सदन की कोई गरिमा नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक आयेगा तो उस समय आप विचार व्यक्त कीजियेगा । जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, तो पंचायत के चुनाव हों, न हों, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए । इससे इस सदन का कार्य विनियमित नहीं होता है । यह सूचना नियम–300 में नहीं आती ।

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, अधिनियम के संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गयी थी कि पांच वर्ष में चुनाव कराये जायेंगे ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि श्री अशोक बाजपेयी जी ने जो सवाल उठाया है, इससे सदन का कार्य विनियमित होता है । यह 73वां संशोधन इस सदन से ही पास हुआ और बिना इस सदन के कोई संशोधन ये कर नहीं सकते । 73वां संशोधन में कहीं यह प्राविधान नहीं है कि चुनाव टाल दिये जायें और जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि यह चार स्तरीय चुनाव है यदि आरक्षण गलत हुआ था, अगर चुनाव सही नहीं हुए थे । आपके पास पर्याप्त समय था, आपको सुधार करना चाहिए था । ऐक्ट में कहीं भी प्राविधान नहीं है नामित करने का और वह भी आर० एस० एस० के लोगों को ।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन इससे इस सदन का कार्य विनियमित कैसे होता है ? यदि परिधि के बाहर है, तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा । अभी वह सदन के सामने भी नहीं है । यह नियम–300 में नहीं आता । मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसके विरोध में, मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह और उनके दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री गोमती यादव की है । श्री गोमती यादव अनुपस्थित हैं । वैसे भी यह सूचना नियम–300 में नहीं आती । अगली सूचना श्री मुन्ना चौहान की है, इसे मैं अस्वीकार करता हूं । यह नियम 300 में नहीं आती ।

यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 †

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मंगल सिंह सैनी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं वर्ष 1992-93†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं पंजीयन मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के, कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं वर्ष 1992-93 को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– † छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1999++

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं पंजीयन, मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या : यू०ओ०–44/एक–1/99-3-1(37)/84–180–रा०–2–उ०प्र० अधि०–1/1951–नियम–1952–संशोधन 16/रा०–1, दिनांक 17 नवम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1999 को विलम्ब के कारण सहित, उ० प्र० जमींदारी-विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–344(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2000 ++

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं पंजीयन, मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–66/यू०ओ० 44/एक–1/99-3-1(37)/84-180-रा०-2-उ० प्र० अधि०–1/1951-नियम–1952-संशोधन 17/रा०–1, दिनांक 25 जनवरी, 2000 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2000 को उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–344(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999++

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क०नि०–2-3122/ग्यारह–9(81)-91–उ० प्र०अध्या०–21(99)-नियम–1999, दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित, उ० प्र० माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1999 को, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, 1999 की धारा–4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां +

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

1–क०नि०–2-53/ग्यारह–9(231)–94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2000, दिनांक 7 जनवरी, 2000

2–क०नि०–2-100/ग्यारह–9(231)–94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2000, दिनांक 15 जनवरी, 2000

3–क०नि०–2-144/11–9(231)–94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2000, दिनांक 17 जनवरी, 2000

4– क०नि०–2-[illegible]–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2000, दिनांक 18 जनवरी, 2000

5–क०नि०–2-297/11–9(231)–94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2000, दिनांक 29 जनवरी, 2000

नोट :– ++ छापी नहीं गयीं।

नोट :– + छापी नहीं गयीं।

6—क०नि०-2-298/11-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 29 जनवरी, 2000

7—क०नि०-2-299/11-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 29 जनवरी, 2000

8—क०नि०-2-340/11-9(68)-99-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 02 फरवरी, 2000

9—क०नि०-2-522/11-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 17 फरवरी, 2000

10—क०नि०-2-668/11-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 26 फरवरी, 2000

11—क०नि०-2-669/11-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 26 फरवरी, 2000

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

1—क०नि०-2-55/ग्यारह-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 7 जनवरी, 2000

2—क०नि०-2-102/ग्यारह-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 15 जनवरी, 2000

3—क०नि०-2-524/ग्यारह-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 17 फरवरी, 2000

4—क०नि०-2-670/ग्यारह-9(231)-94-उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश-2000, दिनांक 26 फरवरी, 2000

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3-घ की उपधारा (8) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के वर्ष 1999 के तृतीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं पंजीयन, मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा के वर्ष 1999 के तृतीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उ० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 14(3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :– † छपी नहीं गयी।

नोट :– †† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11 में कुछ नहीं है ।

जनपद मेरठ महानगर के ग्राम चिन्दौड़ी में स्यूम पाइप पर बने पुल के स्थान पर कंकरीट का पुल बनाये जाने विषयक श्री हरेन्द्र भारद्वाज आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ महानगर के ग्राम चिन्दौड़ी में स्यूम पाइप पर बने पुल के स्थान पर कंकरीट का पुल बनाये जाने विषयक श्री हरेन्द्र भारद्वाज तथा श्री गोपाल अग्रवाल, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मेरठ महानगर में नगर निगम द्वारा कतिपय नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री प्रदीप रस्तोगी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मेरठ महानगर में नगर निगम द्वारा कतिपय नालों की सफाई कराये जाने विषयक श्री प्रदीप रस्तोगी तथा श्री राजकिशोर रस्तोगी, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 में कुछ नहीं है ।

डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2000 को श्री मुराद लारी के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना को उठाने का प्रयास

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मद संख्या–13 के संबंध में एक विषय मेरा है जो मैंने दिनांक 23-3-2000 को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था । इस सदन में एक प्रत्यक्ष सदन की अवमानना की घटना हुई थी । इस सम्बन्ध में मैंने मौखिक सूचना और लिखित सूचना भी दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको आज नहीं, कल उठायें ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 +

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

++ छपे नहीं गयी ।

नोट :– + दिनांक 1-4-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 *

संसदीय कार्य एवं वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम , एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बाबू राम, एम० काम०–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाये जाने के संबंध में नियम 103 के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–20 पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का एक प्रस्ताव था। उन्होंने अनुरोध किया था कि इसे आज स्थगित कर दिया जाये। इसलिए इसे मैं आज स्थगित कर रहा हूं।

सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस को शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में नियम 103 के प्रस्ताव पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

नियम 103 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा।

(श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के उपस्थित न होने पर)

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना इस समय मौजूद नहीं हैं इसलिए इस चर्चा को मैं स्थगित करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

डा० सरजीत सिंह डंग–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि :–

"यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मार्च, 2000 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।"

नोट :–*दिनांक 1-4-2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

माननीय, श्री राज्यपाल का अभिभाषण केवल मात्र एक औपचारिकता नहीं है बल्कि यह सरकार की नीतियों का प्रतिपादन करने वाला और उसकी नीतियों का भविष्य में क्या प्रभाव होने जा रहा है और वर्तमान में जो प्रचलन में है उसका क्या प्रभाव हो रहा है उसका परिचय इस माननीय विधान सभा के माध्यम से पूरे प्रदेश को देता है। माननीय, मुझे प्रसन्नता है कि इस अभिभाषण में जनजीवन से सम्बन्धित कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में सरकार की नीतियां स्पष्ट न की गयी हों। माननीय, कुछ सदस्यों का कहना है, पीछे बैठ कर कुछ कहते हैं और सदन में यहां कुछ बोल रहे हैं, यह स्वभाव आपका हो सकता है लेकिन यहां हमारी कथनी और करनी में कभी अन्तर नहीं रहा है और आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वे कहते कुछ हैं और करते कुछ रहे हैं तो यह स्वभाव आपका हो सकता है।

माननीय, इस सरकार ने पूरे देश की भावनाओं को अपने साथ सम्बद्ध करते हुए कारगिल में जिन नौजवानों ने अपना खून बहाया था, देश की रक्षा के लिए और अपने खोये हुए भू-भाग को वापस लेने के लिये जो नौजवान शहीद हुए उनके प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपये एकमुश्त सरकार ने सहायता दी और उनके प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट किया। इसके साथ ही शहीदों के परिवारों को आर्थिक दृष्टि से संरक्षण प्रदान किया। उनकी पत्नियों को सरकारी सेवा में लगाया गया और जिन्होंने सरकारी सेवा को स्वीकार नहीं किया उन्हें पांच हजार रुपये प्रतिमाह तक भत्ता स्वीकृत किया तथा शहीद के माता-पिता के लिये ढाई हजार रुपये प्रतिमाह सहायता जब तक वह जीवित हैं तब तक सहायता देने का सरकार ने निर्णय लिया।

श्री अध्यक्ष–

मुझसे परसों कई माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया था कि आज महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाय और उस पर माननीय डा० सरजीत सिंह डंग का भाषण अगले दिन जारी रखा जाय।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय, डंग साहेब बोल रहे हैं तो इन्हें थोड़ा और बोल लेने दें और फिर कल भी इनका भाषण जारी रहने देंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे पुनः बोलने का समय दिया। माननीय, मेरी चुनौती है कि जो कुछ मैं सदन में कह रहा हूं उसका यदि तर्कसंगत है। प्रतिकार करने का यदि किसी में साहस है तो वह नोट करें और उन्हें, जब समय मिले तो वह कहें कि हमने यह गलत कहा था और फिर मैं एक-एक का जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

कल के लिये आपका भाषण जारी रहेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैं अब मद संख्या–23 ले रहा हूं।

आज दिनांक 29-3-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई।

(1) श्री अम्बरीष कुमार एवं श्री श्याम किशोर यादव की सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ के शिक्षकों, अवकाश प्राप्त शिक्षकों, कर्मचारियों का जनवरी, 1997 के पश्चात् वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

(2) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — की — मेरठ महानगर में छात्रों तथा वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने तथा पुलिस की निरंकुशता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

(3) श्री राम चन्द्र यादव — की — प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण प्रक्रिया मनमाने तौर पर चलाये जाने तथा जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर के उप जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

(4) श्री अजय कुमार पोइया — की — जनपद मथुरा में गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नांकित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

(1) श्री कृष्ण पाल सिंह — जनपद कानपुर देहात अन्तर्गत पांडव नदी पर शिवली–कल्याणपुर रोड पर टिकरा व रूरा–शिवली मार्ग पर रिन्द नदी के पुल पर कोडरा में टोल टैक्स बैरियर लगाकर अवैध वसूली किये जाने के संबंध में।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर के एक युवा पत्रकार के लापता होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गोमती यादव — अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु तथा उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि को अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने के संबंध में।

(4) श्री रघुवर दयाल वर्मा — जनपद फिरोजाबाद में कस्बा शिकोहाबाद स्थित 'हिन्द लैम्प्स' कारखाने में तालाबन्दी के फलस्वरूप हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर, भदोही में स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय भदोही के शीघ्र प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

जिन मा० विधायकों की क्षेत्रीय एवं निजी समस्यायें हैं उनमें से दसवीं सूचना श्री तौफीक अहमद की जनपद सिद्धार्थनगर में लोक निर्माण विभाग के बांसी कार्यालय पर कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा कतिपय मार्गों पर अधोमानक सामग्री का प्रयोग किये जाने तथा निर्मित मार्गों की गुणवत्ता की जांच टी० ए० सी० से कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री श्रीराम पाल, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री सतीश जतारिया, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री ददू प्रसाद, श्री अरिमर्दन सिंह और श्री बादूलाल कुशवाहा की सूचना श्री शिव चरन प्रजापति, सदस्य, विधान सभा को पुलिस द्वारा फर्जी आपराधिक मुठभेड़ में फंसाये जाने से सम्बन्धित है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

शेष जो सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं वह हैं श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री लालजी वर्मा की ।"

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 29 मार्च, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (क)

(देखिये अता० प्र० सं०–85 का उत्तर आगे पृष्ठ 57–58 पर)

वर्ष 1995 से जुलाई, 1999 तक महिला परिवीक्षा अधिकारी को आवंटित कार्य की सूची

(अ) महिला परिवीक्षा अधिकारी, श्रीमती गुलजार इब्राहिम को आवंटित कार्य विवरण अवधि–1995 से 25 मई, 1998 तक

1–नारी बन्दी निकेतन से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

2–प्रोबेशन अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

3–यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

4–निरीक्षण अख्याओं का अनुपालन कराने सम्बन्धी समस्त कार्य ।

5–विधायी प्रश्नादि से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

6–शार्ट स्टे होम से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

7–महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

8–संगठनात्मक सहायता से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

(ब) महिला परिवीक्षा अधिकारी, श्रीमती ऊषा किरन सिंह को आवंटित कार्य विवरण अवधि–25 मई, 1998 से जुलाई, 1999 तक

1–नारी बन्दी निकेतन से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

2–स्थापना अनुभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

3–गोद प्रकोष्ठ से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

4–दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

5–विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना सम्बन्धी समस्त कार्य ।

6–दहेज से पीड़ित महिला को आर्थिक सहायता एवं कानून सहायता सम्बन्धी समस्त कार्य ।

7–महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित समस्त कार्य ।

8–राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ की नोडल अधिकारी का समस्त कार्य (जनहित याचिका के सम्बन्ध में ।)

9–आगरा मण्डल, आगरा की नोडल अधिकारी का समस्त कार्य ।

नोट :–निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 12-2-99 द्वारा नारी बन्दी निकेतन के कार्य सम्पादन हेतु प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से एक बजे का समय नारी बन्दी निकेतन के भ्रमण के लिये निर्धारित किया गया है ।

कार्य विवरण अवधि 25 मई, 1998 से 31 जुलाई, 1999 तक

1–जेल भ्रमण की संख्या–22

2–निरुद्ध महिला बन्दियों से उनकी संस्था के अन्दर एवं उनके परिवार एवं बच्चों के संबंध की व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान काउन्सिलिंग द्वारा किया गया–64

3–महिला बन्दियों के सम्बन्धियों से पत्राचार की संख्या–32

4–सिद्ध दोषी महिलाओं की समय से पूर्व रिहाई एवं सजा पूर्ण होने पर हुई रिहाई पर उन्हें परिवार एवं समाज में पुनर्स्थापित हुई–06

5–महिला जिनका सिलाई के रोजगार में पनर्स्थापित कराया गया–01

नत्थी (ख)

(देखिये अता० प्र० सं०–186 का उत्तर आगे पृष्ठ 95–96 पर)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	विकास खण्ड का नाम	कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये		व्यय की गई धनराशि	अधूरे स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराने में व्यय के लिये शेष धनराशि	जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य/प्रस्तावों का नाम
				संख्या	नाम			
1	2	3	4	5		6	7	8
1	97-98	फतेहाबाद	शमशाबाद	4	पक्की सड़क	12.840	1.684	1 ब्लाक प्रमुख/1 ग्रा० प० 1 मा० विधायक/1 विभागीय
				2	भूमि संरक्षण कार्य	12.542	0.061	2 जि० प० अध्यक्ष
				1	अग्रिम मृदा कार्य	1.258		1 विभागीय
				1	प्रा० पा० शा० 14	11.340		1 विभागीय
				1	उ० प्रा० विद्या० 2	3.240		1 विभागीय
			योग :	9		41.220	1.745	
	98-99	फतेहाबाद	शमशाबाद	16	पक्की सड़क	42.833	36.91	9 मा० विधायक/7 विभागीय
				1	खड़न्जा	0.000	1.297	1 विभागीय
				2	अग्रिम मृदा कार्य	3.420		2 विभागीय
				3	पौध उगान	1.010		3 विभागीय
				2	नाले की पुनर्स्थापना	1.990		2 विभागीय
				4	प्रा० पा० शा० 4	1.690		4 विभागीय
				3	उ० प्रा० विद्या० 3	1.260		3 विभागीय
			योग :	31		52.203	38.207	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3	97-98	फतेहाबाद	फतेहाबाद	6	पक्की सड़क	13.900	1.115	6 मा० विधायक
				1	मूर्ति स्थापना	1.105		1 विभागीय
				1	खड़न्जा	1.000		1 विभागीय
				1	रपटा	2.500	16.100	1 विभागीय
				1	भूमि संरक्षण कार्य	9.374		1 मा० विधायक
				2	अग्रिम मृदा कार्य	1.762		2 विभागीय
				1	प्रा० पा० शा० 15	12.150		1 विभागीय
				1	उ० प्रा० विद्या० 2	1.620		1 विभागीय
			योग	14		43.411	17.215	
4	98-99	फतेहाबाद	फतेहाबाद	21	पक्की सड़क	44.580	18.420	11मा० पूर्व विधायक 4 मा० विधायक/ 6 विभागीय
				4	खड़न्जा	3.000	2.378	1 मा०विधायक/ 3 विभागीय
				3	पौध उगान	1.246		3 विभागीय
				2	अग्रिम मृदा कार्य	2.680		2 विभागीय
				21	प्रा० पा० शा० 21	10.500		21 विभागीय
				5	पु० मा० विद्या० 5	5.343		5 विभागीय
			योग	56		67.349	20.798	
		विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद का महायोग		110		204.183	77.965	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	विकास खण्ड का नाम	कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये		व्यय की गई धनराशि	अधूरे स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराने में व्यय के लिये शेष धनराशि	जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य/प्रस्तावों का नाम
				संख्या	नाम			
1	2	3	4	5		6	7	8
1	97-98	फतेहपुर सीकरी	अछनेरा	2	पक्की सड़क	2.336	0.000	2 विभागीय
				1	खड़न्जा	1.000	0.000	1 विभागीय
				14	सिल्ट सफाई	44.022	0.000	8 मा० विधायक
								3 मा० सांसद/3 वि०
				1	पौध उगान	0.700		1 विभागीय
				1	अग्रिम मृदा कार्य	0.370		1 विभागीय
				1	प्रा० पा० शा० 2	1.620		1 विभागीय
				1	उ० प्रा० विद्या० 3	4.320		1 विभागीय
				21		54.368	0.000	
2	98-99	फतेहपुर सीकरी	अछनेरा	21	पक्की सड़क	31.396	20.289	5 मा० विधायक
								15 मा० सांसद/1 विभागीय
				1	खड़न्जा	0.250	1.950	1 विभागीय
				1	तालाब	0.250	0.250	1 विभागीय
				6	नाले की सफाई	26.334	7.174	3 मा० विधायक/3 विभागीय
				5	पुनर्स्थापना	6.770	0.000	2 मा० सांसद/3 विभागीय
				3	पौध उगान	2.510	0.000	3 विभागीय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

				2	अग्रिम मृदा कार्य	2.540	0.000	2 विभागीय
				5	प्रा० पा० शा० 5	3.270	0.000	5 विभागीय
				6	पू० मा० विद्या०	7.566	0.000	6 विभागीय
				1	कन्या पू०मा० विद्या०	0.900	0.000	1 विभागीय
			योग :	51		91.786	29.663	

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	विकास खण्ड का नाम	कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये		व्यय की गई धनराशि	अधूरे स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराने में व्यय के लिये शेष धनराशि	जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य/प्रस्तावों का नाम
				संख्या	नाम			
1	2	3	4	5		6	7	8
3	97-98	फतेहपुर सीकरी	अकोला	5	पक्की सड़क	7.205	0.000	1 मा० विधायक 2 विभागीय 2 मा० सांसद
				3	खड़ञ्जा	3.000	0.000	3 विभागीय
				11	सिल्ट की सफाई	24.265	0.000	10 विभागीय
				1	पंचायत घर 5	1.350	0.000	1 विभागीय
				1	प्रा० पा० शा० 5	4.050	0.000	1 विभागीय
				1	उ० मा० विद्या० 1	1.620	0.000	1 विभागीय
			योग :	22		41.490	0.000	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4	98-99	फतेहपुर सीकरी	अकोला	32	पक्की सड़क	65.377	21.894	14 मा० विधायक 18 मा० सांसद
				1	पौध उगान	0.110	0.000	1 विभागीय
				1	गूल निर्माण	1.000	2.657	1 विभागीय
				1	अग्रिम मृदा कार्य	0.740	0.000	1 विभागीय
				8	खड़न्जा	7.000	2.300	7 विभागीय/1 मा० सांसद
				3	माइनर पुनर्स्थापना	0.580	0.000	3 विभागीय
				6	प्रा० पा० शा० 6	1.260	0.000	6 विभागीय
				3	पू० मा० विद्या०	2.420	0.000	3 विभागीय
			योग :	55		78.487	26.851	

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंण्ड का नाम	कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये		व्यय की गई धनराशि	अधूरे स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराने में व्यय के लिये शेष धनराशि	जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्य/प्रस्तावों का नाम
				संख्या	नाम			
1	2	3	4	5		6	7	8
5	97-98	फतेहपुर सीकरी	फतेहपुर सीकरी	8	पक्की सड़क	10.660	1.980	2 विभागीय/3 मा० सांसद 3 मा० विधायक
				3	खड़न्जा	3.000	0.000	3 विभागीय
				3	सिल्ट की सफाई	4.061	0.645	1 विभागीय/2 मा० सांसद
				2	नाले का पुनरुद्धार	11.970	0.915	2 मा० सांसद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			1	नाले की खुदाई	1.416	0.000	अध्यक्ष जिला पंचायत
			2	अग्रिम मृदा कार्य	2.430	0.000	2 विभागीय
			1	पंचायत घर 12	3.240	0.000	विभागीय
			1	प्रा० पा० शा० 4	3.240	0.000	विभागीय
			1	उ०मा० विद्या० 1	1.620	0.000	विभागीय
		योग :	22		41.637	3.540	
98-99	फतेहपुर सीकरी	फतेहपुर सीकरी	26	पक्की सड़क	67.095	22.107	2 विभागीय/24 मा० सांसद 1 मा० विधायक
			1	खड़न्जा	0.500	0.550	विभागीय
			6	माइनर पुनर्स्थापना	12.630	0.000	4 विभागीय/2 मा० सांसद
			2	नाले की खुदाई	15.814	4.623	विभागीय
			2	पौध उगान	0.15	0.000	विभागीय
			1	अग्रिम मृदा कार्य	0.74	0.000	विभागीय
			1	वृक्षा रोपड़	0.375	0.000	विभागीय
			5	प्रा० पा० शा० 4	3.27	0.000	विभागीय
			3	पू० मा० विद्या० 1	3.543	0.000	विभागीय
		योग	47		104.117	27.280	
	विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी का महा योग		218		411.885	87.334	

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

पी०एस० यू०पी०–एल० 180 विधान सभा (330)–2001–813 (डी०टी०पी०)